खण्ड-240, अंक-8
मंगलवार, 28 फाल्गुन, शक संवत् 1884
(19 मार्च, 1963 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 240 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	६६३–६६७
प्रश्नोत्तर	६६७–७०९
उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९६२ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	७०९
उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) संशोधन विधेयक, १९६३ (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	७०९
बोर्ड आफ हाई स्कूल एन्ड इन्टरमीडिएट एजूकेशन की परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र खुलजाने से संबंधित शिक्षा मंत्री के वक्तव्य में कथित असत्य कथन के विषय पर विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	७०९–७१०
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं	७१०
तिब्बती शरणार्थियों के प्रति समवेदना प्रकट करने तथा दलाई लामा के साथ सहानुभूति व्यक्त करने के संबंध में नियम १०६ तथा ११३ के अन्तर्गत प्रस्ताव की सूचना (श्री अध्यक्ष ने प्रस्ताव को ग्रहण नहीं किया) ..	७१०–७११
लखनऊ औद्योगिक प्रदर्शनी के 'मां की पुकार' कक्ष की पुलिस द्वारा तलाशी लेने तथा सामान उठा ले जाने के संबंध में नियम ५३ के अन्तर्गत प्रस्ताव (श्री अध्यक्ष ने प्रस्ताव को ग्रहण नहीं किया)	७११–७१६
१९६३–६४ के आय-व्यय के अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या ४३––लेखन-सामग्री और मुद्रण (स्वीकृत)	७१६
अनुदान संख्या २४––उद्योग (स्वीकृत)	७१६–७६२
नत्थियां	७६२–७७२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १९ मार्च, १९६३

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बज दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५०

अक्षयवरसिंह, श्री
अनीसुरंहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री

घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बशकन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री

देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्र नारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेंद्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियामतुल्ला अंसारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बघवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसंतसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री

बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेंद्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुन्कदीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेंद्रसिंह, श्री (ललन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेंद्रप्रतापसिंह, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेंद्रकिशोरी, श्रीमती
राजेंद्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेंद्रसिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री

रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवेंद्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
संत सिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेंद्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेंद्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजपालसिंह, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री

हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री, नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्द सिंह, लघु उद्योग उपमंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त तथा सिंचाई उपमंत्री, डाक्टर रामनारायण पांडेय, भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १९ मार्च, १९६३

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

नलकूप खंड, मुरादाबाद म कुओं का डिस्चार्ज

*१--श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि ट्यूबवेल डिवीजन, साउथ मुरादाबाद में कुल कितने नलकूप हैं और उनमें से कितने तीन साल से बन्द पड़े हैं और उसका क्या कारण है ?

सिंचाई उप-मंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)--

नलकूप खन्ड, मुरादाबाद में ४८३ नलकूप हैं, और इनमें से कोई भी नलकूप इस समय साल से बन्द नहीं पड़ा है।

*२--श्री रियासत हुसैन--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि ऐसे कितने कुएं हैं जिनका डिस्चार्ज २०,००० जी० पी० एच० से कम है और उन कुओं का डिस्चार्ज बढ़ाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

प्रश्न का प्रथम भाग--८६ नलकूप ।

प्रश्न का द्वितीय भाग--३२ नलकूप, जो पूर्णतया या आंशिक रूप से फेल हो गये हैं उनका पुनर्निर्माण हो रहा है । ५० नलकूपों का डिस्चार्ज बढ़ाने के लिये Scrapping back washing इत्यादि हो रही है । शेष ४ नलकूप बेबी नलकूप हैं जिन पर ७.५ हार्स पावर के पम्पिंग सेट लगे हैं । इनका सिंचाई का रकबा भी थोड़ा है तथा इस समय का डिस्चार्ज इस रकबे की सिंचाई के लिये पर्याप्त है ।

श्री रियासत हुसैन---

क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन ट्यूबवेल्स का डिस्चार्ज २० हजार गैलन से कम है उसके क्या कारण हैं ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय---

ऐसा है कि एक अर्से के बाद डिस्चार्ज कम हो जाया करता है प्रत्येक ट्यूबवेल का। इसी लिये एक पीरियड के बाद उसको फिर से बनाने की आवश्यकता पड़ती है। जब १५ हजार गैलन से भी कम डिस्चार्ज होता है तो उसको दोबारा बनाया जाता है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---

यह नलकूप अगर तीन साल से बेकार नहीं पड़े हैं तो कितने साल से बेकार पड़े हैं ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय---

यह तो तीन साल के ऊपर के हैं। उसके अन्दर के कितने हैं, यह तो प्रश्न पूछा नहीं गया था।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)---

क्या यह सत्य है कि जिन नलकूपों का डिस्चार्ज कम हो गया है उनमें पुरानी मशीनें लगायी गयी थीं क्योंकि कुछ नलकूप जो १९५४-५५ में लगे थे उनका डिस्चार्ज ३२ से ३७ हजार गैलन तक अभी है ?

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)---

पुरानी मशीन लगाने की बात नहीं है। ज्यों-ज्यों जमाना गुजर रहा है अब उसकी टैक्नीक भी अच्छी होती जा रही है, पुराने जमाने के मुकाबले में। पहले कुओं में बोर होल छोटा बनाया जाता था जिससे उसकी जाली में सिल्ट भर जाती थी और उसके कारण पानी का डिस्चार्ज भी कम होने लगता था। अब उसमें सुधार किया गया है। अब उसमें एक अलग से जाली लगायी जाती है और उसके सिस्टम में सुधार किया गया है जिसके कारण भी पहले के मुकाबले में अब डिस्चार्ज अधिक होता है।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने नलकूप पूर्णतया फेल हो गये हैं और कितने दिन से फेल पड़े हैं ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय---

११ ऐसे हैं जो पूर्णतया फेल हैं, २१ आंशिक रूप से।

श्री मैनेजरसिंह---

मैंने पूछा था कितने दिन से ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय---

एक २-१२-६० से है, एक १-१२-६० से है, कोई १५-४-६२ से है....

श्री अध्यक्ष---

ठीक है, वह भिन्न-भिन्न तारीखों में हैं।

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय---

जी हां।

श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—

जो इतने दिनों से फेल हैं उनके लिये क्या कार्यवाही की जा रही है कि वह ठीक-ठीक हालत में लाये जा सकें ?

श्री राममूर्ति—

११ के ११ पर काम हो रहा है। कुछ बन गये हैं, कुछ के पम्पिंग हाउस बनाये जा रहे हैं और उम्मीद है कि सात भर या १४ महीने में सभी तैयार हो जावेंगे।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

प्रदेश में सन् १९५२ के बाद एक फ्रांस की कम्पनी ने ५००, ६०० कुएं लगाये थे जिनकी गहराई बहुत कम होने से वही खराब हो रहे हैं और उनका डिस्चार्ज कम हो रहा है।

श्री राममूर्ति—

ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

यह देखते हुए कि लाखों रुपये इस डिवीजन में हर साल रिप्लेसमेन्ट और मरम्मत में खर्च होते हैं, फिर भी ८६ कुएं बेकार होने के कारणों की क्या जांच करावेंगे ?

श्री राममूर्ति—

जांच का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मंत्री जी कम डिस्चार्ज वाले कुंओं से सिंचाई का रेट कम करेंगे ?

श्री राममूर्ति—

पानी तो गैलन के हिसाब से मिलता है, इसलिये सिंचाई रेट कम करने का कोई सवाल नहीं है।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

फेल हुए कुंओं के सिंचित एरिया में से कितना बोर भरा रहा ?

श्री राममूर्ति—

जब कुंवां फेल है तो सिंचाई का सवाल नहीं पैदा होता।

आजमगढ़ जिले में नलकूप चालकों का चुनाव

*३—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिलान्तर्गत कितने नलकूप चालक ऐसे नियुक्त हैं जो अनट्रेन्ड हैं तथा किसी कमेटी द्वारा उनका चुनाव नहीं हुआ है तथा कितने ट्रेन्ड नलकूप चालकों की सूची में नाम रहते हुए भी स्थान नहीं दिया गया है और क्यों ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

इस समय जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत कोई भी नलकूप चालक ऐसा नियुक्त नहीं है जो अनट्रेन्ड हो या कमेटी द्वारा न चुना गया हो तथा कोई ऐसा ट्रेन्ड नलकूप चालक नहीं है जिसकी नियुक्ति न हो गई हो।

*४—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता के आदेश नं० ३०३९, सन् १९५८ के अनुसार २१ अगस्त, १९६० को ए० सी०, फैजाबाद द्वारा कुछ सीनियर नलकूप चालकों का चुनाव अमीन पद के लिये हुआ था ? यदि हां, तो परीक्षा में कितने शामिल हुए और कितने उत्तीर्ण हुए और किनको-किनको अमीन का पद दिया गया और कब ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

प्रश्न में उल्लिखित आदेश सन् १९६० का है न कि सन् १९५८ का। सन् १९६० के आदेश के अन्तर्गत कुछ अमीन के पदों के चुनाव के हेतु एक प्रारम्भिक परीक्षा २१ अगस्त, १९६० को हुई थी। परीक्षा में कुल ५४ परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे परन्तु परीक्षा में कुछ अनियमितताओं के हो जाने के कारण इसे एस० ई० द्वारा रद्द कर दिया गया। ऐसी स्थिति में किसी के उत्तीर्ण होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह परीक्षा कब और क्यों अनियमित करार दी गई ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

जो कैन्डीडेट बुलाये गये थे वे स्थायी पदों वाले आने चाहिये थे, लेकिन जिन्हें प्रोमोशन के लायक समझा उन्हें भेज दिया गया।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

यह परीक्षा अनियमित कब करार दी गई ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

जून, ६२ में ८ की नियुक्ति हुई थी।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

परीक्षा २१ अगस्त, ६० को हुई, तो गलत उम्मीदवारों को २ साल तक क्यों काम दिया गया ?

श्री राममूर्ति—

जैसे ही परीक्षा का फल एस० ई० के पास पहुंचा, उसने उसे रद्द कर दिया। डी० आर० ओ० ने, जिन्होंने परीक्षा ली, यह गलती की कि नम्बरों के हिसाब से १,२, ३, ४ करके पास कर दिया, जब कि नियम यह था कि सीनियारिटी के हिसाब से लोग छांटे जावें। मसलन १५ आदमी पास हुए और १० लेने हैं तो १० सीनियर ही लिये जावेंगे। हम डी० आर० ओ० के खिलाफ ऐक्शन लेना चाहते थे लेकिन वह रिटायर हो गये।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि अनियमित परीक्षा में पास हुए लोग अभी तक कार्य कर रहे हैं ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

३ स्थायी आदमी सीनियर होने के नाते लिये गये हैं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या माननीय मंत्री जी इसकी जानकारी करावेंगे कि जो सीनियर भी नहीं हैं वे भी काम कर रहे हैं ?

श्री राममूर्ति—

इसकी जानकारी की जो ।

श्री मैनेजरसिंह—

क्या ऐसी व्यवस्था है कि सीनियर नलकूप चालकों की पदोन्नति अमीन के पद पर की जा सके ?

श्री राममूर्ति—

उन्हीं को किया गया । आजमगढ़ से पता लगाया गया, वहां कोई स्थायी नहीं निकला । गोंडा में भी वैसी ही कैफियत थी । जो परमानेन्ट निकले, उन्हीं को एप्वाइन्ट किया गया ।

रामगंगा डिवीजन में कालागढ़-बुकसार की जंगल नीलामी

*५—श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार को मालूम है कि कोई जंगल रामगंगा डिवीजन में दो लाख रुपयों का श्री इरफान अहमद सिद्दीकी को बिना नीलाम किये दे दिया गया ? यह जंगल कौन-सा था और इसका खुला नीलाम क्यों नहीं हुआ ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

लगभग १५० एकड़ भूमि पर स्थित जंगल, जो कालागढ़-बुकसार की सड़क के समीप था, सिंचाई विभाग ने टेन्डर द्वारा नीलाम किया । इन टेन्डरों की सूचना सर्वसाधारण को देने के लिये सूचना विभाग द्वारा मुख्य समाचार-पत्रों में टेन्डर नोटिस निकाले गये । टेन्डर आने के पश्चात् सबसे ऊंचा टेन्डर देने वाले, श्री इरफान अहमद को बाद में पुनः निगोशियेशन के पश्चात् टेन्डर में दी हुई रकम से भी अधिक पर यानी दो लाख रुपयों में जंगल दे दिया गया ।

श्री रियासत हुसैन—

मन्त्री जी बतावेंगे कि यह टेंडर कौन से अखबारों में दिया गया और खुली बोली न होने का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति —

टेंडर्स निम्नलिखित पत्रों में दिये गये थे—टेलीग्राफ, कानपुर, प्रयाग पत्रिका, इलाहाबाद, वीर भारत, कानपुर, प्रताप, कानपुर, हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली तथा नेशनल हैरल्ड, लखनऊ ।

मछलीशहर में नलकूप

*६—श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर) —

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मछली शहर, जौनपुर में कितने और कहां नलकूप हैं और उनकी कैपेसिटी क्या है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय —

विवरण संलग्न सूची में दिया है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७६३ पर)

*७—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या सरकार को पता है कि गरियांव में नलकूप लगाने के लिये स्थान की जांच और अन्य प्राथमिक कार्य किये गये, किन्तु आज तक वहां नलकूप न लग सका, इसका क्या कारण है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

गरियन ग्राम की सिंचाई के लिये सरायेखेम नलकूप के नाम से स्थान का सर्वेक्षण तथा बोरिंग आदि १९५५-५६ में की गई थी, परन्तु धरातल में पानी देने वाली उपयुक्त सतह न मिलने के कारण इस स्थान पर नलकूप बनाना सम्भव नहीं हुआ।

*८--श्री केशरीप्रसाद पांडेय --

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनवरी और फरवरी, १९६२ में मछलीशहर में कितने और कहां-कहां नलकूप लगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

चार नलकूप, मुबारकपुर, मिदवाना, भटहर तथा मेघपुर करियांव में लगाये गये।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय --

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि मोलनापुर नलकूप कब और कितनी लागत से लगाया गया और उस समय उसका डिस्चार्ज क्या था ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

मोलनापुर में २५६ फीट की गहराई तक बोरिंग की गयी थी और उस समय उसका डिस्चार्ज ५ हजार गैलन था। देखने पर यह पता चला कि वहां पर ६ मील चौड़ी और १० मील लम्बी जो बेल्ट है, उसमें पानी का स्ट्राटा नहीं मिला। इस हिस्से में ९ ट्यूबवैल्स बोर किये गये, वह भी फेल हो गये।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

श्रीमन्, कब बनाया गया, यह नहीं बताया गया।

श्री राममूर्ति--

इसको १९५५-५६ में एक जर्मन पावर डेवलपमेंट कम्पनी ने बनाया था। चूंकि इसका डिस्चार्ज ५ हजार गैलन था, इसलिये इसको फेल डिक्लेयर कर दिया गया।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

श्रीमन्, इस क्षेत्र में जितने ट्यूबवैल्स बनाये गये हैं वे १९५५-५६ में ७ और १९६१-६२ में ४ बनाये गये हैं। तो ये चुनाव के दौरान में बनाये गये हैं। तो मेरा सवाल यह है कि इस तरीके से जो ट्यूबवैल्स बनाये गये हैं उनमें पुरानी मशीन लगायी गयी है, ठीक से बोरिंग भी नहीं हुई है। तो क्या सरकार इसकी फिर से जांच करा कर, इनको चालू करने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति--

इसमें, माननीय अध्यक्ष महोदय, केशरी प्रसाद जी ने एक दूसरा ही सवाल इन्ट्रोड्यूस कर दिया। उन्होंने उन ट्यूबवैल्स का जिक्र कर दिया, जो चार ट्यूबवैल्स सन् १९६२ में बनाये गये थे। वे तो अभी चालू ही नहीं हुये हैं इसलिये उनका तो अभी सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनकी मशीनरी पुरानी है अथवा नयी। ये चार मुबारकपुर, भटहर, मिदवान और मेघपुर में बनाये गये हैं।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)--

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जौनपुर जिले में हरगांव और मछलीशहर में जो ट्यूबवेल्स लगाये गये हैं, वे ऐसी जगह लगाये गये हैं जहां पानी की कमी है और ट्यूबवेल्स काम नहीं कर रहे हैं ?

श्री राममूर्ति --

मैंने तो अर्ज किया कि वहां बेल्ट ही ऐसी है कि ट्यूबवैल्स को बोर किये जाने पर भी पानी का स्ट्राटा नहीं मिला, इसलिये ही पानी की कमी है ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि इन ट्यूबवैल्स को दूसरी जगह लगवाने की कोशिश भी की गयी लेकिन वहां भी पानी ठीक नहीं निकला ?

श्री राममूर्ति --

यही प्रयत्न बराबर किया जाता है कि पानी हो जाय। जहां ४०० फीट पर भी पानी नहीं मिला है वहां और नीचे तक नलकूप लगाने का विचार कर रहे हैं।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय --

क्या माननीय मन्त्री जी कोई निश्चित तिथि बतलाने की कृपा करेंगे कि कब तक ४ नलकूप, जो अभी पानी नहीं दे रहे हैं, वे पानी वहां देना शुरू कर देंगे ?

श्री राममूर्ति --

उम्मीद की जाती है कि जून, १९६३ में बिजली मिल जायगी और बिजली लगने के बाद वे अपना काम शुरू कर देंगे ।

श्री केशरी प्रसाद पांडेय --

क्या माननीय मन्त्री जी गरियन के सटे हुये गांव असवां में पुराने नलकूप को दुरुस्त कर प्रतिष्ठित करने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति --

मैं किसी गांव के बारे में जिक्र नहीं करता लेकिन मैंने यह बतलाया कि ४०० फीट के धरातल पर पानी नहीं मिला और अब ५००–७०० फीट तक धरातल तक बोरिंग करके देखा जायगा कि पानी मिलता है या नहीं। अभी उस पर काम शुरू नहीं हुआ, इसलिये मैं आगे की बात बतलाने में मजबूर हूं।

श्री केशरी प्रसाद पांडेय--

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यदि गरियन में उस धरातल पर पानी नहीं मिला तो उसी से लगे हुये जो गांव हैं, उनकी जांच करा कर बोरिंग करवायेंगे, जिससे पानी का धरातल मिल सके और लोगों को पानी की सुविधा हो ?

श्री राममूर्ति --

जैसा मैंने अर्ज किया, चूंकि दूसरे गांव का जिक्र भी माननीय सदस्य ने किया है, यदि वे लिखकर मेरे पास भेज देंगे तो मैं चीफ इंजीनियर के पास भेज दूंगा कि जब बोरिंग का काम शुरू हो तो वे इसको भी कन्सीडर कर लें, यह तो और भी अच्छा है, इसमें कोई नुकसान तो है नहीं ।

परगना पंद्रह में सिंचाई की व्यवस्था

*९--श्री ऊदल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी तहसील के परगना पन्द्रह के गांव हसनपुर, सांईपुर, तेलारी, मधुमखिया के लिये सिंचाई की कोई व्यवस्था आज तक नहीं हो सकी है क्योंकि इन गांवों के चारों तरफ काफी दूर पर अनेक ट्यूबवैल, कमरुद्दीनपुर ट्यूबवैल, ईश्वरपुर

ट्यूबवैल तथा चंगवार ट्यूबवैल हैं, जिसकी वजह से बीच की एरिया असिंचित रह जाती है तो क्या सरकार हसनपुर में या उसके आस-पास एक ट्यूबवैल लगाने की कृपा करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

ग्राम हसनपुर या उसके आस-पास नलकूप लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि कमरुद्दीनपुर नलकूप, ईश्वरपुर नलकूप तथा चंगवार नलकूप की गूल बढ़ा देने से प्रश्न में उल्लिखित गांवों के क्षेत्र की सिंचाई हो सकती है। इन गांवों के क्षेत्रों की सिंचाई के लिये बढ़ाई जाने वाली पक्की गूलों का विवरण निम्नलिखित है :--

कमरुद्दीनपुर नलकूप	..	६ फर्लांग
ईश्वरपुर नलकूप	..	४ फर्लांग
चंगवार नलकूप	..	२ फर्लांग

*१०--श्री ऊदल --

क्या सरकार को पता है कि उसी परगने में एक नाला, जिसमें कुंडी बांध बनाया गया है, उससे २ मील के पश्चिम-उत्तर जो आम रास्ता बिरांव से होकर आती है, वहां काफी पानी इकट्ठा होने से रोजाना हजारों मुसाफिरों को काफी तकलीफ होती है ? यदि हां, तो क्या उस स्थान (कनियर गांव के पास) एक पुल सिंचाई विभाग बनवाने की कृपा करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय --

इस पुल के निर्माण का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है और तृतीय योजना में धनाभाव से इसके लिये प्राविधान न होने के कारण इस योजना काल में इस पुल के निर्माण की सम्भावना नहीं है।

श्री ऊदल--

माननीय मन्त्री जी ने प्रश्न १० के सम्बन्ध में बतलाया है कि धनाभाव है, तो मैं जानना चाहता हूं कि धनाभाव से मतलब क्या यह है कि जब धन उपलब्ध हो जायगा तो इस पुल को बनवा दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष--

धनाभाव का मतलब यही है कि इस वक्त धन नहीं है, जब धन हो जायगा तो इसको देखा जायगा।

श्री ऊदल --

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो नलकूप की नालियां कमरुद्दीनपुर से ६ फर्लांग, ईश्वरपुर से ४ फर्लांग, और चंगवार से २ फर्लांग बढ़ाने की बात बतलायी गयी है, उससे सिंचाई की मंशा पूरी नहीं होती, तो क्या माननीय मन्त्री जी इन नालियों के प्रस्ताव को स्थगित करके फिर दोबारा जांच करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति --

अगर माननीय सदस्य लिखकर दे देंगे, जैसा कि वे बतला रहे हैं तो फिर मैं इसकी जांच करवा लूंगा, क्योंकि इसमें कोई नुकसान तो है नहीं।

रुहेलखंड में सिंचाई साधन

*११--श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली, बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद में शासन की ओर से किसानों की खेती की फसलें सींचने का क्या-क्या प्रबन्ध है ? क्या वह सिंचाई के साधन किसान को पूरे वर्ष भर पानी देने में समर्थ हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

*१२--क्या सिंचाई मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली, बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद जिलों में कुल कितने शासन के नलकूप हैं तथा प्रत्येक जिले में कितने हैं ? कितने नलकूप काम कर रहे हैं और कितने बन्द पड़े हैं तथा बन्द नलकूपों की क्या कीमत है और उन्हें चालू करवाने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री सुरेन्द्रविक्रम--

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह सूचना कब तक इकट्ठी हो जायगी ?

श्री अध्यक्ष--

बहुत जल्दी हो जायगी । सिंचाई मन्त्री जी क्षमा करें, यह प्रश्न ११-१२ के बारे में जो सूचना एकत्र की जा रही है वह १५ दिन के बाद आ जानी चाहिये ।

जौनपुर जिले में बरसाती पानी निकालने के लिये नालियां

*१३--श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर) --

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले के जिन ग्रामों में पानी जमाव की समस्या स्थायी है, उसके निराकरण के हेतु, वह कोई योजना बनायेगी कि जिससे भविष्य में इस प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

जौनपुर जिले में पानी जमाव होने वाले क्षेत्रों के पानी निकासी हेतु सरकार द्वारा ४७ मील लम्बी ड्रेनों का निर्माण हो चुका है। इसके अतिरिक्त कुछ और drains बनाने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री जगन्नाथ राव--

क्या सिंचाई मन्त्री जी के पास जिलाधीश, जौनपुर और तहसीलदार, मड़ियाहूं के द्वारा कोई ऐसा सुझाव आया है कि जिससे हसनपुर, नवादा, पटियाहूं, और पट्टी आदि पचासों गांवों को पानी से बचाया जा सकता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस योजना को वर्षा से पूर्व कार्यान्वित करेगी ?

श्री राममूर्ति--

अभी बताया गया कि वहां कुछ तो ४७ मील के ड्रेन बने हैं और अभी विभाग सर्वे कर रहा है कि कितने की जरूरत है । जब वह ब्योरा तैयार हो जायगा, आप के सामने पेश किया जायगा ।

श्री जगन्नाथ राव--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह ४७ मील ड्रेन का निर्माण कहां-कहां हुआ है और कहां-कहां उनके निर्माण की योजना है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

४७ मील में से यह एक ६ मील १ फर्लांग की छरनी ताल ड्रेन, बरसर ताल ड्रेन, १ मील ५ फर्लांग, लवरवा ताल ड्रेन १ मील ७ फर्लांग, भसोला ताल ड्रेन ५ मील १ फर्लांग, सूरतपुर ड्रेन.....

श्री अध्यक्ष---

यह तो लम्बी लिस्ट मालूम होती है, आप जाकर स्वयं देख लें।

गोविंद सागर बांध, ललितपुर से सिंचाई

*१४---श्री विजयसिंह (जिला जालौन) ---

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले में गोविन्दसागर बांध ललितपुर से कितने कृषि क्षेत्र को लाभ होने का अनुमान था और १९६१ व १९६२ में अलग-अलग कितनी भूमि को सिंचाई से लाभ हुआ ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

अनुमानत : २७,८४५ एकड़।

सन् १९६१-६२ व १९६२-६३ में क्रमश : ७,६१० व ८,११४ एकड़ भूमि को सिंचन सुविधा प्रदान की गई।

*१५---श्री विजयसिंह---

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अल्प सिंचाई योजना के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाया और उसमें क्या प्रगति हो रही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

तृतीय पंचवर्षीय योजना में अल्प सिंचाई योजनाओं की अनुमानित लागत २,०००.०० लाख रुपया है।

सन् १९६३-६४ में ३७३.४९९ लाख रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

श्री विजयसिंह---

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब उन्होंने यह एस्टीमेट लगाया था कि २७ हजार एकड़ सिंचाई होनी चाहिये, लेकिन १९६१-६२ में साढ़े सात हजार एकड़ की और १९६२-६३ में ८ हजार एकड़ की ही हुई, तो इसका मुख्य कारण क्या है जब कि इस काम के लिये एग्रीकल्चर का गजटेड स्टाफ भी लगा है ?

श्री राममूर्ति---

जब यह बांध पहले बना था तब इसके द्वारा सिंचाई के लिये जो उरई के अन्दर बेतवा सिस्टम की नहरें थीं, उनसे पानी दिया गया लेकिन जब माताटीला बांध बन गया तो बेतवा सिस्टम से पानी के लिये नई नहरें खोदनी पड़ीं, उन से ८ हजार एकड़ सिंचाई हुई है। कुछ और बन रही हैं जिनसे आहिस्ता आहिस्ता सिंचाई बढ़ेगी और दूसरी खराबी यहां एक यहभी है कि जिन के खेत नहर के किनारे हैं वह अपने खेतों से दूसरों के लिये रास्ता नहीं देना चाहते, इस कारण से भी खेत रह जाते हैं और इसी वास्ते हमने आप से अभी एक बिल इस सम्बन्ध में पास कराया था जिसके अनुसार सरकार की ओर से उनकी वह नालियां बनाई जायंगी।

श्री विजयसिंह---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने अल्प सिंचाई योजना के लिये २ हजार लाख रुपया रखने का विचार किया है तो क्या उसने सर्वे करा के यह निश्चय किया है कि मशीनरी वेल, नलकूप और तालाबों से कितनी सिंचाई होगी ?

श्री राममूर्ति---

बुन्देलखंड में नलकूप नहीं होंगे, वहां कन्टूर बन्धियों और तालाबों से सिंचाई होगी।

नहरी पानी न मिलने की शिकायत

*१६--श्री नत्थाराम रावत (जिला बाराबंकी)--

क्या सरकार को ज्ञात है कि इस वर्ष जाड़े में बारिश न होने के कारण प्रदेश में रबी की फसल की दोबारा सिंचाई करने तथा गन्ना बोने वाले खेतों को पलेवा करने की अत्यन्त आवश्यकता है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

जी हां।

*१७--श्री नत्थाराम रावत--

क्या सिंचाई मन्त्री शीघ्रातिशीघ्र बाराबंकी डिवीजन तथा प्रदेश की अन्य नहरों में पानी खोलवाने की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

बाराबंकी डिवीजन की नहर २ मार्च, १९६३ को खोल दी गई है।

प्रदेश की अन्य नहरें बराबर चल रही हैं।

श्री नत्थाराम रावत--

जब मन्त्री जी ने माना है कि जाड़े में बारिश न होने के कारण रबी की फसल और गन्ने के खेत तैयार करने के लिये पलेवा की आवश्यकता थी, तब फिर नहर में समय पर पानी न छोड़ने का क्या कारण रहा ?

श्री राममूर्ति--

जनवरी के महीने में कुछ बारिश डेढ़, दो इंच हुई, जिससे ख़याल हुआ कि कुछ दिनों के लिये आबपाशी की जरूरत नहीं है, और इस नहर को बजाय ३,००० के ३,८०० क्यूसेक्स डिस्चार्ज का बनाने का ख्याल है इसलिये इसके ४२ पुल और झाले तोड़ दिये गये और काम शुरू हुआ। लेकिन यह ख्याल नहीं था कि पानी नहीं बरसेगा, इसलिये जब काम शुरू हो गया तो मजबूरी थी और २ मार्च को समुचित मात्रा में पानी छोड़ दिया गया।

श्री नत्थाराम रावत--

अन्दाज यह था कि बारिश हो जायगी इसलिये पुल और झाले तोड़ दिये गये और पानी नहीं भेजा जा सका, जिसकी वजह से रबी की फसल को नुकसान हुआ, तो मन्त्री जी बतायेंगे कि रबी की फसल को कितना नुकसान हुआ ?

श्री राममूर्ति--

जहां तक तोड़ आबपाशी का ताल्लुक था वह सब हो चुकी थी। अब जो दूसरे पानी की बात आती है तो २ मार्च से नहर चला दी गई। जब फसल कटती है और सर्वे होता है तब पता लगेगा कितना नुकसान हुआ। अगर नुकसान हुआ होगा तो उसको छूट दे दी जायगी। लेकिन अभी कहना मुश्किल है।

श्री रावेश्याम शर्मा--

सारे प्रदेश में अब की बार रबी की फसल में लोगों को पानी नहीं मिल पाया है और लोगों को बड़ी कठिनाई हुई। तो क्या इसके लिये कोई नहर विभाग की तरफ से जांच कमेटी सरकार बैठायेगी जो रिपोर्ट दे कि कितना नुकसान अब की बार नहर विभाग ने किया है प्रदेश के किसानों का ?

श्री अध्यक्ष—

मन्त्री जी, आपको कोई सूचना है कि सारे प्रदेश में मुकम्मल हुआ है ?

श्री राममूर्ति—

जितनी आबपाशी एची की इस साल में हुई है इतनी कैनाल की हिस्ट्री में कभी नहीं हुई।

कानपुर परिवहन क्षेत्र में कण्डक्टरों की पदोन्नति

*१८—श्री होरीलाल माधव (जिला इटावा) तथा श्री कल्पनासिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर रीजन में ए० टी० आई० का प्रमोशन कितना क्लर्कों में से किया गया और कितना कंडक्टर में से किया गया ?

परिवहन मन्त्री के संसदीय सचिव (श्री गनेशीलाल चौधरी)—

दिनांक २९-१२-६१ से अब तक कुल १० कन्डक्टरों को ए० टी० आई० के पद पर पदोन्नत किया गया। इस पद पर किसी क्लर्क को पदोन्नति नहीं की गई।

*१९—श्री होरीलाल यादव तथा श्री कल्पनासिंह—

इन प्रमोशन में से कौन कौन-सी आधारभूत बातें देखी गई हैं और क्या इसमें सिनियारिटी और कनफर्मेशन का भी ध्यान रखा गया है ? यदि हां, तो ऐसे कितने ट्राफिक क्लर्क हैं जो सिनियारिटी और कनफर्मेशन के आधार की शर्तें पूरी करने के बाद भी उनको प्रमोशन नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

पदोन्नति के लिये शासकीय आदेशानुसार ४० प्रतिशत स्थान कन्डक्टरों के लिये तथा २० प्रतिशत जूनियर क्लर्क/बुकिंग क्लर्क के लिये निर्धारित हैं। कन्डक्टरों की पदोन्नति अपेक्ष्य को छोड़कर ज्येष्ठता के आधार पर की गई। क्लर्कों की पदोन्नति न किये जाने का कारण यह है कि बहुत से क्लर्क ट्रैफिक साइड से हटकर कार्यालय में कार्य कर रहे हैं। उनसे यह पूछा गया है कि वे ट्रैफिक साइड में काम करना चाहेंगे अथवा नहीं। उनका विकल्प ज्ञात होने पर उनकी पदोन्नति निर्धारित कोटा के अनुसार की जावेगी।

*२०—श्री होरीलाल यादव तथा श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या यह सही है कि जितने लोगों को ए० टी० आई० बनाया गया उसमें से एक भी आदमी प्रमोशन के समय कन्डक्टर का काम नहीं कर रहा था ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

जी हां। परन्तु वह स्थायी कन्डक्टर थे।

श्री होरीलाल यादव—

क्या सरकार बतायेगी कि जो बस कन्डक्टर ए० टी० आई० के पद पर नियुक्त किये गये उनमें से वह ट्रैफिक का काम कर रहे थे या जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर के आफिस में काम कर रहे थे ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

वह आफिस में काम कर रहे थे लेकिन उनका काडर परमानेंट कन्डक्टर्स में था इसलिये वह ज्येष्ठ माने गये।

श्री होरीलाल यादव—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि उन लोगों ने कन्डक्टर से जी० एम०, ए० जी० एम० के आफिस में जाना इसलिये पसन्द किया कि वह पोस्ट ज्यादा लाभप्रद थी, इसलिये वहां गये। इस बात को देखते हुए क्या उन लोगों को ए० टी० आई० के इम्तिहान से अलग करना सरकार उचित नहीं समझती ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

वह तो परमानेंट कन्डक्टर्स थे और उन्होंने अपनी मर्जी से आफिस में जाना पसन्द किया। इसलिये वह तो कन्डक्टर्स के काडर में थे ही, इसलिये उनका प्रमोशन किया गया।

श्री कल्पनाथसिंह—

मन्त्री जी बतायेंगे कि जो २० आदमी प्रमोट किये गये उनमें से बुकिंग क्लर्क और जूनियर क्लर्क को क्यों नहीं प्रमोट किया गया, जो ट्रैफिक साइड में काम कर रहे थे ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

जो ट्रैफिक साइड में काम कर रहे थे उनमें से नहीं प्रमोट किये गये बल्कि जो लोग कन्डक्टर्स परमानेंट थे, उन्हीं को किया गया।

श्री कल्पनाथसिंह—

जो २० आदमी प्रमोट किये गये, उनमें से ट्रैफिक साइड के जूनियर क्लर्क और बुकिंग क्लर्क क्यों नहीं प्रमोट किये गये जब कि आप कहते हैं उनका २० फीसदी का कोटा था ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

जो क्लर्क काम कर रहे थे उनसे पूछा गया और.....

श्री अध्यक्ष—

जिन्होंने आप्ट किया उनको कर दिया गया, क्या आप यह कहना चाहते हैं ? माननीय सदस्य का सवाल है कि बुकिंग क्लर्क्स को क्यों नहीं प्रमोट किया गया ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

जो लोग परमानेंट कन्डक्टर्स थे और आफिस में काम कर रहे थे उनको प्रमोट किया गया। जो क्लर्क्स हैं और अगर इधर आना चाहते थे तो उनसे पूछा गया। तो क्लर्क लोगों को प्रमोट नहीं करते हैं।

श्री कल्पनाथसिंह—

मेरा सवाल है २० परसेंट ट्रैफिक साइड के क्लर्क क्यों नहीं लिये गये ? मैंने मान लिया कन्डक्टर्स ४० फीसदी लिये गये ?

श्री अध्यक्ष—

उनका कहना यह है कि उनकी बेसिक पोस्ट कन्डक्टर की थी, किन्तु आफिस में काम कर रहे थे। जो आफिस में काम कर रहे थे उनको वह कहते हैं हमने तरक्की दी। जो क्लर्क का काम नहीं करते हैं, उनको नहीं दी।

श्री कल्पनाथसिंह—

श्रीमन्, आप उनका मूल उत्तर पढ़ लें। १० कन्डक्टर प्रमोट किये और टोटल प्रमोशन हुआ १० का और उसमें सब कन्डक्टर हैं और फिर कहते हैं २० फीसदी जूनियर क्लर्क और बुकिंग क्लर्क के लिये निर्धारित है। तो मैं जानना चाहता हूं कि २० फीसदी जूनियर क्लर्क और बुकिंग क्लर्क जिनकी कि यह सब्सटेनटिव पोस्टस हैं उनमें से क्यों नहीं प्रमोट हुए ?

परिवहन मन्त्री (श्री मुजफ्फर हसन)—

२० जगहों में से सिर्फ १० का हुआ है और बाकी जो सीनियर थे वह उसी ट्रैफिक साइड के थे जो क्लर्की में काम कर रहे हैं और उनसे दरयाफ्त किया गया है, उनकी मंजूरी आ जायगी तो कर दिये जायेंगे।

श्री मैनेजरसिंह—

जो १० प्रमोशन हुए हैं वे चूंकि सीनियारिटी पर नहीं हुए हैं इसलिये यह बताया जाय कि उनमें कितने परिगणित जाति के हैं और कितने मुस्लिम वर्ग के हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

ये फीगर्स तो पूछे नहीं गये थे।

श्री होरीलाल यादव—

जो लोग कन्डक्टर के पद पर ट्रैफिक में काम कर रहे थे अथवा जो आफिस में काम कर रहे थे उनके वेतन-क्रम में कोई फर्क है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी नहीं।

श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या मन्त्री जी इस बात को देखते हुए कि वहां प्रमोशन के सिलसिले में कुछ अनियमितताये हुई हैं उसकी जांच करा कर और जो क्लर्क तथा कन्डक्टर उसके लिये उचित व्यक्ति हैं, उनको प्रमोशन दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जो अनियमितताये हुई हैं उनको मुझे बतला दिया जाय, तो जरूर ठीक कर दी जायंगी।

[१९ मार्च, १९६३ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

नलकूप खण्ड, साउथ मुरादाबाद में सुपरवाइजरों व आपरेटरों का बकाया वेतन

*१—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बतायेंगे कि मुरादाबाद साउथ डिवीजन के सिंचाई विभाग के आपरेटरों, पतरौलों, जिलेदारों व सुपरवाइजरों का गत ३ वर्षों का वेतन का एरियर्स रुका हुआ है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और कब तक अदा कर दिया जायगा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

नलकूप खंड, साउथ मुरादाबाद में कोई पतरौल कार्य नहीं करता है अतः पतरौलों के एरियर्स का प्रश्न नहीं उठता। जिलेदारों का कोई एरियर नहीं रुका है, अलबत्ता कुछ सुपरवाइजरों व आपरेटरों के एरियर मुख्यतः इस कारण रुके हैं कि सम्बन्धित कर्मचारियों के विषय में अन्य कार्यालयों से पत्र-व्यवहार चलता रहा। वार्षिक वेतन-वृद्धियां, अवकाश व अवकाश की अवधि का वेतन स्वीकृत होने में विलम्ब हुआ तथा महालेखापाल द्वारा प्रीआडिट में बिलम्ब हुआ और कुछ बिल तैयार करने में देरी हुई। मुख्य अभियन्ता को हाल ही में यह आदेश दे दिये गये हैं कि सभी बकाया बिलों का भुगतान अतिशीघ्र किया जाये।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलायेंगे कि मुरादाबाद डिवीजन पर कितना रुपया एरियर्स का बाकी है और किस निश्चित तिथि तक वह सुपरवाइजरों तथा आपरेटरों को अदा कर दिया जायगा ?

श्री राममूर्ति—

करीब ३१ हजार रुपया है और कोशिश यह की जा रही है कि इन एरियर्स को जल्दी खत्म कर दिया जाय।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

निश्चित तारीख बतला दी जाय कि कब तक अदा कर दिया जायगा ?

श्री राममूर्ति—

तारीख के बारे में अर्ज कर दूं कि मुझे इस बात का अफसोस है कि इस किस्म का सवाल कौंसिल में किया गया था। मैंने जांच कराई और मुझे इस बात से तकलीफ हुई कि कई-कई साल बाद भी एरियर्स पड़े हुए हैं। सन् ५३ में तनख्वाहों का रिफिक्सेशन हुआ था। उसकी वजह से दिक्कत हुई। फिर भी अब चीफ इंजीनियर को लिखा है मौके पर जा कर जांच करने के लिये और हिदायत दे दी है कि अगर यह महसूस हो कि इस गलती को जानबूझ कर किया गया है तो लोगों को सस्पेंड कर दिया जाय। उनको चार्ज शीट दे दी जाय और डिसमिस कर दिया जाय।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

पहले यह फैसला किया गया था कि ३० जून तक अदा कर दिया जायगा लेकिन अब पूछने पर भी तारीख नहीं बतलाई जा रही है तो इसका क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—

इसमें दिक्कत यह है कि जब ६ मास से ज्यादा के बिल हो जाते हैं तो ए० जी० के यहां भेजे जाते हैं और इससे तिथि बढ़ जाती है।

शाहजहांपुर डिवीजन में फरीदपुर शाखा नहर बढ़ाने की योजना

*२—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

विधान सभा के पिछले सत्र (१९६२) के १५वें मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या ४३ के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह इस्टीमेट कब तक स्वीकृत हो जावेगा तथा कार्यारम्भ कब तक होगा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह इस्टीमेट कब तक स्वीकृत होगा और कार्यारम्भ कब तक होगा क्योंकि अभी इसकी प्राविधिक सम्भावनाओं (Technical feasibility) की जांच हो रही है।

श्री सुरेन्द्रविक्रम—

माननीय मन्त्री अगर निश्चित नहीं बतला सकते तो वैसे ही बतला दें कि कार्य कब से शुरू होगा ?

श्री राममूर्ति—

मोटे तरीके से तो इस्टीमेट बन भी गये हैं दोनों नहरों के बारे में लेकिन जब तक कोई चीज फाइनल नहीं हो जाती उसके बारे में कोई चीज नहीं कह सकते। टेक्निकल फिजिबिलटी देखने के बाद ही काम शुरू किया जायगा।

श्री सुरेन्द्रविक्रम—

खेरा बम्हेड़ा में सिंचाई की नितान्त आवश्यकता है लिहाजा इस कार्य को सम्बन्धित अधिकारी जल्दी से शुरू कर दें, इसके लिये माननीय मन्त्री जी व्यवस्था करेंगे ?

श्री राममूर्ति—

पहला हिस्सा ठीक है कि आबपाशी की जरूरत है। दूसरा हिस्सा जैसा मैंने अर्ज किया जैसे ही जांच-पड़ताल हो जायेगी काम शुरू कर दिया जायगा।

खेड़ा-बझेड़ा परगना में नलकूप लगाने की प्रार्थना

*३—श्री सुरेन्द्रविक्रम—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतलाने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जिले में तृतीय योजना काल में कितने राजकीय नलकूप बनना हैं और तहसील तिलहर के परगना खेड़ा-बझेड़ा में सरकार कितने नलकूप बनवायेगी? क्या इस परगने का किसी उच्च अधिकारी द्वारा सर्वे भी कराने की कृपा करेंगे?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में शाहजहांपुर जिले में कोई राजकीय नलकूप बनाने का प्रस्ताव नहीं है। अतः परगना खेड़ा-बझेड़ा में नलकूप बनाने तथा सर्वे कराने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री सुरेन्द्रविक्रम—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कारण है कि शाहजहांपुर जिले में तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में कोई नलकूप नहीं बनाये गये?

श्री राममूर्ति—

८६ नलकूप शाहजहांपुर जिले में काम कर रहे हैं। जिस क्षेत्र का माननीय सदस्य जिक्र कर रहे हैं वह नहरी एरिया है और अभी एक मिनट पहले बताया जा चुका है कि वहां कुछ नहरें बढ़ाने का प्रस्ताव है।

गोरखपुर जिले में गांव ऊंचे करने की योजना

*४—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में बाढ़ क्षेत्रों में बाढ़ पीड़ितों को काम देने के लिये गांवों को ऊंचा करने की कोई योजना गत बाढ़ के बाद बनी थी? यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गतः

(अ) कितने गांव ऊंचे किये जा रहे हैं और तहसीलवार इनकी संख्या क्या है?

(ब) कितने स्थानों पर टैस्ट वर्क चल रहा है तथा किन-किन तहसीलों में?

(स) कुल कितने व्यक्तियों को प्रति दिन काम मिल रहा है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जी हां।

(अ) चूंकि पूरी योजना अभी मंजूर नहीं हुई है इसलिये गांवों की संख्या बताना अभी सम्भव नहीं है। अभी तक केवल ७५ नशेबी ग्रामों को जन-शक्ति योजना के तृतीय चरण के अन्तर्गत ऊंचा करने की स्वीकृति हो गई है।

(ब) टैस्ट वर्क से गांव ऊंचा करने की कोई योजना इस जिले में नहीं चल रही है।

(स) कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है इसलिये अभी किसी आदमी को काम नहीं मिल रहा है।

श्री कल्पनाथसिंह—

श्रीमन्, इस विभाग के दो सवाल हैं। एक ४ नम्बर पर है और दूसरा ५७ नम्बर पर अतारांकित है। उसमें लिखा गया है कि एक हजार गांव गोरखपुर जिले में इस योजना के अन्तर्गत हैं और इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि चूंकि पूरी योजना अभी मंजूर नहीं हुई है इसलिये गांवों की संख्या बताना अभी सम्भव नहीं है। माननीय मंत्री जी कृपया इस गलतफहमी को जरा दूर कर दें।

श्री राममूर्ति—

दो बातें अलग-अलग हैं। एक तो यह कि प्लान के अन्दर यह प्राविज़न किया गया कि १ हजार गांवों को हम ऊंचा करने का इरादा रखते हैं। दूसरे, हम कितना काम करेंगे अपने फंड्स को देखते हुये वह दूसरी चीज है। उसके बारे में जिक्र किया गया कि प्रोजेक्ट अभी तैयार नहीं हुआ है। उसकी अभी यहां से मंजूरी नहीं हुई है। सिर्फ ७५ गांवों की मंजूरी हुई है। वह रूरल मैन-पावर स्कीम के अन्तर्गत होगा। टेस्ट वर्क का जहां तक ताल्लुक है, गांवों में वह नहीं शुरू हुआ लेकिन सड़कें जरूर ऐसी बन रही हैं जिनमें १,६०० आदमियों को काम मिल रहा है।

श्री कल्पनाथसिंह—

उत्तर में दिया हुआ है कि इन ७५ गांवों की योजना के तृतीय चरण के अन्तर्गत ऊंचा करने की स्वीकृति हो गयी है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह तृतीय चरण क्या है और प्रथम और द्वितीय चरणों में ये क्यों नहीं लिये गये?

श्री राममूर्ति—

यह थर्ड प्लान का तीसरा साल है।

श्री कल्पनाथसिंह—

इससे पहले क्यों नहीं लिये गये?

श्री अध्यक्ष—

वह तो कोई पहले आयेगा और कोई बाद में आयेगा।

श्री मैनेजरसिंह—

इस बात को देखते हुये कि प्रदेश के अन्दर प्रत्येक वर्ष बाढ़ के कारण लाखों रुपये बाढ़ वाले इलाके में खर्च करने पड़ते हैं क्या माननीय मंत्री जी इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि बाढ़ आने के पूर्व इन गांवों को ऊंचा कर दिया जाय?

श्री राममूर्ति—

वह मुमकिन नहीं है इसलिये कि मैंने कई मर्तबा अर्ज किया यहां पर कि उसके लिये बहुत रुपये की जरूरत है। हमारे जितने साधन हैं प्लान के अन्दर उन्हीं के मुताबिक हम काम कर रहे हैं।

श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, इस बात को देखते हुये कि गांवों को पाटने के लिये मिट्टी मिलना मुश्किल होता है तो इसके लिये क्या मंत्री जी भूमि प्राप्त करने के लिये कोई सुनिश्चित व्यवस्था करने की सोच रहे हैं?

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, बड़े अफसोस की बात है कि लोग गांव भी ऊंचा करवाना चाहते हैं और जमीन भी नहीं देते हैं। लखनऊ से तो मिट्टी उठ कर जायगी नहीं, वहीं के लोग इन्तजाम करें।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वे बाढ़-पीड़ित गांवों को ऊंचा करने जा रहे हैं लेकिन अपना अनुभव यह है कि जितने पहले गांव ऊंचे किये गये हैं, जैसे गाजीपुर वगैरह, मैं देख रहा हूं कि खेतों के करीब जो मकान बन रहे हैं और जो गांव ऊंचे किये गये हैं उनकी मिट्टी काट कर किसान अपने खेतों में कर लेते हैं तो इसके लिये मंत्री जी क्या प्रबन्ध करने जा रहे हैं जब कि सारी मिट्टी काट कर किसान अपने खेतों में फेंक देते हैं ?

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, बड़े अफसोस की बात है और माननीय सदस्य को कोशिश करनी चाहिये कि जब कि यह फायदे की चीज़ है तो किसानों को इस तरह से मिट्टी नहीं फेंकनी चाहिये।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

क्या मेरी जानकारी सही है कि भारत सरकार ने मैन पावर यूटिलाइजेशन स्कीम के लिये कई करोड़ रुपया देना चाहा लेकिन राज्य सरकार ने उसको खर्च करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है ? अगर सही है तो मंत्री जी बतायें अन्यथा बतायें कि कितने रुपये की राज्य सरकार ने मांग की थी और कितना रुपया भारत सरकार ने देना चाहा ?

श्री राममूर्ति—

श्रीमन्, मैं यह मुनासिब नहीं समझता कि उनकी मालूमात को गलत साबित करूं लेकिन मेरी मालूमात यह है कि इस स्कीम के अन्तर्गत हर ब्लाक में ढाई लाख रुपया दिया गया है और उसके अन्दर काम हो रहे हैं। हमने इसके लिये इन्कार नहीं किया है। लेकिन उनकी कानूनी बन्दिश इतनी है कि बहुत से काम नहीं हो पाते हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बाढ़ के लिये जो योजना बनी थी उस पर इसलिये काम शुरू नहीं हो पा रहा है कि यहां से इंजीनियर्स आदेश नहीं भेज रहे हैं। इसके बावजूद डिस्ट्रिक्ट फ्लड आफिसर ने हुकूमत को लिखा है कि इसकी मंजूरी दे दें ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय नरसिंह नारायण जी, अब हम बाढ़ से हट कर मैन पावर यूटिलाइजेशन स्कीम पर आ गये हैं। आप अलग से सवाल कीजिये, मैं उचित समझूंगा तो एलाऊ कर दूंगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

जैसा कि उत्तर में कहा है मंत्री जी बतायेंगे कि बाढ़ के बाद गांवों को पाटने की एक स्कीम गोरखपुर जिले में सरकार ने निश्चित की है और कुछ गांव मैन पावर यूटिलाइजेशन स्कीम के अन्दर दिये गये थे और वह काम इसलिये पूरा नहीं हो पा रहा है कि यहां से मंजूरी नहीं आ रही है ?

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैन पावर यूटिलाइजेशन स्कीम का ताल्लुक है प्लानिंग विभाग के अन्दर एक एस० ई० हमारे विभाग से अलग से दे दिये गये हैं। वे ही सब स्कीम बनाते हैं, चेक करते हैं। मंजूरी देते हैं और हमारी दिक्कत का कोई सवाल नहीं है। जब वे इजाजत दे देते हैं तो हमारे ओवरसियर्स काम शुरू कर देते हैं।

स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों को सहायता

*५—श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)—

दिनांक ४ दिसम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या २१ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को शिक्षा तथा चिकित्सा विभागों द्वारा क्या-क्या सुविधायें किस-किस रूप में दी जा रही हैं तथा सन् १९५८ से १९६१ तक कितनी-कितनी धनराशि प्रति वर्ष व्यय की गई है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

उत्तर प्रदेश में बसे हुए स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों, जिनकी आय ३०० रु० माहवार से अधिक नहीं है, के बच्चों तथा उनके आश्रितों को शिक्षा विभाग द्वारा विद्याध्ययन हेतु छात्र वृत्ति (कक्षा ६ से रिसर्च कक्षा तक), पुस्तकों के हेतु अनावर्तक अनुदान, कक्षा ६ से १२ तक निःशुल्क एवं अर्द्धशुल्क की सुविधा तथा छात्रावास में रहने को निःशुल्क सुविधायें दी जाती हैं। इस सिलसिले में वित्तीय वर्ष १९५८–५९ में १,९४,६४० रु०, १९५९–६० में १,९४,६४० रु० तथा १९६०–६१ में ३,८९,२८० रु० व्यय हुए।

जहां तक चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं का प्रश्न है जो स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक माली हालत अच्छी न होने के कारण अपनी चिकित्सा कराने में असमर्थ हैं, उन्हें राजकीय अस्पतालों के नियमों के अन्तर्गत चिकित्सा सम्बन्धी सभी सुविधायें मुफ्त दी जाती हैं। अस्पतालों के अधीक्षकों को यह आदेश है कि स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाय। उक्त सुविधायें सन् १९५१ से बराबर दी जा रही हैं। किन्तु इस सिलसिले में बजट में कोई अलग से प्राविधान न होने के कारण सन् १९५८ से सन् १९६१ तक प्रति वर्ष व्यय की गई धनराशि के ब्योरे देना सम्भव नहीं है।

श्री बृजमोहनलाल गुप्त—

क्या सरकार के पास कोई ऐसी सूची तैयार है कि जिसमें प्रत्येक जिले के ऐसे स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी हों, जिनकी तीन सौ रुपये माहवार से कम आमदनी हो ? यदि ऐसी सूची तैयार नहीं है तो सरकार विचार करेगी कि उनकी सूची तैयार कर ले ताकि उन स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों को भी तकलीफ न हो और सरकार को भी न हो और उनके प्रार्थना-पत्र स्वीकार करने में जो समय और पैसा खर्च होता हो वह न खर्च हो ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

इस प्रकार की कोई सूची इस समय नहीं है।

श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार ऐसी सूची बनाने की कृपा करेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जरूरी तो है लेकिन बहुत मुश्किल है। इतने आदमी जेल गये हैं, सूबे भर में उन सब की माली हालत की सूची तैयार हो जाय यह आसान नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि बहुत से सेनानी चल बसे हैं और बहुत थोड़े से सेनानी बकाया रह गये हैं इस बात की कृपा करेंगे कि उन लोगों की सूची जरूर बन जाय ?

श्री मुजफ्फर हसन—

मैंने बताया कि इसमें बड़ी दिक्कत है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों से मतलब केवल उनसे हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े हैं या उनसे भी मतलब है जो चीनियों के खिलाफ लड़े हैं ?

(मंत्री को उत्तर देने के लिए नहीं बुलाया गया।)

रोडवेज विभाग में स्टेशनाधिकारी पद के लिये पदोन्नति

*६—श्री रियासत हुसैन—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज विभाग में स्टेशनाधिकारी पद के लिये जनरल क्लर्क और ए० टी० आई० में से २९ दिसम्बर, १९६२ तक किस अनुपात से उन्नति दी जाती थी और वह अनुपात ठीक प्रकार से उन्नति देने में स्थापित रखा गया या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

१९५० से १९५५ तथा १९५७ से १९६१ के बीच में जनरल क्लर्कों तथा सहायक ट्रेफिक इन्सपेक्टरों में जूनियर स्टेशन इन्चार्ज के पद पर पदोन्नति के लिये १:१ का अनुपात था। दिनांक २९-१२-६१ को जारी किये गये आदेशानुसार अब यह अनुपात क्रमशः १:४ कर दिया गया है। यह अनुपात ठीक प्रकार से उन्नति देने में स्थापित रखा गया है।

१९५५ और १९५७ के बीच में, प्रशासकीय कारणों से, जनरल क्लर्कों की जूनियर स्टेशन इन्चार्ज के पद पर पदोन्नति अस्थाई रूप से रोक दी गई थी।

*७—श्री रियासत हुसैन—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५५ में केवल ए० टी० आई० को स्टेशनाधिकारी की पदोन्नति देते हुये जनरल क्लर्कों को उनकी आगामी उन्नति में कोई बाधा न पड़ने का बचन दिया गया था ? यदि हां, तो उसको पूर्ण किया गया या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

शासन द्वारा ऐसा कोई भी बचन नहीं दिया गया था। शेष प्रश्न नहीं उठता।

श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह रंश्यो में जो तब्दीली की गयी है इसके मुख्य-मुख्य कारण क्या हैं ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

इसका कारण यह है कि ए० टी० आईज़० का वेतन काफी कम था और उनका प्रमोशन केवल जूनियर स्टेशन इंचार्ज ही में हो सकता है और जबकि जनरल क्लर्क का प्रमोशन हेड क्लर्क और एकाउन्टेंट वगैरह में भी हो सकता है। दूसरा कारण यह है कि बहुत दिनों से ए० टी० आई० अपने मैकसिमम वेतन पर पड़े थे जिससे उनको इंसेंटिव नहीं मिलता था इसलिए यह चीज की गयी।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ए० टी० आईज० वगैरह के जो प्रोमोशंस होते हैं उसमें काफी गड़बड़ी की जाती है, इसलिए सरकार क्या कोई सूची बनायेगी कि जिनको हक मिलना है उस क्रम में लोगों को पदोन्नति मिल सके, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

सरकार को कोई सूचना ऐसी नहीं है कि गड़बड़ी होती है।

ऊसर, बंजर भूमि

*८—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के अन्दर ऐसे पांच जिले कौन-कौन से हैं जिनमें सबसे अधिक ऊसर बंजर भूमि है और उस भूमि को खेती योग्य बनाने के लिये क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)—

राजस्व विभाग में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इस प्रदेश में सबसे अधिक ऊसर बंजर भूमि क्रमशः झांसी, मिर्जापुर, बांदा, हमीरपुर और मैनपुरी जिलों में है। इनमें से केवल मैनपुरी जिले के एक विकास खंड में ऊसर भूमि को खेती योग्य बनाने का कार्य तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में आरम्भ किया गया है। इसके अतिरिक्त इसी जिले में १०,००० एकड़ ऊसर भूमि को खेती योग्य बनाने के हेतु एक योजना भारत सरकार को भेजी गई है, जो स्वीकृति प्राप्त होते ही आरम्भ कर दी जायगी।

*९-१०—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

[हटा दिये गये।]

पीलीभीत जिले में सिंचाई

*११—श्री दुर्गाप्रसाद (जिला पीलीभीत)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पीलीभीत के रसैया खानपुर, दौलतपुर, बरसिय, रेढ़ता आदि ग्रामों में कई सौ एकड़ भूमि सिंचाई से वंचित क्यों रहती है जबकि पास में ही नलकूप सिंचाई विभाग की ओर से लगे हुये हैं ?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*१२-१३—श्री दुर्गाप्रसाद—

[हटा दिये गये।]

जौनपुर जिले में सिंचाई साधनों की कमी

*१४—श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें जौनपुर जिले के बदलापुर ब्लाक के घनश्यामपुर बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के गांव प्रधानों तथा डेढ़ हजार जनता के हस्ताक्षर से युक्त कोई पत्र अक्तूबर, नवम्बर, १९६२ ई० में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*१५—श्री माताप्रसाद—

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि जौनपुर जिले के बदलापुर ब्लाक के शाहपुरशानी, तियरा, गोपालापुर, बलुआ, घनश्यामपुर, रामनगर तथा खुटहल ब्लाक के खलसा पट्टी

नोट—तारांकित प्रश्न ६-७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

काजी शाहपुर, खुटहन मुबारकपुर, अंगुली, रानीपुर, आदि में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है ?

श्री राममूर्ति--

सूचना एकत्र की जा रही है।

बांदा जिले में सिंचाई साधनों के लिये सुझाव

*१६--श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)--

क्या सरकार केन कैनाल डिवीजन बांदा की अतर्रा ब्रांच के रजबहा कमासिन के ६वें मील से ग्राम छिलोलर व ममसी तथा जाखी तक एक माइनर बनाने को तैयार है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति--

ग्राम छिलोलर को कमासिन डिस्ट्रीब्यूटरी व जामू माइनर से और ग्राम ममसी व जाखी को कमासिन डिस्ट्रीब्यूटरी व ममसी माइनर से सिंचन सुविधा प्रदान की जाती है। अतः कोई नई माइनर बनाने का प्रश्न नहीं उठता है।

*१७--श्री मतोलासिंह--

क्या सरकार रजबहा कमासिन के बंथरी माइनर को ग्राम लोहरा तक बढ़ाने को तैयार है तथा क्या सरकार इस माइनर पर सर्विस रोड बनाने का भी विचार रखती है ?

श्री राममूर्ति--

जी नहीं।

*१८--श्री मतोलासिंह--

क्या सरकार अतर्रा ब्रांच व उसकी माइनरों के कारण अनेक ग्रामों में इस कदर पानी उपजाऊ भूमि में भरा रहता है कि जिसके कारण तकरीबन दो हजार एकड़ भूमि पड़ती पड़ी रहती है और चालीस हजार मन धान व गेहूं, जौ, चना की पैदावार को हानि पहुंचती है क्या सरकार इस क्षति की पूर्ति के हेतु ग्राम पनगरा से रहूसत्त तक जो सात मील से अधिक है पनगरा से एक नाला गड़रा नाम का आता है, जो बहुत संकीर्ण है उसे क्या सरकार चौड़ा व गहरा कराने को तैयार है ? अगर नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राममूर्ति--

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

बहराइच-जरवल रोड बस सर्विस के लिये प्रार्थना

*१९--श्री मुन्नूसिंह, श्री रामअधार कनौजिया तथा चौधरी अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच)--

क्या सरकार इस बात पर पुनः विचार करेगी कि बहराइच में बहराइच से जरवल रोड तक चलने वाली वह बस जो बहराइच से ३ बजे रात चलकर जरवल स्टेशन पर जनता गाड़ी पकड़ती थी और जो पिछले हफ्ते से बन्द हो गई है पुनः चलायी जायेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन--

अभी ऐसा विचार नहीं है, क्योंकि यह सर्विस अलाभकर सिद्ध हुई।

*२०--श्री मुन्नूसिंह, श्री रामअधार कनौजिया तथा चौधरी अब्दुल हसीब खाँ--

क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि जब इस लाइन पर सरकारी बसें चलनी शुरू हुयीं, शुरू के पहले प्राइवेट बसें ३ बजे वाली चलती थीं या नहीं और यदि चलती थीं तो कितने दिनों से चलती थीं ?

श्री मुजफ्फर हसन--

रोडवेज बस सर्विस चालू होने के ठीक पूर्व रात्रि के ४ बजे से चलने वाली प्राइवेट बसें इस मार्ग पर चलती थीं, परन्तु यह बतलाना कठिन है कि ऐसा कब से होता आ रहा था।

मोहम्मदी तहसील में नहरी गूलों को क्षति

*२१--श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी) तथा श्री बंकटासिंह (जिला खीरी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि परगना कस्ता हैदराबाद, तहसील मोहम्मदी, जिला खीरी में चकबन्दी कार्यवाही के अन्तर्गत नहर विभागीय कितने ग्रामों की गूलें तोड़ दी गयीं या मिटा दी गयीं ? यदि हां, तो उसमें अनुमानतः कितनी आर्थिक क्षति हुई होगी ?

*२२--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि कथित चकबन्दी कार्यवाही के अन्तर्गत मिटाई गई गूलों के श्रमदान द्वारा पुनः निर्माण के लिये गत जनवरी, सन् १९६३ ई० में कोई आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो कितने गांवों में गूलों का निर्माण-कार्य पूरा हो चुका है और कितनों में शेष पड़ा है ?

श्री राममूर्ति--

सूचना एकत्र की जा रही है।

बरुवा सागर नहरी क्षेत्र में पानी न मिलने की शिकायत

*२३--श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बरुवा सागर, जिला झांसी की नहर से जिन ग्रामों को पानी दिया जाता है कई गांव को कई माह से पानी न मिलने के कारण किसानों की फसल बुरी तरह सूख रही है जिससे किसानों में भारी असन्तोष फैल गया है ?

श्री राममूर्ति--

जी नहीं। नहरी क्षेत्र का कोई भी भाग ऐसा नहीं है जहां नहर के पानी के अभाव के कारण फसल सूख गई हो।

*२४--श्री लखपतराम शर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि जिन किसानों की फसल पानी न मिलने के कारण बरबाद हुई है उनसे भी लगान वसूल किया जा रहा है व किया जाने वाला है ? यदि यह सत्य है तो उसे रोकने का और पानी दिये जाने का सरकार किस प्रकार प्रबन्ध कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति--

प्रश्न नहीं उठता है।

मुख्य मंत्री भवन के अतिथि निवास का प्रबंध

*२५--श्री काशीनाथ मिश्र--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि मुख्य मन्त्री भवन का अतिथि निवास कालीदास मार्ग, लखनऊ का प्रबन्ध और व्यवस्था किस नियम के अनुसार होती है और गत ३ सालों से उसमें कौन व्यक्ति किस अधिकार से रह रहा है ?

श्री राममूर्ति—

मुख्य मन्त्री भवन के अतिथि निवास का १ फ्लैट के ३ कमरे राज अतिथि गृह में ठहरने वाले राज्य अतिथियों के वैयक्तिक सहायकों को २.५० न० पै० प्रति दिन प्रति कमरा की दर से रहने के लिये किराये पर दिया जाता है बाकी ३ फ्लैट अन्य सरकारी भवनों की भांति ही किराये पर उठाये गये हैं। गत ३ वर्षों से श्री देवकी नन्दन पांडेय, वाइस-प्रिंसिपल, यू०पी० सैनिक स्कूल, श्री लालता प्रसाद जोशी, अधिशासी अभियन्ता, स्वायत्त शासन इंजिनियरिंग विभाग तथा श्री रामाज्ञा पांडे, एम० एल० सी० रह रहे हैं।

*२६—श्री कैलाश (जिला देवरिया)—

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

*२७—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

*२८—श्री महरामसिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

डलमऊ तहसील में नहर अधिकारियों का निवास-स्थान

*२९—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि रायबरेली में शारदा नहर प्रथम सब-डिवीजन, तहसील डलमऊ के अन्तर्गत कुछ ऐसे नहर के अधिकारी नियुक्त हैं जो उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं ?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं।

*३०-३१—श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

*३२—श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)—

[हटा दिया गया।]

जगदीशपुर के निकट पुलिया व साइफन बनाने पर विचार

*३३—श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—

क्या सिंचाई मन्त्री आजमगढ़ के सदर तहसील में शारदा कैनाल के किनारे जगदीशपुर ग्राम के पास असपतपुर के किनारे पुल और साइफन बनाने की आज्ञा प्रदान करेंगे ?

श्री राममूर्ति—

पुलिया और साइफन बनाने का प्रश्न विचाराधीन है।

*३४—श्री मंगलदेव—

सरकार को पता है कि साइफन न बनने के कारण आसपास के गांव के निवासी बरसात के पानी घिर जाने के कारण संकट में पड़ जाते हैं ?

श्री राममूर्ति—

जी हां, साइफन के बिना वहां के निवासियों को कुछ कठिनाई होती है।

स्पेशल मैजिस्ट्रेट, अमरोहा की नियुक्ति पर विचार

*३५—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या सरकार कृपया यह बतलायेगी कि स्पेशल मैजिस्ट्रेट, अमरोहा (जिला मुरादाबाद) ने गत वर्ष किस तारीख को और किन कारणों से त्याग-पत्र दे दिया है ?

न्याय मन्त्री (श्री सैयद अली जहीर)—

उन्होंने २ जनवरी, १९६२ को त्याग-पत्र दे दिया था क्योंकि उनको एक नौकरी मिल गई थी ।

*३६—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि स्पेशल मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति अब कब तक की जायेगी ? क्या सरकार के पास इस सम्बन्ध में जिलाधीश महोदय ने कुछ नामों की सिफारिश की है ? यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और उनकी योग्यतायें क्या हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—

मामला विचाराधीन है । जिलाधीश की सिफारिश गोपनीय होने के कारण उम्मीदवारों के नाम तथा उनकी योग्यतायें नहीं बताई जा सकती हैं ।

*३७-३८—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

ट्रेसर्स का वेतन

*३९—श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रादेशिक सिंचाई विभाग के ट्रेसर्स तथा केन्द्रीय विभाग के ट्रेसर्स के वेतन-क्रम में इतना महान अन्तर क्यों है और क्या सरकार वर्तमान समय में पिछले काफी समय से बढ़े हुये खर्चों को दृष्टि में रखते हुये प्रादेशिक ट्रेसर्स का वेतन-क्रम बढ़ाने की क्या कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—

केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकार के अधीनस्थ प्रायः सभी पदों के वेतन-क्रम में अन्तर है और इसीलिये ट्रेसर्स के वेतन-क्रम में भी बढ़े हुये खर्चे का कारण सिर्फ ट्रेसर्स के ही नहीं बल्कि सभी पदों के लिये सामान्यरूप से लागू होता है । इसलिये शासन ट्रेसर्स का वेतन-क्रम बढ़ाने के प्रश्न पर विचार नहीं कर रहा है ।

*४०—श्री दयाराम शाक्य—

क्या सिंचाई मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सन् ५८ से पूर्व ट्रेसर्स को ड्राफ्ट्समैन के पदों पर पदोन्नति करने का नियम सरकार ने क्यों समाप्त कर दिया है तथा उससे क्या हानियां थीं ?

श्री राममूर्ति—

सिंचाई विभाग में ड्राफ्ट्समैन के लिये दो तरह के वेतन-क्रम निर्धारित हैं—

(१) रुपये १२०-६-१६२-ई० बी०-६-२१०-ई० बी०-१०-२५० ।

(२) रुपये ८५-५-१२०-ई० बी०-८-२०० रु० ।

रुपये १२०–२५० के वेतन-क्रम में उन लोगों की नियुक्ति की जाती है जिन्होंने खड़की महाविद्यालय से, गवर्नमेंट आर्ट्स व क्रैफ्टस कालेज व किसी अन्य समस्तर का प्रशिक्षण देने वाली मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा प्राप्त किया हो।

रुपये ८५–२०० के वेतन-क्रम में निम्नस्तर का प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं के डिप्लोमा होल्डर्स की नियुक्ति की जाती है। ट्रेसर्स की सन् १९५८ से पूर्व रुपये ८५.२०० के वेतन-क्रम में जो अनक्वालीफाइड ड्राफ्ट्समैनों के लिये है, पदोन्नति दी जाती थी।

सन् १९५८ से पूर्व पर्याप्त संख्या में ड्राफ्ट्समैन के पद के लिये उपयुक्त क्वालीफाइड अभ्यर्थी नहीं मिल पाते थे अतः विभागीय कार्य-संचालन के लिये ट्रैसर्स को पदोन्नति दी जाती थी। अब क्वालीफाइड ड्राफ्ट्समैनों का अभाव नहीं रहा और चूंकि ट्रेसर्स उतनी क्षमता नहीं रखते जितनी कि ड्राफ्ट्समैन अतः उनकी पदोन्नति भी बन्द कर दी गई है।

*४१—श्री बयाराम शाक्य—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ट्रेसर्स के पदों के स्थायीकरण का क्या नियम है और क्या कारण है कि पदों के रिक्त होने पर भी कभी-कभी काफी लम्बे समय पर नियुक्ति तथा स्थायीकरण नहीं होता है?

श्री राममूर्ति—

स्थायी पदों के लिये रिक्त होने पर ट्रेसर्स का स्थायीकरण उनकी ज्येष्ठता तथा कार्य-क्षमता को ध्यान में रखकर किया जाता है। जैसे-जैसे स्थायी पद रिक्त होते हैं, वैसे-वैसे सुयोग्य व्यक्तियों का स्थायीकरण कर दिया जाता है।

*४२—श्री महादेव (जिला फैजाबाद)—

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

*४३—श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

[२२ मार्च, १९६३ के लिये प्रश्न ११० के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

गाजीपुर जिले में सांड़ मार डालने का मुकद्दमा

*४४—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अगस्त या सितम्बर, सन् १९६२ में मौजा सीसुण्डी, थाना कोतवाली, जिला गाजीपुर में कोई सांड़ मारा गया था? यदि हां, तो क्या उसकी पोस्ट मार्टम रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री चरणसिंह—

पुलिस रिपोर्ट दिनांक २ सितम्बर, १९६३ के अनुसार एक लावारिस सांड़ श्री अहमद हुसैन, साकिन सिसुण्डी, थाना कोतवाली, गाजीपुर के अहाते में मरा हुआ पाया गया। पोस्ट मार्टम की† रिपोर्ट संलग्न है।

*४५—श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस मुकदमे के सिलसिले में किन-किन मुल्जिमों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई है?

---

†रिपोर्ट छापी नहीं गई।

श्री चरणसिंह—

सर्वश्री सैयद अली फजल इमाम, लल्लन उर्फ गुलाम अब्बास, आबिद हुसैन के विरुद्ध दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६२ को धारा ४२९ आई० पी० सी० के अन्तर्गत केस नं० १०४ पुलिस द्वारा चलाया गया और मुकदमा अभी अदालत में है।

परिवहन विभाग, गोरखपुर के जनरल मैनेजर के विरुद्ध आरोपों की जांच

*४६—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या परिवहन मन्त्री दिनांक ४ सितम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ४ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि आरोपों की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई है और परिणाम क्या निकला है? और क्या रोडवेज मजदूर सभा, उत्तर प्रदेश (गोरखपुर रीजन), आजमगढ़ के पदाधिकारियों के भी बयान आदि लिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुजफ्फर हसन—

जांच उप-परिवहन आयुक्त (रोडवेज) ने की, जिसके फलस्वरूप बहुत से आरोप निराधार पाये गये, कुछ आरोपों पर अभी जांच हो रही है। मजदूर सभा के पदाधिकारियों के बयान नहीं लिये गये क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं समझी गयी। यदि भविष्य में जरूरत हुई तो उनसे पूछताछ की जा सकती है।

मड़ियाहूं तहसील में आनरेरी मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति संबंधी कमेटी

*४७—श्री जगन्नाथ राव—

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मड़ियाहू तहसील में जिला जौनपुर के अन्तर्गत कोई आनरेरी मैजिस्ट्रेट बेंच का निर्माण हो रहा है? क्या कोई कमेटी ऐसी बनी है जो आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति पर निर्णय करेगी?

श्री सैयद अली जहीर—

जी हां।

*४८—श्री जगन्नाथ राव—

क्या उपरोक्त आनरेरी मैजिस्ट्रेट नियुक्ति संबंधी कमेटी के सदस्यों का नाम बताने का कष्ट करेंगे?

श्री सैयद अली जहीर—

आनरेरी मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति संबंधी कमेटी के सदस्यों के नाम निम्नलिखित हैं:

१—जिलाधीश
२—डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज,
३—श्री त्रिवेनी लाल वकील,
४—श्री लाल बहादुर सिंह, एम० एल० ए०,
५—श्री माताप्रसाद, एम० एल० ए०,
६—श्री रमेश चन्द्र शर्मा, एम० एल० ए०,
७—श्री भगवतीदीन, एम० एल० ए०,
८—श्री रामलखन,
९—श्री रऊफ जाफरी।

रायबरेली जिले में चुनाव में काम करने वाले अध्यापकों को भत्ता न मिलना

*४९—श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली जिले में संसद का उप-चुनाव तथा पंचायत के सामान्य चुनाव सन् १९६० ई० में हुये थे उसमें अध्यापकगणों की नियुक्तियां की गई थीं ? उनका मार्ग व्यय अब तक नहीं दिया गया इसका क्या कारण है ?

श्री सैयद अली जहीर—

हां, रायबरेली जिले में संसद का उप-चुनाव तथा पंचायत के सामान्य चुनाव सन् ६० ई० में हुये थे और उसमें अध्यापकगणों की नियुक्तियां की गई थीं। इन चुनावों में क्रमशः ६६२ और १,३०३ अध्यापकों के मार्ग व्यय बिलों में से २०५ और ५८२ बिलों का भुगतान हो चुका है। शेष ४५७ और ७२१ बिलों के भुगतान न हो सकने का कारण यह है कि अन्तरिम जिला परिषद् से उक्त अध्यापकों के मार्ग व्यय बिल अभी तक आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय एवं जिला पंचायत कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए ।

*५०—श्री भगवानदीन—

क्या सरकार कृपया यह भी बताने की कृपा करेगी कि इस विलम्ब की जिम्मेदारी किसकी है ? क्या दोषी के ऊपर कोई कार्यवाही करने का विचार सरकार का है ? साथ ही अब इसके भुगतान की कब तक आशा है ?

श्री सैयद अली जहीर—

शेष अध्यापकों के मार्ग व्यय बिलों के भुगतान न हो सकने की जिम्मेदारी स्वयं अध्यापकों एवं कुछ अंशों में अन्तरिम जिला परिषद् की है । अन्तरिम जिला परिषद् में मार्ग व्यय बिल देर से प्राप्त हुए और अधिकांश बिलों में अशुद्धियां होने के कारण उन्हें वापस लौटाना पड़ा। कुछ अध्यापकों के स्थानान्तरित होने के कारण बिल समय पर नहीं प्राप्त हुए । इसके अतिरिक्त अन्तरिम जिला परिषद् के बिल क्लर्कों को अध्यापकों के, जिनकी संख्या लगभग १,००० है, मासिक वेतन वितरण के कार्याधिक्य के कारण इस ओर विशेष ध्यान देने का अवसर नहीं प्राप्त हो पाता।

अध्यक्ष, अन्तरिम जिला परिषद् के कथनानुसार अब यह कार्य शीघ्र समाप्त कर लेने का निश्चय किया जा रहा है । आशा है शेष सभी बिलों का भुगतान नए वित्तीय वर्ष १९६३–६४ में किया जा सकेगा ।

*५१—श्री ऊदल, श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर) तथा श्री जमादारसिंह (जिला मेरठ)—

[७ वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*५२—श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)—

[७ वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*५३—श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

[७ वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*५४–५५—श्री भीमाप्रसाद (जिला आजमगढ़) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

[७ वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*५६—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[७ वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*५७—श्री भीमाप्रसाद तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

[७ वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*५८—श्री रघुनाथ (जिला बलिया)—

[७ वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*५९-६०—श्री कृष्णपालसिंह (जिला रायबरेली)—

[७ वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

मथुरा जिले में छोटी नहरें

*६१—श्री राधेश्याम शर्मा—

क्या सिचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला मथुरा के माँट निर्वाचन क्षेत्र में तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो नई माइनरें निकाली व बढ़ाई जा रही हैं कब तक उन पर कार्य आरम्भ हो जायेगा ? कब तक कार्य पूरा होगा ?

श्री राममूर्ति—

सिकन्दरपुर माइनर को बढ़ाये जाने का काम पूरा हो चुका है व भूरासानी माइनर पर काम चल रहा है । यह दोनों कार्य तृतीय योजना काल से पहले स्वीकृत किये जा चुके थे ।

कानपुर में सिटी बसों का चिन्ह

*६२—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर शहर में चलायी जा रही सिटी बसें सरकारी हैं या गैर-सरकारी ? यदि सरकारी हैं तो अन्य रोडवेज बसों की तरह कानपुर की सिटी बसों पर राज्य चिन्ह न अंकित करके शेर की छाप क्यों है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

यह बसें सरकारी हैं परन्तु रोडवेज की बसों पर राज्य चिन्ह नियमानुसार अंकित नहीं किया जा सकता । कानपुर सिटी सर्विस बसों पर शेर की छाप इन बसों को अन्य बसों से भिन्न प्रदर्शित करने के लिये अंकित की गई है ।

*६३—श्री देवदत्त मिश्र—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शहर में विभिन्न स्टेशनों पर बस स्टाप बताने वाले खंभों पर भी शेर की छाप यह बताती है कि कानपुर सिटी बस की व्यवस्था अन्य शहरों से सम्पूर्ण भिन्न है ? यदि ऐसा है, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—

ऐसा नहीं है । बस स्टापों पर शेर का चिन्ह इस विचार से अंकित है कि जन-साधारण को यह ज्ञात हो जावे कि यह बस स्टाप उन बसों के हैं जिनपर शेर का चिन्ह है ।

सरजू कैनाल योजना

*६४—श्री शांतिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा)—

क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरजू कैनाल योजना स्थापित कर दी गई है या समाप्त कर दी गई है ?

श्री राममूर्ति—

सरयू कैनाल योजना इस समय स्थगित कर दी गई है ।

*६५—श्री शांतिचन्द्र शुक्ल—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त योजना से कितनी एकड़ भूमि किन-किन जिलों की लाभान्वित होने को थी ? और उस योजना पर कितनी लागत अनुमानित थी ? इससे कितनी पैदावार का अनुमान था ?

श्री राममूर्ति—

इस योजना से बहराइच जिले की १,००,९८५ एकड़, गोंडा जिले की २,९५,३३९ एकड़ और बस्ती जिले की २,३०,७१५ एकड़ भूमि लाभान्वित होने को थी । इस योजना की अनुमानित लागत २,६०१.६९ लाख रुपये थी और इससे ३१,३५,१९५ मन पैदावार बढ़ाने का अनुमान था ।

*६६—श्री शांतिचन्द्र शुक्ल—

[७ वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

कृषि उत्पादन समिति

*६७—श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार ने मंत्रि-मंडल एवं प्रशासन स्तर पर उप-समितियों का निर्माण किया है ? यदि हां, तो उन समितियों के कौन-कौन सदस्य हैं और उनका मुख्य कारण क्या होगा ?

श्री चरणसिंह—

वर्तमान संकटकालीन स्थिति में कृषि पर अत्यधिक बल देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये मंत्रि-मंडल की एक कृषि उत्पादन समिति बनी है जिसमें निम्नलिखित मंत्रिगण सम्मिलित हैं :

१—मुख्य मंत्री

२—कृषि मंत्री

३—सिंचाई मंत्री

४—सहकारिता मंत्री

५—विकास मंत्री

इस समिति का कार्य है कि उच्च स्तर पर कृषि संबंधी मामलों में शीघ्रता से निर्णय लें । इसके अतिरिक्त एक दूसरी समिति भी अधिकारीय स्तर पर बनाई गई है । इसके सदस्य संबंधित विभागों अर्थात् कृषि, सिंचाई, सहकारिता तथा वित्त विभाग के सचिव तथा विभागाध्यक्ष हैं । नियोजन सचिव एवं विकास आयुक्त इस समिति के चेयरमैन हैं । इस कमेटी के कार्य हैं :

(क) कृषि उत्पादन कार्यों पर समन्वयित रूप से विचार करना, ठोस निर्णय लेना तथा उनके कार्यान्वयन को निरन्तर देखते रहना ।

(ख) कृषि उत्पादन के कार्यों की प्रगति का अवलोकन करना और मंत्रि-मंडल की उक्त कमेटी को इस दिशा में बराबर सूचित करते रहना ।

*६८—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर कितना अन्न उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और अब तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कहां तक सफलता मिली है ?

श्री शरणसिंह—

तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में १८२.८६ लाख टन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । १९६१–६२ में १४४.१२ लाख टन अन्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । १३९.१५ लाख टन की ही पूर्ति हो सकी । निर्धारित लक्ष्य जाड़े के महीनों की खराब मौसम की स्थिति के कारण प्राप्त नहीं किया जा सका । १९६२–६३ में अन्न उत्पादन का लक्ष्य १५३.३४ लाख टन रखा गया है और ऐसी आशा की जाती है कि यह पूर्ण रूप से प्राप्त हो जायेगा । १९६३–६४ में १५६.५८ लाख टन अन्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

महानगर लखनऊ में अधीक्षकों के क्वार्टर

*६९—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतलायेंगे कि महानगर, लखनऊ में निर्मित अधीक्षकों के क्वार्टर सहायक अधीक्षकों को भी दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

जी हां । केवल एक सहायक अधीक्षक के पास अधीक्षकों के लिये बना हुआ एक क्वार्टर है । इस क्वार्टर का आवंटन उन्हें सन् १९५८ में, जब कि वह अधीक्षक के पद पर कार्य कर रहे थे, किया गया था । सन् १९६१ में अधीक्षक के पद के पदावनति होने के पश्चात् उनसे नियमानुसार क्वार्टर का किराया वेतन के १० प्रतिशत के बजाय क्वार्टर का स्टैन्डर्ड रेंट (Standard Rent) लिया जाता है ।

*७०—श्री रक्षपाल सिंह—

क्या यह सत्य है कि अधीक्षकों के क्वार्टर ऐसे अधीक्षकों को भी दिये गये हैं जिनके पास अपने निजी मकान हैं तथा जिनका निर्माण हाउस बिल्डिंग ऐडवांस लेकर किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं ।

*७१—श्री जयगोपाल—

[८ वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*७२—श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—

[७ वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

आजमगढ़ जिले में गांव ऊंचे करने का कार्य

*७३—श्री मारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बतायेंगे कि १९६२–६३ और १९६३–६४ के वित्तीय वर्षों में आजमगढ़ जिला में प्रत्येक तहसील में कितने और कौन-कौन गांव बाढ़ अथवा पानी के ठहरने के प्रकोप से बचने के लिये ऊंचे किये गये हैं अथवा किये जाने वाले हैं ?

श्री राममूर्ति—

वांछित सूचना संलग्न सूची में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७९४–७९५ पर)

*७४—श्री झारखंडेराय—

इन गांवों में कितने-कितने गांव, प्रत्येक तहसील में ताल-क्षेत्र में स्थित हैं ?

श्री राममूर्ति—

इन में से कोई गांव ताल क्षेत्र में स्थित नहीं है ।

चम्बल के बीहड़

*७५—श्री झारखंडेराय—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य में चम्बल के बीहड़ों को कृषि योग्य बनाने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री चरणसिंह—

इस संबंध में अभी तक कोई योजना नहीं बनाई गई है ।

*७६—श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)—

[२६ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया ।]

*७७—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

[७ वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

लखावती बीज फार्म का आय-व्यय

*७८—श्री काशीप्रसाद द्विवेदी (जिला झांसी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले की गरोठा तहसील में लखावती में बने उन्नतिशील बीज फार्म में वित्तीय वर्ष १९६०–६१ व १९६१–६२ में कितनी आय हुई तथा कितना व्यय हुआ ?

श्री चरण सिंह—

आय-व्यय का विवरण निम्नलिखित है :

आय		व्यय
	रु०	रु०
१९६०–६१	५,८११	४,४४८
१९६१–६२	२,३६९	६,५६४

मत्स्य प्रशिक्षण

*७९—श्री रतीपाल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मथुरा में कब से मत्स्यपालन की ट्रेनिंग प्रारम्भ हुई है तथा तब से आज तक उस ट्रेनिंग में कितने-कितने लोग हर साल या हर बैच में प्रशिक्षित हुये हैं?

श्री चरणसिंह—

उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा तथा पशु पालन महाविद्यालय, मथुरा पर ८ अगस्त, १९६० से ७ नवम्बर, १९६१ तक मत्स्य प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया जिसके अन्तर्गत ६७ व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया, विस्तृत विवरण संलग्न तालिका में दिया है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७६६ पर)

*८०—श्री रतीपाल—

क्या यह सच है कि मथुरा का मत्स्य ट्रेनिंग कैम्प तोड़कर चिनहट, लखनऊ में लाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—

मथुरा का मत्स्य प्रशिक्षण केन्द्र नवम्बर, १९६१ में बंद कर दिया गया जब नये सुपर-वाइजरों की ट्रेनिंग पूरी हो गई । इसके स्थान पर परिवर्धित रूप से विभागीय प्राविधिक कर्मचारियों को मत्स्य विकास एवं शोध की आधुनिक शिक्षा देने के लिये मत्स्य फार्म, कठौता ताल (चिनहट), लखनऊ पर एक इनसर्विस फिशरीज ट्रेनिंग सेंटर की व्यवस्था की जा रही है। यह विचार किया गया है कि इन सर्विस प्रशिक्षण मत्स्य फार्म के ऊपर अधिक अच्छी प्रकार होगी ।

*८१—श्री कैलाश—

[७ वें मंगलवार के लिए स्थगित किया गया ।]

बलिया जिले में लघु सिंचन तथा बाढ़ नियंत्रण योजनाएं

*८२—श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बलिया जिले में लघु एवं वृहद् सिंचाई तथा बाढ़-नियंत्रण की योजनाओं की क्या रूप-रेखा है और अलग-अलग इन पर कितना अनुमानित व्यय होगा ?

श्री राममूर्ति—

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बलिया जिले में लघु सिंचन तथा बाढ़ नियंत्रण की योजनाओं की रूपरेखा तथा उन पर अनुमानित व्यय संलग्न सूचना के अनुसार है ।

वृहद सिंचाई की कोई भी योजना नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७६७–७६८ पर)

बलिया जिले में नलकूप एवं आघरा का कटाव

*८३—श्री गंगाप्रसादसिंह—

क्या यह सही है कि जिला बलिया में पिछले द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कुछ नलकूपों का अभी तक निर्माण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो ऐसे कितने हैं और कहां-कहां पर लगने हैं ?

श्री राममूर्ति—

जी हां । केवल चार ऐसे नलकूप हैं । जिन स्थानों पर इनका निर्माण हो रहा है वह नीचे दिये हुये हैं :—

क्रम-संख्या	गांव का नाम
१	नागपुर
२	निम्बू कबीरपुर
३	सहानी,
४	लखनेश्वर डीह ।

*८४---श्री गंगाप्रसादसिंह---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि घाघरा नदी द्वारा जिला बलिया में किन-किन ग्रामों में या ग्रामों के समीप कटान आरम्भ है और सरकार उसके रोक थाम के लिये क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री राममूर्ति---

सम्बन्धित ग्रामों की सूची संलग्न है । घाघरा नदी द्वारा सामान्य कटाव सर्वदा हुआ करता है । कभी कुछ भूमि कट जाती है और फिर बाद में कुछ भूमि नदी से बाहर निकल आती है । इस प्रकार सामान्य कटान के रोकने का प्रबन्ध करना सम्भव नहीं है । फिर भी तहसील बलिया में ग्राम सुरेमानपुर के निकट बलिया-छपरा लाइन और वहां की भूमि के कटान से रोकने हेतु ५३.१८ लाख की लागत पर १५ पुराने बल्लियों के ठोकरों का पुनरुद्धार व ४ पक्के ठोकरों के निर्माण का कार्य हाथ में लिया गया था जिस में से पहला कार्य १९६२ की वर्षा के पूर्व पूर्ण हो गया था और अब ४ पक्के ठोकरों का निर्माण हो रहा है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७६१ पर)

आजमगढ़ जिले में भेड़ बकरियों की बीमारी

*८५---श्री गंगाप्रसादसिंह---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९६१-६२ में किसी बीमारी के कारण जिला आजमगढ़ में बकरियां और भेड़ें काफी संख्या में मरी हैं ? यदि हां, तो किस बीमारी से ?

श्री चरणसिंह---

सन् १९६१-६२ में जिला आजमगढ़ में बकरियां तथा भेड़ों के मरने की सूचना प्राप्त नहीं हुई, लेकिन १९६२-६३ में अब तक ३,९९२ भेड़ों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई इसमें ज्यादातर लिवर फ़लूक (lever fluke) से रोग ग्रस्त हो कर मरीं ।

अतारांकित प्रश्न

फर्रुखाबाद जिले में नलकूप

१---श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फ़र्रुखाबाद)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नलकूप नं० ९, फर्रुखाबाद का डिस्चार्ज क्या है ? यदि इस नलकूप का डिस्चार्ज कम हो, तो उसका बोरिंग अब तक न कराने का क्या कारण है ?

२---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिला में इस वर्ष कितने नलकूप बनाये जा रहे हैं और ये कहां-कहां ?

३---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि तहसील कायमगंज की ग्राम सभा हरसिंह पुरगौवा, अमिलइया आशानन्द और खलवारा, बलीपुर क्षेत्र में नलकूप लगाने का कोई विचार है ? यदि नहीं, तो इस क्षेत्र से सिंचाई की कौन-सी योजना लागू होगी ?

श्री राममूर्ति---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सेरिया ग्राम वासियों को आवागमन में कठिनाई

४---श्री काशीप्रसाद द्विवेदी---

क्या सरकार को पता है कि झांसी जिले की गरौठा तहसील में ग्राम सेरिया की जनता को दिन-रात नहर के नीचे से पानी भरे नाले से गुजरना पड़ता है ? यदि हां, तो सरकार नहर के ऊपर से रास्ता बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति--

ग्राम सेरिया के जनता के आवागमन हेतु ग्राम से केवल १ १/२ फर्लांग के करीब गुरसराय नहर पर पुल है, अतएव नहर के ऊपर नवीन पुल बनाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

५-६--श्री बेदराम (जिला एटा)--

[२२ मार्च, १९६३ के लिये प्रश्न १६-१७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

७-८--श्री घासीराम जाटव (जिला इटावा)--

[७ वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

ट्रान्सपोर्ट एजेन्सियां

९--श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ट्रांसपोर्ट एजेंसियां, उत्तर प्रदेश में कितनी हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन--

प्रादेशिक सरकार द्वारा ऐसा ब्यौरा नहीं रखा जाता है ।

१०--श्री मुरलीधर कुरील--

क्या सरकार उपरोक्त एजेंसियों को नियंत्रित करने तथा माल की सुरक्षा के लिये नियम बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुजफ्फर हसन--

ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

११-१२--श्री बांकेलाल--

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

कुकरा परगना से बरसाती पानी निकालने की योजना

१३--श्री छेदीलाल चौधरी तथा श्री बंकटासिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसके पास परगना कुकरा, जिला खीरी की खीरी शाखा और इमलियां रजबहा कोन्धवां फार्म और बांकेगंज के मध्यवर्ती भाग में बहुधा पानी जमा (water loging) रहने वाले पानी के ड्रेन आफ करने के लिये कोई योजना है ? यदि हां, तो उस पर कब तक व्यौहार होने वाला है ?

श्री राममूर्ति--

जी हां, ऐसी योजना तो है किन्तु यह तृतीय प्लान में सम्मिलित नहीं है । यह कब तक कार्यान्वित होगी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता ।

१४--श्री छेदालाल चौधरी तथा श्री बंकटासिंह--

[७ वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

खीरी जिले में बरसाती पानी का जमाव

१५--श्री छेदालाल चौधरी तथा श्री बंकटासिंह--

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि हुसेनापुर मजरा बेरिहातारन, बिशनपुर, मजरा भन्सरिया व गोल्हवापुर मजरा छाउछ परगना व जिला खीरी, खीरी शाखा के जमा हुये (water loging) के निकालने के लिये साइफन बनाने की योजना बनेगी ?

श्री राममूर्ति--

जी हां ।

१६--श्री रामसुन्दर पांडेय--

[७ वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

१७-१९--श्री रघुनाथसिंह--

[७ वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

२०--श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)--

[७ वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

मुखलिसपुर, मेंहदावल बस स्टेशनों पर सफाई कर्मचारी

२१--श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जिला में मुखलिसपुर और मेंहदावल में जो बस स्टेशन बने हैं, वहां पर हर समय के लिये सफाई कर्मचारी न रखने के कारण बसों की सफाई नहीं हो पा रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन--

ऐसा नहीं है । पूरे समय के कर्मचारियों की नियुक्ति आवश्यक नहीं है ।

२२--श्री जगन्नाथ राय, श्री चन्द्रबलीसिंह तथा श्री ऊदल--

[हटा दिया गया ।]

२३-२५--श्री कृष्णपालसिंह--

[७ वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

वाराणसी जिले में कृषि रक्षा-कार्य

२६--श्री रघुनाथसिंह--

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में जो राज्य में १ करोड़ एकड़ फसलों तथा फल के वृक्षों पर कृषि रक्षा कार्य तथा ३१,६०० किसानों के प्रशिक्षण का लक्ष्य बनाया गया है, उसमें वाराणसी जिले का अंश क्या है ?

श्री चरणसिंह--

तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में वाराणसी जिले में दो लाख एकड़ फसलों तथा फल के वृक्षों पर कृषि रक्षा का कार्य तथा ७५० किसानों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है ।

२७--श्री रघुनाथसिंह--

विगत सन् १९६१-६२ और १९६२-६३ के वर्षों में उपरोक्त दोनों कार्यों के लक्ष्यों में कितनी पूर्ति की जा चुकी है ?

श्री चरणसिंह--

सन् १९६१-६२ में वाराणसी जिले के लिये यह लक्ष्य २०,००० एकड़ भूमि पर कृषि रक्षा कार्य तथा ११० किसानों का प्रशिक्षण तथा १९६२-६३ में ३०,००० एकड़ भूमि पर कृषि रक्षा कार्य तथा १६० किसानों का प्रशिक्षण था । इन लक्ष्यों की पूर्ति में सन् १९६१-६२ में ४३,४१२

एकड़ भूमि पर कृषि रक्षा कार्य तथा १३३ किसानों को प्रशिक्षित किया गया । सन् १९६२-६३ के फरवरी माह तक ४१,८४८ एकड़ भूमि में कृषि रक्षा कार्य तथा ५०३ किसानों को प्रशिक्षित किया गया ।

२८--श्री रघुनाथसिंह-

प्रशिक्षण के लिये किसानों को चुने जाने का आधार और नियम क्या है, प्रशिक्षण के बाद विभागीय कर्मचारियों का सम्पर्क और देखरेख इन प्रशिक्षित किसानों के कार्यों पर बराबर बनी रहती है ? यदि हां, तो किस रूप में ?

श्री चरणसिंह--

प्रदेश में विभिन्न सचल प्रशिक्षण दल (Mobile Training Teams) के अध्यक्षों को यह आदेश दिये जा चुके हैं कि वे पहले कृषि एवं उत्पादन समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण दें और इसके बाद किसानों को प्रशिक्षित करें । किसानों का चुनाव क्षेत्र विकास अधिकारी द्वारा किया जाता है और उन्हीं का सम्पर्क तथा देख-रेख उन किसानों के कार्य पर बनी रहती है ।

२९--श्री कोतवालसिंह भदौरिया--

[हटा दिया गया ।]

३०--श्री चन्द्रजीत यादव--

[७ वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

३१-३४--श्री चन्द्रबलीसिंह--

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

३५-३७---श्री चन्द्रपाल (जिला बस्ती) तथा श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)--

[६ ठे मंगलवार के लिये प्रश्न ३-५ के अन्तर्गत स्थगित किये गये ।]

३८--श्री श्रीराम--

[७ वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

बाराबंकी जिले में मेकनाइज्ड फार्म

३९--श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा) तथा श्री सुखदेवप्रसाद--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले में ग्राम कुसहरी घाट, कमियार घाट एवं उल्टहवा में सरकार की ओर से मेकनाइज्ड फार्म-कृषि खोला गया था ? यदि हां, तो उसमें कितनी लागत लगी और अब वह किस अवस्था में है ?

श्री चरणसिंह--

जी हां । इस फार्म पर भूमि अध्याप्ति भवन निर्माण फेंन्सिग, पशुधन, ट्रैक्टर एवं मशीनरी में कुल मिला कर ३,२१,६०५ रु० की लागत लगी थी । फार्म को सन् १९५६ से बन्द कर दिया गया है तथा इसकी भूमि किसानों को ७ साल के पट्टे पर दी जा रही है ।

४०--श्री सूरजलाल गुप्त वकील तथा श्री सुखदेवप्रसाद--

उक्त फार्म कितने बीघे का है ? कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं एवं कितना आय तथा व्यय होता है ?

श्री चरणसिंह--

फार्म का कुल क्षेत्रफल २,४०१.९४ एकड़ है और इस समय वहां पर एक फार्म असिस्टेन्ट तथा दो चौकीदार कार्य कर रहे हैं । फार्म पर लगभग ३,३८४ रु० प्रति वर्ष खर्च होता है तथा लगभग ३,५०० रु० की आय होती है ।

४१---श्री सूरजलाल गुप्त वकील तथा श्री सुखदेवप्रसाद---

क्या सरकार को पता है कि माह दिसम्बर, १९६२ में माधुरी कुंड कृषि फार्म मथुरा के खलिहान में आग लग गयी थी ? यदि हां तो, सरकार की कितना हानि हुई ?

श्री चरणसिंह---

दिसम्बर, १९६२ में कोई आग नहीं लगी । नवम्बर माह में भूसे के एक ढेर में आग लगने के कारण लगभग १,००० मन भूसा जल गया और लगभग २,००० रु० की हानि हुई ।

४२---४४---श्री नित्यानन्द पांडेय (जिला कानपुर)---

[२६ मार्च, १९६३ के लिये प्रश्न ४८-५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

नैनीताल में स्लीपी हौलो के बंगले

४५---श्री शिवदानसिंह (जिला अलीगढ़)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६२ में नैनीताल के स्लीपी हौलो के सरकारी बंगले किन-किन व्यक्तियों पर किराये पर रहे ?

श्री राममूर्ति---

स्लीपी हौलो के बंगले जिन व्यक्तियों के पास किराये पर रहे उनका नाम संलग्न सूची (क) पर दिये गये हैं ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ७७० पर)

४६---श्री शिवदानसिंह---

क्या उपरोक्त बंगले इस वर्ष की गर्मियों में भी विधान मंडल के सदस्यों को किराये पर दिये जा सकेंगे ?

श्री राममूर्ति---

सरकार ने अभी इस प्रश्न पर विचार नहीं किया ।

४७---श्री शिवदानसिंह---

क्या सरकार विधान मंडल से उन सदस्यों के नाम बतलाने की कृपा करेगी कि जिनको उनके मांगने पर नैनीताल में सरकारी निवास-स्थान गत वर्ष न दिये जा सके हों ?

श्री राममूर्ति---

सूचना संलग्न सूची (ख) पर दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ७७१ पर)

४८-५०---श्री विजयपालसिंह---

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये]

५१---श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपूर)---

[२८ मार्च १९६३ के लिए प्रश्न ३९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

५२---श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)---

[७वें मंगलवार के लिए स्थगित किया गया ।]

जौनपुर जिले में नलकूपों की बिजली अवस्था

५३---श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निम्नलिखित ट्यूबवैल में बिजली अब तक क्यों नहीं दी जा सकी है ?

(१) मटहर ट्यूबवैल, तहसील मछलीशहर जौनपुर ।
(२) मुबारकपुर ट्यूबवैल, तहसील मछलीशहर, जौनपुर ।
(३) मीरपुर उमरी, तहसील मछलीशहर, जौनपुर ।
(४) करिअांव, तहसील मछलीशहर, जौनपुर ।

श्री राममूर्ति---

बिजली के खम्भे एवं कन्डक्टरों के न मिलने की वजह से इन नलकूपों पर बिजली अभी तक नहीं पहुंच सकी है । ऐसी आशा की जाती है कि यह खम्भे और कन्डक्टर जून, १९६३ तक मिल जायेंगे ।

५४---श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नीमापुर तथा मोलनापुर नलकूप तहसील मछलीशहर, जौनपुर, पर्याप्त मात्रा में पानी क्यों नहीं दे पा रहे हैं ?

श्री राममूर्ति---

ये नलकूप ऐसे क्षेत्र में बने हैं जहां पर ४०० फुट तक की गहराई पर पर्याप्त मात्रा में पानी प्राप्त नहीं हो सकता है । नीमापुर तथा मोलनापुर नलकूप क्रमशः ४०० फुट तथा २५६ फुट की गहराई तक बोर किये गये हैं किन्तु ये नलकूप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं दे पा रहे हैं । ये नलकूप फेल घोषित कर दिये गये हैं और उनका पुनर्निर्माण विचाराधीन है ।

५५---श्री गंगाप्रसादसिंह---

[हटा दिया गया ।]

गांव ऊंचा करने की योजना

५६---श्री कल्पनार्थसिंह---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में कुल कितने गांव पूर्वी जिलों में बाढ़ क्षेत्रों में ऊंचे करने की योजना सरकार ने बनाई है तथा उस पर कुल कितना अनुमानित व्यय होगा ?

श्री राममूर्ति---

प्रदेश अब तक ५,४४४ गांव पूर्वी जिलों में बाढ़ क्षेत्रों में ऊंचे करने की योजना बनाई गई है । इन गांवों को ऊंचा कराने की अनुमानित लागत ५,९५,८४,३०० रुपये हैं ।

५७---श्री कल्पनार्थसिंह---

उपरोक्त योजना में कितने-कितने गांव किस-किस जिले में और गोरखपुर जिले के कौन-कौन से गांव हैं ?

श्री राममूर्ति---

इसका ब्योरा निम्न प्रकार है :---

गोरखपुर	..	..	..	..	१,०००
बस्ती	..	..	..	..	१,१३९

देवरिया	..	..	..	..	६५८
बहराइच	..	..	..	..	२४०
बलिया	..	..	..	..	१८५
आजमगढ़	..	..	..	..	४२२
गाजीपुर	..	..	..	..	५१५
जौनपुर	..	..	..	..	२०१
सुल्तानपुर	..	..	..	..	१२५
प्रतापगढ़	..	..	..	..	१००
गोंडा	..	..	..	..	३५१
फैजाबाद	..	..	..	..	३५८
इलाहाबाद	..	..	..	..	१००
वाराणसी	..	..	..	..	५०
			योग	..	५,४४४

गोरखपुर जिले के गांवों की संख्या १,००० है । सदस्य महोदय यदि चाहें तो सूची मेरे कमरे में देख सकते हैं ।

५८---श्री कल्पनाथसिंह---

इस योजना में जन-शक्ति उपयोग (मैन पावर यूटिलाइजेशन) योजना के अन्तर्गत कितने गांव किस-किस जिले में ऊंचे किये जायेंगे और अन्य तरीकों से कितने गांव ऊंचे किये जायेंगे ?

श्री राममूर्ति---

जो गांव जन-शक्ति उपयोग योजना के अन्तर्गत अभी तक लिये गये हैं इनका ब्योरा निम्न-लिखित है :---

गोरखपुर	..	..	..	..	७५
बस्ती	..	..	..	..	२१९
देवरिया	..	..	..	..	११८
बहराइच	..	..	..	..	४०
बलिया	..	..	..	..	११
आजमगढ़	..	..	..	..	२१
गाजीपुर	..	..	..	..	१५
जौनपुर	..	..	..	..	१
सुल्तानपुर	..	..	..	..	२५
गोंडा	..	..	..	..	१५१
फैजाबाद	..	..	..	..	८
			योग	..	६८४

शेष गांव अन्य तरीकों से ऊंचे किये जाने हैं ।

फतेहपुर जिले में पशु चिकित्सालय तथा स्टाकमैन सेण्टर

५९—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फतेहपुर जिले में प्रत्येक विकास खंड स्तर पर पशु-चिकित्सालय और स्टाकमैन सेन्टर इस समय कहां-कहां हैं तथा कार्य कर रहे हैं, और तृतीय पंचवर्षीय आयोजन-काल में उक्त जिले के प्रत्येक विकास खंड के किस स्थान में पशु चिकित्सालय अथवा स्टाकमैन सेन्टर स्थापित करने का निर्णय शासन के विचाराधीन है ?

श्री चरणसिंह—

फतेहपुर जिले में इस समय १३ विकास खंड है। अमोली और धाता विकास खंडों को छोड़ कर प्रत्येक विकास खंड में एक पशु चिकित्सालय है तथा देवमई ब्लाक में दो और शेष प्रत्येक विकास खंड में एक स्टाकमैन सेन्टर है। इसका विवरण संलग्न तालिका में दिया है।

ब्लाक हैड क्वार्टर अमौली में शीघ्र ही एक पशु चिकित्सालय खुलने जा रहा है। इस स्थान पर पशु चिकित्सालय खुलने पर वर्तमान पशु सेवा केन्द्र अमौली से हटा कर धांवपुर स्थापित किया जायगा। धाता ब्लाक में अगले साल पशु चिकित्सालय खुलने की आशा है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ७७२ पर)

एस०पी०सी०ए० डिपार्टमेंट, लखनऊ

६०—श्री शारदानन्द दीक्षित (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि एस० पी० सी० ए० डिपार्टमेंट, लखनऊ में है ? यदि हां, तो उसका कार्य क्या है और यह उत्तर प्रदेश के किन-किन नगरों में है ? लखनऊ में इस विभाग में कतने कर्मचारी हैं ? उनका व्यय कहां होता है ?

श्री चरणसिंह—

जी हां। लखनऊ में एस० पी० सी० ए० है। इस संस्था का कार्य पशु स्वामियों द्वारा पीड़ित, मूक पशुओं की दशा की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये इन निरीह पशुओं के प्रति न्याय, दया तथा मानवीय व्यवहार की भावना पैदा करना है। ऐसी संस्थायें उत्तर प्रदेश में कानपुर व सहारनपुर व बरेली, लखनऊ, मेरठ, मसूरी, फर्रुखाबाद तथा देहरादून में चल रही हैं।

एस० पी० सी० ए० एक विभाग नहीं है किन्तु ये गैर-सरकारी संस्थायें विभिन्न नगरों में हैं जो पशु निर्दयता निरोध कानून को कार्यान्वित करने का प्रयत्न करती हैं। ये पशु पालन विभाग के अन्तर्गत नहीं है।

उखनऊ एस० पी० सी० ए० में निम्नलिखित कर्मचारी कार्य कर रहे हैं:—

अवैतनिक

१—अध्यक्ष
२—मंत्री
३—कोषाध्यक्ष
४—कानूनी सलाहकार

वैतनिक

१—एक वेटरनरी आफिसर
२—एक सुपरिन्टेन्डेन्ट

३—दो इन्सपेक्टर
४—एक पार्ट टाइम इन्सपेक्टर
४—एक अटेन्डेन्ट
६—चार अर्दली
७—एक चौकीदार
८—एक मेहतर

कर्मचारियों का वेतन यह संस्था स्वयं देती है। लखनऊ एस० पी० सी० ए० को प्रतिवर्ष २,४०० रुपया सरकार से आर्थिक सहायता के रूप में मिलता है। इसके अतिरिक्त इस संस्था को न्यायालय द्वारा अपराधियों पर लगाये गये जुरमाने से भी आय होती है।

६१—श्री शारदानन्द—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उक्त डिपार्टमेंट में जो कि आये दिन ग्रामीण बैलगाड़ी वालों से तथा इक्के तांगे वालों से उनके जानवरों को चोट इत्यादि बता कर धन वसूल कर लेते हैं क्या इसका कहीं हिसाब भी उनके पास रहता है? यदि हां, तो सन् १९६१–६२ में वह धनराशि क्या थी?

श्री चरणसिंह—

एस० पी० सी० ए० के इन्सेपक्टर जब किसी व्यक्ति को पशुओं के प्रति पशु निर्दयता निरोध कानून के अन्तर्गत कोई अपराध होता देखते हैं तो उनका चालान करते हैं और यदि पशु निर्दयता निरोध कानून (१८९० का ऐक्ट ११) की धारा में दी गई अयोग्यताओं या व्यक्तियों से पीड़ित पाया जाता है जहां वेटरीनरी आफिसर उनकी जांच करता है। यदि पशु पीड़ित अवस्था में है तो पशुओं को वहीं रोक लिया जाता है और पशु स्वामी को रसीद दे दी जाती है। यह चालान के मामले कचहरी भेज दिये जाते हैं जहां मैजिस्ट्रेट जुरमाना वसूल करता है जो कचहरी में जमा हो जाता है जिसके लिये संस्था प्रत्येक व्यक्ति को रसीद देती है इस प्रकार १९६१–६२ में इस संस्था को ६,३२२ रुपये की आय हुई।

६२—श्री शारदानन्द—

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि उपरोक्त डिपार्टमेंट वाले उन बैलगाड़ी वालों को बैल ले जाते समय कोई बैल ले जाने की रसीद भी देते हैं या उस जानवर में कोई खराबी होती है उसका भी हवाला देते हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस डिपार्टमेंट की ज्यादतियों की छानबीन करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री चरणसिंह—

जैसा कि प्रश्न संख्या ६१ के उत्तर में ऊपर बताया जा चुका है कि जिन पशुओं के घाव या बीमारी आदि होती है उन्हें पशु चिकित्सालय पर रोक लिया जाता है। पशु स्वामी या गाड़ीवान को जानवर की रसीद दे दी जाती है जिस पर वेटरीनरी डाक्टर के हस्ताक्षर होते हैं।

नहवानीपुर नलकूप

६३—श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार को पता है कि रबी की फसल को जब पानी की अत्यन्त आवश्यकता थी उस समय वाराणसी जिलान्तर्गत नहवानीपुर नलकूप अकारण ही कई महीने तक बन्द रहा जिससे किसानों को बहुत हानि उठानी पड़ी है?

श्री राममूर्ति—

यह नलकूप ट्रान्सफार्मर जल जाने की वजह से लगभग १ १/२ महीने बन्द रहा। पर इससे किसानों को कोई विशेष क्षति नहीं हुई क्योंकि यह नलकूप अप्रैल, १९६२ में ही चालू हुआ था।

६४—श्री गयाप्रसाद—

यह नलकूप किस कारण और किस कर्मचारी की असावधानी से बन्द रहा ? क्या सरकार उसके संबंध में कुछ कार्यवाही करेगी ?

श्री राममूर्ति—

इसके विषय में जांच की जा रही है।

६५—श्री गयाप्रसाद—

क्या किसानों की क्षतिपूर्ति सरकार किसी रूप में करेगी ?

श्री राममूर्ति—

चूंकि किसानों को कोई विशेष हानि नहीं हुई अतः क्षति पूर्ति का प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी (संशोधन) विधेयक, १९६२

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, आप की अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९६२ पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २२ अक्तूबर, १९६२ की बैठक में पारित किया था और जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १२ दिसम्बर, १९६२ की बैठक में कुछ ऐसे संशोधनों सहित पारित किया जिन्हें विधान परिषद् ने अपनी १४ दिसम्बर, १९६२ की बैठक में स्वीकार किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक २ मार्च, १९६३ को प्राप्त हो गयी है और वह १९६३ का उत्तर प्रदेश का आठवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) संशोधन विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) संशोधन विधेयक, १९६३, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ८ फरवरी, १९६३ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १५ फरवरी, १९६३ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक ५ मार्च, १९६३ को प्राप्त हो गयी है और वह १९६३ का उत्तर प्रदेश का नवां अधिनियम बन गया।

बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐन्ड इंटरमीडिएट एजूकेशन की परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र खुल जाने से सम्बन्धित शिक्षा मंत्री के वक्तव्य में कथित असत्य कथन के विषय पर विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय राधेश्याम ने एक विशेषाधिकार की सूचना मुझे दी है। नियमों में यह है कि विशेषाधिकार की सूचना के संबंध में मैं प्रारम्भिक जांच कर सकता हूं और जिस सदस्य के

[श्री अध्यक्ष]

विरुद्ध उठाया जाय उससे पूछ सकता हूं। माननीय राधेश्याम जी को यह शिकायत है शिक्षा मंत्री के विरुद्ध कि उन्होंने अलीगढ़ में जो एग्जामिनेशन पेपर्स के संबंध में गिरफ्तारियां हुई हैं, उनके संबंध में गलत बयान दिया है। मैं माननीय राधेश्याम जी से कहूंगा कि कृपया इसकी प्रतिलिपि माननीय मंत्री के पास भेज दें ताकि मैं उनसे कुछ जांच कर लूं।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, मैंने भेज दिया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस को पढ़ कर सुनाइये चार बजे मुझे तार मिला है।

शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)—

मेरे पास इस समय तक कोई कापी नहीं पहुंची है। मैं देख कर बता सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा तो कल, मैं आप से पूछूंगा।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

माननीय काशीनाथ मिश्र ने लिखा है कि बलिया शहर के कुंवरसिंह इंटर कालेज में परीक्षा केन्द्र है, वहां व्यापक तरीके पर नकल हो रही है, और परीक्षा निरीक्षक परीक्षार्थियों से रिश्वत लेकर नकल करवा रहे हैं। यह बात लिख कर कहा है कि नियम ५२ के अन्तर्गत इसको उठाने की आज्ञा दी जाय। मैं आदरणीय सदस्य से यह कहूंगा कि इस प्रकार की अस्पष्ट बात पर यहां कोई विचार नहीं किया जा सकता, कहां पर सरकार का संबंध आता है, कहां पर बोर्ड का आता है, कहां पर इनविजिलेटर्स आते हैं, उनका सरकार से क्या संबंध है वह स्पष्ट-तया इस बात को विदित करेंगे कि किस प्रकार सरकार उसके लिये जिम्मेदार है।

तो यह वेग बात है। मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, लखनऊ शहर में भी १५ आदमी पकड़े गये हैं, तो यह लखनऊ में भी हो रहा है और बलिया में भी हो रहा है.....

श्री अध्यक्ष—

माननीय काशीनाथ जी, अब आप आसन ग्रहण करें। इसका मतलब यह हो गया कि व्यापक या अव्यापक रूप से जहां भी नकल हो रही है वहां पर हमारे अधिकारीगण जागरूक हैं और इसीलिये १५ आदमी पकड़े गये। तो यह इस बात का सबूत है कि जो आपने स्टेटमेंट दिया है उसकी पुष्टि नहीं होती। इसलिये मैं इसे स्वीकार नहीं करता।

तिब्बती शरणार्थियों के प्रति समवेदना प्रकट करने तथा दलाई लामा के साथ सहानुभूति व्यक्त करने के सम्बन्ध में नियम १०६ तथा ११३ के अन्तर्गत प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

काशीनाथ जी ने एक और प्रस्ताव नियम १०६ तथा ११३ के अन्तर्गत मेरे सामने रखा है। हम बहुत आदर करते हैं उनके विचारों का। लेकिन अब आप कहते हैं कि हम तिब्बत स्वतंत्रता संग्राम सेना संगठित करने का प्रयास करें और दलाई लामा के अनुयायियों के साथ

सहानुभूति प्रकट करें, यह बहुत अच्छा विषय है जो हम विधान सभा में नहीं बल्कि पार्लियामेंट्री फोरम में डिस्कस कर सकते हैं. . . .

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, तिब्बत में यह प्रचार हो रहा है कि दलाई लामा की हत्या हिन्दुस्तान में हो गई, इसलिये उनको सलाह दी जाय कि वह इसका प्रचार करें. . .

श्री अध्यक्ष—

काशीनाथ जी, इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि हम आपकी बात की बहुत कदर करते हैं, लेकिन हमारे अधिकार के बाहर जो चीज है उसको हम नहीं ले सकते हैं।

लखनऊ औद्योगिक प्रदर्शनी के "मां की पुकार" कक्ष की पुलिस द्वारा तलाशी लेने तथा सामान उठा ले जाने के सम्बन्ध में नियम ५३ के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

अब तक नियम ५३ की सूचना मेरे पास आदरणीय श्रीपालसिंह जी, माननीय राजेन्द्र सिंह जी और हिम्मतसिंह जी के द्वारा आयी है। यह "मां की पुकार" हमारे प्रदेश में एक सरदर्द हो रहा है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

आप अपनी अनुज्ञा देने के पहले मुझे सुन लीजियेगा, नहीं तो मैं कुछ कह नहीं सकूंगा।

श्री अध्यक्ष—

अनुज्ञा दे दूंगा तो आपको कोई शिकायत नहीं होगी। इसमें तीन बातें कही गई हैं। एक बात तो यह कि "मां की पुकार" के जो संयोजक या आयोजक थे उन्होंने स्वयं यह घोषणा कर दी थी कि हम इस कक्ष को समाप्त कर रहे हैं। एक शिकायत तो यह है। दूसरी यह है कि पुलिस वालों ने अमानवीय ढंग से बर्त्ताव किया। शायद जबर्दस्ती सामान उठाकर ले गये। तीसरी बात उन्होंने यह कही है कि परिचारक जो वहां उपस्थित थे उनके साथ अत्यंत अभद्र और अशोभनीय व्यवहार किया गया।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कल आप एक व्यवस्था इसी पर दे चुके हैं, (व्यवधान) तो इसको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

मैं बतलाता हूं। मेरी बात सुन लीजिये। मैं यह कह रहा था कि आप एक घोषणा कर चुके थे कि हम प्रदर्शनी बन्द कर रहे हैं, उसको सरकार ने बन्द कर दिया, तो उसके संबंध में शिकायत कोई साधारणतया नहीं होनी चाहिये। रहा अब प्रश्न अमानवीय ढंग से तलाशी लेने और अभद्रता से व्यवहार करने का तो ये दोनों इतने वेग शब्द हैं कि जिनके संबंध में मैं सरकार से कुछ पूछ ही नहीं सकता। मैं क्या पूछूं? क्या अभद्र था यह बात इसमें आनी चाहिये थी। अगर आप नियम देखेंगे तो उसमें है कि क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिये।

कुंवर श्रीपालसिंह—

मैं मानता हूं कि नियम में यह है, लेकिन अभद्र शब्द के स्थान पर यह तो मैं नहीं लिख सकता था कि मां बहिन की गाली दी गयी।

श्री अध्यक्ष—

मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि यह नोटिस जिस रूप में आया है उस रूप में मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता।

कुंवर श्रीपालसिंह—

आप कृपा कर मेरी बात सुन लें। नियम ५४ में है कि सूचना देने वाले सदस्य को सुनने के बाद फिर मन्त्री जी को सुनने के बाद ही आप अपना फैसला देंगे। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदर्शनी में जो कुछ भी था, बुरा था या भला, उस पर बात करने के लिये हमें दो चीजें देखनी पड़ेंगी.....

श्री अध्यक्ष—

आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिये। इसमें जो अभद्र शब्द है वह सुतथ्य नहीं है। उसे आप स्पष्ट कर दीजिये।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—

मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है। उसे आप सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष—

वह प्वाइंट आफ आर्डर पर ही बोल रहे हैं। यहां पर इस तरह का वातावरण पैदा करने से काम नहीं चलेगा। वह जो कहना चाहते हैं उसे कह लेने दीजिये। आदेश तो मैं बाद में दूंगा। तय मैं करूंगा। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप कह सकते हैं कि जाओ। लेकिन जब तक मैं यहां पर हूं उस समय तक तय करने का अधिकार मुझी को है और मैं कह रहा हूं कि वह बोलें। आप चाहते हैं कि वह न बोलें। आप उनको दो लफ्ज बोल लेने दीजिये।

(कुंवर श्रीपालसिंह) मैं चाहता हूं कि आप अभद्र और अमानवीय शब्दों को डिफाइन कर दें।

कुंवर श्रीपालसिंह—

मैं उस पर ही निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि यही चीज थी असली प्रदर्शनी में। और वहां कुछ नहीं था। वह हमारे कंधे पर ही बन्दूक रख कर दागना चाहते हैं।

श्री एस० जी० दत्त—

इसकी कापी चीफ मिनिस्टर के पास जानी चाहिये थी वह गयी या नहीं यह मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप बहस कर रहे हैं। यह कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है। मैं चाहता हूं कि दो मिनट में आप उनको अपनी बात कह लेने दीजिये।

कुंवर श्रीपालसिंह—

मैं बहुत ही शांत और बहुत ही उम्दा ढंग से अपनी बात निवेदन कर रहा था, लेकिन उन लोगों के मारे नहीं कर पा रहा हूं। यह लोग गुप्ता जी को ऐसे तो उलट नहीं पाते हैं तो नेहरू जी के नाम पर ही गुप्ता जी को उलटने के लिये हमारे कंधे पर बन्दूक रख कर दागना चाहते हैं। लड़ना चाहते हैं तो मैदान में आकर लड़ें। मैं यह निवेदन कर रहा था कि सुतथ्य तो इस ढंग से सिद्ध होता है कि अगर मां बहिन की गाली दी गयी हो तो उसें लिखने का कम से कम मुझ में तो साहस नहीं है कि मैं उसे लिख सकूं या सदन में कह सकूं। वहां पर चौकीदार की तरह

का एक आदमी था। जब वहां पुलिस पहुंची तो प्रदर्शनी करने वाले लोगों में से कोई जिम्मेदार आदमी वहां नहीं था। पुलिस ने चौकीदार को गालियां दीं, गर्दन पर हाथ लगा कर धक्का दिया। मैं मानता हूं कि वह कम पैसे का नौकर है, नाम ही उसका चौकीदार है, लेकिन भारत का एक नागरिक वह भी है और उसके भी वही अधिकार हैं कि जो हमारे और आप के हैं। श्रीमन्, इसके साथ ही जो अभद्र व्यवहार किया गया और जो गालियां दी गईं और उसकी गर्दन पर हाथ लगाया गया, इससे आप देखें कि अभद्र व्यवहार साबित होता है। एक बात और निवेदन करूंगा कि जो सामान वहां से उठाया गया, उसकी लिस्ट नहीं दी गई। साथ ही साथ एक बात और कि यह एक दिन का किस्सा नहीं है बल्कि आज से १०–१५ दिन पहले .....।

श्री अध्यक्ष—

देखिये यह बहस की बात है।

कुंवर श्रीपालसिंह—

श्रीमन्, यह बैकग्राउन्ड की बात है, वह एक मिनट में सुनलें। मैं यह निवेदन करना

(व्यवधान)

चाहता हूं कि १५ दिन पहले इस सदन में जो मामला उठा था और उस बात पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक डेपुटेशन भेजा था जिसने जांच की, उस जांच में यह कह दिया गया था कि उसमें न तो कोई चीज नेहरू जी के खिलाफ है और न ही भारत की सुरक्षा के खिलाफ ही है। तो फिर उस पर लांछन लगाना—यह डी० आई० आर०, डिफेन्स आफ इंडिया रूल्स भारत की सुरक्षा के लिये है न कि माननीय नेकराम शर्मा की व्यक्तिगत रक्षा के लिये या कम्यूनिस्ट दल की रक्षा के लिये है।

श्री अध्यक्ष—

देखिये, व्यक्तिगत बात नहीं होनी चाहिये।

कुंवर श्रीपालसिंह—

श्रीमन्, मैं इतना और निवेदन करदूं कि भारत की सुरक्षा के लिये अगर उस प्रदर्शनी में एक भी पोस्टर या एक भी वाक्य रहा हो, तो मैं इस बात को डंके की चोट पर कहता हूं कि मेरी पूरी पार्टी इस्तीफा दे कर चली जायगी। हम भारत की सुरक्षा के विरोध में नहीं हैं मगर इसके साथ .....

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठ जायें....।

श्री जगन प्रसाद रावत (जिला आगरा)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

विरोधी दल के अनेक सदस्य—

आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायें। कल अपोजीशन की तरफ से यह प्रश्न उठा था कि कांग्रेस बेन्च की ओर से कोई व्यक्ति किसी से यह नहीं कह सकता है कि बैठ जाइये। केवल अध्यक्ष ही कह सकते हैं कि बैठिये। इसलिये किसी को यह नहीं कहना चाहिये दूसरों से कि बैठिये। यह सिद्धांत की बात है।

श्री अध्यक्ष—

मैं कुंवर श्रीपालसिंह जी से यह कहूंगा कि वह इस संबंध में जो कुछ कहना चाहते थे, वह कह चुके और आपकी पार्टी की क्या स्थिति है, उसे हम जानते हैं। जहां तक इस सदन का संबंध है, हम समझते हैं कि प्रत्येक सदस्य जो कि यहां पर मौजूद है, वह भारतीय नागरिक है और राज्य और राष्ट्र दोनों का भक्त है और उसके खिलाफ हम कुछ नहीं कह सकते हैं। न उसकी सफाई देने की ही आवश्यकता है। जहां तक नियमों का ताल्लुक है, वह मैं समझता हूं और उसके संबंध में आपसे.....

कुंवर श्रीपालसिंह—

श्रीमन्, एक बात रह गई है नियम के संबंध में और वह ....

श्री जगनप्रसाद रावत—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह कि जहां तक पुलिस के ऐक्शन का संबंध है, उसे एजर्नमेंन्ट मोशन के सिलसिले में कोई महानुभाव कहें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब प्रदर्शनी के मेरिट्स पर वह आ जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि वह विषय के बाहर की बात है। उस पर हमको आपत्ति है। हम उसके डिमेरिट्स को भी समझते हैं।

श्री अध्यक्ष—

इसमें प्रदर्शनी के मेरिट्स पर कोई सवाल नहीं है।

(व्यवधान)

श्री जगनप्रसाद रावत—

श्रीमन्, वह एक्सपन्ज कर दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—

उस पर वह नहीं बोलेंगे।

कुंवर श्रीपालसिंह—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप देखें कि नियम ५३ के वह अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर चर्चा उठाने के इच्छुक नहीं हैं। उसका विषय क्या है, क्यों है, उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि.....।

श्री अध्यक्ष—

उस "सुतथ्यता" शब्द के बारे में आप .....।

कुंवर श्रीपालसिंह—

श्रीमन्, उसके बारे में तो स्पष्ट है। और वह यह है कि यह सारी घटना हुई क्यों..।

श्री अध्यक्ष—

वह सवाल नहीं है।

कुंवर श्रीपालसिंह—

बिना उसके स्पष्ट बात होगी नहीं। इसलिये श्रीमन्, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर देता हूं। वह बात मेरी यह है कि माननीय गुप्ता जी का और रावत जी के २ गुट अलग-अलग हैं। इसमें हो रहा है झगड़ा और इस वक्त नेहरू जी को शंकर भगवान बनाया गया है और उनके सामने गला बजाकर और नाच-नाच कर उनको प्रसन्न करने की कोशिश की जा रही है।

श्री अध्यक्ष—

यह बात उससे संबंध नहीं रखती ? आप बैठ जाइये ।

कुंवर श्रीपालसिंह—

तो इस तरह से मैं कहता हूं कि आपस में वह चाहे जितना झगड़ा करें, लेकिन उनके बदनाम करने से जनसंघ का कुछ बनेगा बिगड़ेगा नहीं ।

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठ जाइये । मुझे खेद है कि यह नियम ५३ के अन्तर्गत नहीं आता । मैं इसे नियम ५३ में स्वीकार नहीं कर सकता ।

कुंवर श्रीपाल सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, तो मुझे बड़े दुख के साथ आपसे यह निवेदन करना है कि मैं आपसे एक मिनट अपनी एक बात कहने के लिये अनुज्ञा चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

आप इस विषय में कुछ मत कहियेगा ।

कुंवर श्रीपालसिंह—

मैं यह कहना चाहता हूं कि कल जो एक राष्ट्रद्रोही पोस्टर कानपुर में निकला है वह राष्ट्रद्रोहिता का जीताजागता नमूना है । लेकिन उसको पुलिस ने सुरक्षा दी है । और जो यहां प्रदर्शनी के पोस्टर्स राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये थे उनको अमानवीय ढंग से कुचला गया है । सरकार की इस दुरंगी नीति के विरोध में जनसंघ दल के साथ हम १० मिनट के लिये सदन का त्याग करते हैं ।

(इसके उपरान्त जनसंघ के सदस्य सदन छोड़कर चले गये ।)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मैं आपकी एक व्यवस्था इस पर चाहता हूं कि इस सदन के कार्यसंचालन के लिये प्रक्रिया नियमावली बनी हुई है और कल जब एक ऐडजर्नमेंट मोशन आया था तो आपके दिल दिमाग में उसके अविलम्बनीय लोक महत्वपूर्ण होने की बात आयी थी, लेकिन आपने उसको रूल आउट कर दिया था । फिर आज उसी विषय का प्रस्ताव लाया गया । तो या तो आप उस विषय पर प्रश्न लेते ही नहीं, नियम के मुताबिक मैं ऐसा समझता हूं और या फिर इसको भी अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय समझते । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके दिमाग में कौन-सी चीज पैदा हो गयी कि आपने इस विषय पर निर्णय देने के बाद पुनः लिया, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

ऐडजर्नमेंट मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसके ऊपर सदन की राय ली जाती है । उसपर सरकार की हारजीत का भी प्रश्न रहता है, सरकार की पालिसी का भी प्रश्न रहता है । नियम ५३ में कोई प्रस्ताव नहीं होता, कोई वोटिंग नहीं होती, केवल एक चर्चा रहती है । तो दोनों में बड़ा अन्तर है और दोनों को विभिन्न दृष्टिकोण से देखा जा सकता है । हम नियम ५२ के अन्तर्गत रोज चर्चा करते, रोज सुनते हैं । हो सकता था कि ५ या साढ़े ५ बजे के बाद इसको सुनता या हो सकता है न सुनता । लेकिन अब मैंने उसको रूल आउट कर दिया है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मैं आपसे एक सफाई चाहता हूं .....

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं, अब आप बैठ जाइये। जो व्यवस्था मुझे देनी थी वह मैं दे चुका।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

आप से एक क्लेरिफिकेशन तो करा ही सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठिये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मैं आपकी व्यवस्था पर क्लेरिफिकेशन चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं, अब आप बैठिये। अगर आप नहीं बैठते हैं तो मैं कहूंगा....

(श्री नरसिंहनारायण पांडेय ने अपना आसन ग्रहण किया।)

श्री अध्यक्ष—

तो वह बाद में होगा।

१९६३–६४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४३—लेखन-सामग्री और मुद्रण

श्री अध्यक्ष—

अब आइटम नं० ९ में जिस मद पर विवाद नहीं होने वाला है वह, मैं, अगर सदन आज्ञा दे, तो पहले ले लूं। (किसी के आपत्ति न करने पर) ठीक है। तो अब आइटम नं० ९ का दूसरा खंड पहले होगा।

नियोजन मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदान संख्या ४३—लेखन-सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत १,६२,८५,९०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदान संख्या ४३—लेखन-सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत १,६२,८५,९०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २४—उद्योग

नियोजन मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदान संख्या २४—उद्योग के अन्तर्गत १०,८०,०८,२०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(इस समय ११ बज कर ५५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये।)

श्रीमन्, हमारा प्रान्त एक खेती करने वाला प्रान्त है और हमारी आर्थिक व्यवस्था का एक प्रकार से अगर यह कहा जाय कि खेती ही आधार है तो गलत न होगा और शायद इसी कारण से दो पंचवर्षीय योजनाओं में खेती पर अधिक जोर दिया गया। लेकिन श्रीमन्, हमारा खयाल यह है कि भवन के माननीय सदस्य भी इससे सहमत होंगे कि खेती का विकास चाहे जितना ही क्यों न हो जाय, यह सोचना कि हमारी आर्थिक व्यवस्था उसी पर अवलम्बित रह सकती है और उसी से जीवन स्तर ऊंचा हो सकता है, यह धारणा गलत होगी। आप जानते हैं कि दो पंचवर्षीय योजनाओं में इस ओर अधिक प्रयत्न किया गया, किन्तु जितना उत्पादन हम करना चाहते थे वह नहीं हो पाया और उसके लिये हमको आसमान के तारे ही देखने पड़े। एक ओर आप देखते हैं कि हमारे प्रान्त की जन संख्या भी बढ़ती जा रही है और दूसरी ओर उनका जीवन स्तर ऊंचा करने की बात है, तो उसके लिये अवश्य कोई उपाय ढूंढना होगा और वह उपाय यही है कि हम उद्योग धन्धों का विस्तार करें। इसको अधिक से अधिक व्यापक बनायें। इसको प्रत्येक घरों में ले जाने का प्रयत्न करें। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं हो सकता। इस कारण दो पंचवर्षीय योजनाओं में इसी पर अधिक जोर दिया गया। यदि हम आंकड़े रखें सदन के सामने तो उससे यह जाहिर हो जायगा कि इस ओर उत्तरोत्तर किस प्रकार से अधिक से अधिक धनराशि हम ने रखी है और रखी जा रही है। १९५५-५६ में उद्योग का ब्रजट था करीब ५८८.४३ लाख, १९६०-६१ में ८७५.२६ लाख, १९६२-६३ में १४९२ लाख, और वह अब १९६३-६४ में हो गया १६७१.३५ लाख। तो जहां तक भी हमको साधन उपलब्ध हो सकते हैं, इसको हम ने निरन्तर बढ़ाने की कोशिश की है और अधिक से अधिक इसकी व्यापकता पर जोर दिया जा रहा है।. उद्योग धंधों का क्षेत्र बहुत व्यापक है। वह छोट से छोटे कुटीर उद्योग से लेकर बड़े से बड़े उद्योग तक हो सकता है। मैं समझता हूं कि इस कारण से बहुत से लोग इस पर बोलना चाहेंगे और आशा करता हूं कि माननीय सदस्यों ने बजट के इस अंश को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा, इसलिये मैं उनसे अधिक से अधिक बातें सुनना चाहता हूं। इसलिये इस समय मैं इस पर ज्यादा नहीं कहूंगा। जो कार्य इस संबंध में हुआ है और हो रहा है और जिस प्रकार से हो रहा है, उसका संक्षिप्त विवरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

जैसा मैंने कहा इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। हैवी इंडस्ट्रीज, मीडियम, स्माल स्केल और काटेज इंडस्ट्रीज सब इसके अन्तर्गत आती हैं। जहां तक हैवी इंडस्ट्रीज का सवाल है, उसके दो अंग हैं एक पब्लिक सेक्टर का और दूसरा प्राइवेट सेक्टर का। अब पब्लिक सेक्टर के भी दो अंग हैं--एक स्टेट पब्लिक सेक्टर और एक गवर्नमेंट आफ इंडिया का। इस प्रकार से यह एक बहुत ही बड़ा व्यापक प्रश्न है। स्टेट पब्लिक सेक्टर में सर्व प्रथम हमने यह प्रयत्न किया कि चुर्क में सीमेंट फैक्ट्री लगायी जाय। क्योंकि उससे पहले ऐसा कोई प्रयास नहीं हुआ था इसलिये अनुभव की हमें कमी थी, कठिनाइयों का भी ज्ञान नहीं था। आपके सामने मुझे यह भी स्वीकार करने में तनिक भी संकोच नहीं है कि उसके लगाने में देर भी हुई और पूंजी भी ज्यादा लगी लेकिन यह जानकर हमें संतोष होना चाहिये कि आज उसकी उत्पादन शक्ति बढ़ गयी है। अभी-अभी ३ करोड़ रुपया लगाकर उसकी उत्पादन शक्ति को बढ़ाया गया है और सन् ६४ तक उसकी उत्पादन शक्ति २,३०,००० टन सीमेंट पैदा करने की हो जायगी। इसके अलावा भट्ठी में लगने वाली ईंटों का उत्पादन भी वहां बढ़ाया जा रहा है तथा सफेद और रंगीन सीमेंट का उत्पादन भी वहां होगा। यह जरूर है कि पहले जो कठिनाइयां वहां थीं वे हैं लेकिन आज उन कठिनाइयों पर हम काबू पा सके हैं और ऐसी आशा है कि उसका उत्पादन दिनों दिन बढ़ता जायगा।

सदन के माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि उस खित्ते में लाइम स्टोन बहुतायत से पाया जाता है। रिहन्द बांध के निर्माण के समय यह पाया गया कि उन पहाड़ों में लाइम स्टोन इतनी मात्रा में विद्यमान है कि वहां पर एक दूसरी सीमेंट फैक्ट्री भी खोली जा सकती है। इसलिये चोपन में एक दूसरी सीमेंट फैक्ट्री लगाने के बारे में तय कर लिया गया है और लाइसेंस भी मिल गया है।

[श्री हरगोविन्दसिंह]

स्टेट में दूसरा पब्लिक सेक्टर में जो प्रयास किया गया वह लखनऊ की प्रसीशन इन्स्ट्रूमेंट्स फैक्ट्री है । श्रीमन्, उस समय भी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट मेरे पास था । कठिनाइयों की वजह से उस समय भी ऐसा प्रतीत होता था कि शायद हम उस प्रयास में सफल नहीं हो सकेंगे । यह कोई छिपाने की बात नहीं है, एक समय तो मैंने पंत जी से यह कहा भी कि हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि यह प्रसीशन इस्ट्रूमेंट्स फैक्ट्री किसी दूसरे उद्योगपति को प्राइवेट सेक्टर में दे दें, वह शायद इसको चला सकें । लेकिन यह सन्तोष की बात है कि हमारी प्रसीशन इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी सुचारु रूप से चल रही है और हम आशा करते हैं कि अब उसकी उत्पादन शक्ति तिगुनी बढ़ जायगी । विश्वास किया जाता है कि थोड़े दिनों में उसकी उत्पादन शक्ति इतनी बढ़ जायगी कि हम १ लाख ८ हजार वाटर मीटर बना सकेंगे और ६०० माइक्रोस्कोप बन सकेंगे सालाना । इस समय हम उसमें कुछ डिफेंस संबंधी चीजें भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिये उचित कार्यवाही भी की जा रही है ।

जहां तक स्टेट पब्लिक सेक्टर का संबंध है, चुर्क सीमेंट फैक्टरी के अलावा हम एक दूसरी सीमेंट फैक्टरी लगाने जा रहे हैं, जिसका लाइसेंस मिल चुका है । तीसरी फैक्टरी प्रसीशन इंस्ट्रूमेंट्स की है और चौथी आप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स फैक्टरी लखनऊ में ही लगाने जा रहे हैं जो स्टेट पब्लिक सेक्टर के अन्तर्गत होगी । उस संबंध में समुचित कार्यवाही करीब-करीब समाप्त हो चुकी है ।

गवर्नमेंट आफ इंडिया के पब्लिक सेक्टर के संबंध में इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि करीब १६७ करोड़ रुपये की लागत का काम उनका हो रहा है जिसके अन्तर्गत ४ फैक्टरियां हैं । ऐसा खयाल किया जाता है कि उनके करीब और भी बहुत सी फैक्टरियां लग जायेंगी जिससे यही नहीं कि यहां के बहुत से लोगों को काम मिलेगा बल्कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि हमारी आमदनी में भी काफी मात्रा में वृद्धि होगी । उन चार फैक्टरियों के नाम तो आप लोग जानते ही हैं । ऐंटीबायोटिक फैक्टरी २० करोड़ रुपये की लागत से ऋषिकेश में, हेवी इलेक्ट्रिकल्स ज्वालापुर में ३० करोड़ रुपये की लागत से—रूस सरकार के कालेबोरेशन से ये दोनों फैक्टरियां बन रही हैं । गोरखपुर में फर्टिलाइजर फैक्टरी जापान सरकार के कालेबोरेशन से २७ करोड़ की लागत से बन रही है और वाराणसी में डिजल लोकोमोटिव फैक्टरी १०० करोड़ रुपये की लागत से बन रही है । तो इस तरह से १६७ करोड़ पये की लागत से गवर्नमेंट आफ इंडिया के पब्लिक सेक्टर में यह काम हो रहा है ।

रिहन्द डैम के सिलसिले में यह मालूम हुआ कि सिंगरौली में कोयला काफी मात्रा में उपलब्ध हो सकता है । कोल कारपोरेशन १० करोड़ रुपये की लागत से वहां से कोयला निकालने का प्रयत्न कर रहा है और उसी के आधार पर ओबरा में एक थर्मल पावर स्टेशन भी बनने वाला है । जहां तक प्राइवेट सेक्टर की बात है, आप जानते हैं कि पीपरी में एक अल्युमिनियम फैक्टरी लगी हुई है, उसमें एक्सपेरांमेंट हो रहा है और दिसम्बर ६२ तक २ करोड़ २९ लाख रुपये का उत्पादन होना सम्भव हो सका है । एक सिन्थेटिक केमिकल बरेली का है, वहां भी हमारा खयाल है कि इस मास के अन्त तक उत्पादन आरम्भ हो जायगा । एक केम्फर एन्ड एलाइड प्रोडक्ट्स भी बरेली में है और उसमें भी जुलाई सन् ६३ तक उत्पादन आरम्भ हो जायगा । यह मुख्य-मुख्य बड़ी-बड़ी फैक्टरियां आपके प्रदेश में इस समय में लगी हैं । रेगुलर फैक्टरीज की संख्या में किस तरह से वृद्धि हो रही है इसके भी आंकड़े मैं रखना चाहता हूं । जहां सन् ६०–६१ में २८७१ फैक्टरियां रजिस्टर्ड थीं वहां अब ३०५९ फैक्टरियां रजिस्टर हुई हैं । लाइसेंस भी ४६ फैक्टरीज को दिये गये हैं जिसमें ६७ करोड़ रुपए की लागत होगी । इसमें से २० तो नई हैं और २० का लाइसेंस एक्सटेंड किया गया है । तो मैंने आपको संक्षेप में यह बताया कि पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में हैवी इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में क्या हुआ है ।

इसके अतिरिक्त स्टेट गवर्नमेंट ने एक और बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आप को शायद मालूम होगा कि जून में नैनीताल में माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां के उद्योगपतियों की एक सभा बुलाई थी और अभी २-३ मार्च को लखनऊ में भी उन्हीं उद्योगपतियों की एक सभा बुलाई थी। नैनीताल में जो निर्णय हुये थे और उनको जो दिक्कतें होती थीं उनको कैसे सुलझाया जाय, किस तरह से उनको उत्साहित किया जाय कि वे अधिक से अधिक संख्या में अपने उद्योग आरम्भ करें, जो कुछ भी उन्होंने बताया था उस पर कार्यवाही की गई और जब २-३ मार्च को लखनऊ में सभा हुई थी तो उसमें दो तीन बड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाये हैं। पहला प्रश्न तो यह था कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है और जब भी कोई उद्योगपति यहां कोई कारखाना लगाना चाहता है तो उसको जमीन की पहले आवश्यकता होती है। लेकिन चाहे वह कारखाना कितना ही उपयोगी क्यों न हो, जमीन पर किसान का जीवन निर्भर है और उसी पर पुश्तों से अवलम्बित रहा है इसलिये उसको तकलीफ होती है जब उसकी जमीन लेने की बात आती है। लेकिन उसको तकलीफ कुछ कम हो, वह उसको सह सके, इसलिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने उद्योगपतियों से यह कहा था और उन्होंने इसको स्वीकार भी किया था कि जहां भी कम्पलसरी एक्विजिशन किया जाय उन फैक्टरियों के लिये वहां उनको अच्छी मार्केट वैल्यू कम्पेन्सेशन के तौर पर दी जाय। किसानों को जिनकी जमीन ली जाती है उनको उनकी जमीन की मार्केट वैल्यू के १५ प्रतिशत के शेयर उस कारखाने में दिये जांय ताकि वह भी समझें कि वे भी उस फैक्टरी के मालिक हैं। और इससे आशा है कि उनकी तकलीफ कम होगी। दूसरा निर्णय यह भी हुआ कि अगर वह बड़े-बड़े कारखाने प्रान्त में लगाते हैं तो बिजली की दर उनकी वही रखी जाय जो हमारे सरहदी प्रांतों में है। क्योंकि उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में बिजली की दर बहुत ज्यादा है। तो यह भी कहा गया कि जो वहां की दरें हैं उनसे अधिक उत्तर प्रदेश में नहीं लिया जायगा। तीसरे उन्होंने अपनी रोजमर्रा की तकलीफें बतायीं। उसके लिये यह सुझाव रखा गया कि यहां पर सेक्रेटरीज की एक कमेटी बना दी जायगी और अब उनको हर दफ्तर में नहीं दौड़ना पड़ेगा, वह अपनी दिक्कतें उस कमेटी को बता देंगे और यह सेक्रेटरीज का काम होगा कि वह उनकी उन दिक्कतों को कम से कम समय में सुलझा दें जिससे उनके काम में अड़चन न हो। तो यह तीनों महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे जिन पर हमको विचार करना था क्योंकि आप जानते हैं कि एक वातावरण पैदा हो गया है कि हर प्रान्त अपने यहां अधिक से अधिक उद्योग धंधे लगाने की कोशिश करता है, गवर्नमेन्ट आफ इंडिया के बड़े-बड़े कारखाने जो हैं उनके लिये हर एक प्रान्त था कि हम मुफ्त जमीन देंगे। लिहाजा हमारे लिये मजबूरी हुई और मुफ्त जमीन देनी पड़ी ताकि कहीं दूसरे प्रान्तों में न चले जायं। एक प्रकार से रेगुलर कनवेंसिंग होती है कि बड़े-बड़े कारखाने हमारे प्रान्त में लगें। इसलिये हमारे लिये आवश्यक हुआ कि हम इस बात का प्रयत्न करें कि उन्हें प्रोत्साहन दें, उनकी कठिनाइयों को दूर करें ताकि यहां कारखाने लगा सकें। यह तो मैंने बड़े कारखानों की बात कही।

हमारे प्रान्त में हाल की खोजों से पता चला कि खनिज पदार्थ काफी हैं। यह बात सही है कि यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें पहले अधिक से अधिक रुपया खर्च करने की आवश्यकता होती है पदार्थ का पता लगाने में। और जब खनिज पदार्थ मिलते हैं तभी उनसे कुछ आय हो सकती है। लेकिन यह ऐसी दिशा है जिसकी ओर हमें ध्यान देना ही है क्योंकि अब ऐसा मालूम हुआ है कि अब हमारे यहां बहुत सी चीजें निकल रही हैं इसलिये जितना स्टाफ था उसको बढ़ाया गया है और उनको भी ऐक्विपमेंट भी मुहैया कर रहे हैं ताकि आने वाले सालों में अधिक से अधिक खोज हो सकेगी और ज्यादा खनिज पदार्थ निकल सकेंगे।

स्माल स्केल और काटेज इंडस्ट्रीज के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। आप जानते हैं कि बड़े बड़े कारखाने सभी जगह नहीं लग सकते क्योंकि सरकार को या उद्योगपति को जो भी बड़ा कारखाना लगाना चाहे बहुत सी बातें सोचनी पड़ती हैं, जैसे रा मैटीरियल, फासला, आदि। हर जिला चाहता है कि वहां बड़ा कारखाना लगे लेकिन कुछ वजूहात से सब जगह

[श्री हरगोविन्द सिंह]

कारखाने नहीं लग सकते हैं। आबादी भी बहुत बढ़ रही है, जितनी हमें आशा थी उतनी हमारी आर्थिक स्थिति सुधर नहीं रही है क्योंकि आबादी काफी बढ़ी है और हम जहां थे वहीं रह गये, बल्कि किसी क्षेत्र में शायद नीचे भी उतरे। इसका निराकरण तभी हो सकता है जब कुटीर उद्योगों को फैलाया जाय, लोगों को इसके लिये प्रोत्साहित किया जाय क्योंकि किसान के पास समय रहता है इन कामों के लिये। उसको आर्थिक सहायता दें, शिक्षा दें तो कुटीर उद्योग बढ़ सकते हैं। दुनियां के और देशों ने इसी तरह से अपनी आर्थिक समस्याओं को हल किया है। जापान में बड़ी बड़ी मिलों की तादाद उंगलियों पर गिनी जा सकती है लेकिन कुटीर उद्योग घर-घर है, जिसके कारण छोटा सा मुल्क, छोटी सी आबादी वाला जापान उद्योग धंधों में शायद दुनिया के किसी शक्तिशाली देश से मुकाबला कर सकता है। तो उस दिशा में भी जितना सरकार के लिये सम्भव हो सकता है वह कर रही है ताकि कुटीर उद्योग घर-घर पहुंचाये जायं।

आप जानते हैं, लड़ाई के बाद जनरल ऐजूकेशन में इतनी वृद्धि हुई कि हर एक आदमी यह चाहता था कि उसका बच्चा स्कूल में चला जाय। लोगों को एक प्रकार से ऐसे काम सिखाने से रुचि थी और उसका कारण था हमारे समाज का संगठन और हमारी भावनायें। हम यह समझते थे कि काम न करना ही एक इज्जत और आदर का प्रतीक है, लेकिन आज वह बात बिलकुल उलटी हो गयी है क्योंकि कोई देश अपने सारे नवयुवकों को शिक्षा इसलिये दे कि उनको नौकरी मिलेगी वह देश जिन्दा रह सकता। हर एक को नौकरी भी नहीं मिल सकती।

आज इस क्षेत्र में बड़ी मांग है और यह जरूरी है कि उस ओर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाय। जब तक आप टेक्निकल शिक्षा उनको नहीं देंगे तब तक किसी के कहने से उद्योग धन्धे घर-घर पहुंच नहीं सकते। ८० स्कीमें चलाई जा रही हैं। हम उनके लिये स्कूल खोल रहे हैं और उनमें अधिक से अधिक बच्चों को भरती करते हैं और कोशिश कर रहे हैं, हो सके तो पीरियड भी बढ़ा किया जाय जिसमें अधिक से अधिक प्रशिक्षित लोग निकल सकें। जो बजट साहिबा आपके सामने है उसमें यह सब दिया हुआ है और उसमें आप देखेंगे कि कुटीर उद्योग के सम्बन्ध में कितना प्रयत्न हो रहा है। यह बात ठीक है कि जितनी हम उसमें आशा करते थे उतनी सफलता नहीं मिल रही है। काफी रुपया हम जिले-जिले बांटते हैं कि लोग कुटीर उद्योग स्थापित करें और उससे अपने बेरोजगारी का समाधान उपलब्ध करें लेकिन उसमें मिस-यूटिलाइजेशन बहुत हुआ है। लेकिन जिले जिले एक सर्वे किया गया था। अब वह कम्पलीट हो रहा है और इस बात की कोशिश की जा रही है कि उन्हीं लोगों को यह दिया जाय जो कि काम कर सकते हैं। हैंडलूम का एक बड़ा भारी उद्योग हमारे प्रान्त में है। करीब-करीब १० लाख आदमी उसमें लगे हुये हैं और उनको कोआपरेटिव्स में शेयर लेकर उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमारे यहां सिल्क का बड़ा भारी काम है। उसमें भी कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से हर एक दिशा में रेशम के काम में, ग्लास के काम में, मिनरल्स के काम में, शिक्षा के प्रसार में इस बात का प्रयत्न हो रहा है कि हम और प्रान्तों के साथ कम से कम एक लाइन में खड़े हो जांय। हम पिछड़े हुये हैं, हमारे पास समय भी उतना ही है, जितने कि वे और आगे बढ़ गये हैं और उन तक हमको बढ़ना होगा, तभी जा कर हम वहां पर पहुंचेंगे। इसलिये अपनी सामग्री व साधनों को देखते हुये जितना भी समय है उसमें प्रयत्न किया जा रहा है और हम आशा करेंगे कि आप हमको और सुझाव देंगे। जो सुझाव आप देंगे, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे लिये वह शिरोधार्य होंगे और हम उन पर विचार करेंगे। और मैं माननीय सदस्यों से आपके द्वारा यह अपील करूंगा कि यह इतना बड़ा कार्य है कि यदि सरकार कोई इसको अपने द्वारा सम्पन्न करना चाहती हो तो यह असम्भव सा है। इसमें तो प्रत्येक नागरिक का, चाहे वह किसी विचार का या किसी राजनैतिक दल का हो, एक सम्मिलित प्रयत्न होना चाहिये तभी उसमें सफलता मिल सकती है। तो मैं आशा करता हूं कि जो अनुदान उपस्थित हुआ है। उसको आप स्वीकार करेंगे और अपने सुझावों से सरकार को लाभान्वित करेंगे।

*श्री नेकराम शर्मा (जिला अलवर)—

इसलिये, माननीय, मैं आपकी आज्ञा से निम्न कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

अनुदान संख्या २४—उद्योग के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य है विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

श्रीमन्, मैंने माननीय मंत्री जी के भाषण को बड़े ध्यान से सुना । उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि उद्योगीकरण में जितनी तेजी से हमको चलना चाहिये था उतनी तेजी से हम नहीं चल पाये और जितनी तरक्की हमको करनी चाहिये थी उतनी नहीं कर पाये । उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि हमारे उद्योगीकरण में कुछ कमियां हैं । उनको वे दूर करने का सतत् प्रयत्न कर रहे हैं । मैं आशा करता था माननीय मुख्य मंत्रीजी से कि इस प्रदेश में जब शासन की बागडोर उनके हाथ में आयेगी तो कम से कम उद्योगीकरण में इस प्रदेश को वे बहुत तेजी से आगे ले जायेंगे । लेकिन मुझे दुःख है कि जिस तरह से वे इस प्रदेश की दरिद्रता और बेरोजगारी को दूर करने में और शान्ति व्यवस्था स्थापित करने में असफल रहे उसी प्रकार उद्योग करण में भी वे बहुत असफल रहे । हमारे मुख्य मंत्रीजी न तो प्रोडक्शन बढ़ा पाये न जितना बजट एलोकेशन था उसको पूरा खर्च कर पाये और न जितना इस विभाग में वेस्ट हो रहा है उसको रोक पाये । मैं ठाकुर फूलसिंह को बधाई देता हूं कि जितना लंबा बांटा गया था स्माल स्केल इंडस्ट्रीज में उसमें उन्होंने बड़ा परिश्रम किया और यह बताया कि उसका बहुत बड़ा भाग वेस्ट गया और जिस उद्देश्य के लिये धन दिया गया था, उसमें वह खर्च नहीं हुआ । मैं उनसे आशा करता हूं कि वे और भी पता लगायें और जिन्होंने रुपया खर्च नहीं किया है, उनसे उसको तुरन्त रिकवर करेंगे ।

हमारे मुख्य मंत्री जी ने जो लोन्स हमारे पूंजीपतियों पर बाकी हैं, उनको वसूल नहीं किया । मुख्य मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं, अगर मैं गलत होऊं तो वे मुझे सही कर दें । माननीय प्रधान मंत्री जी ने उनको एक खत लिखा है कि कांग्रेस एम० पी० श्री रामरतन गुप्त के खिलाफ शीघ्र से शीघ्र कार्यवाही की जाय, उन्होंने रुपये का मिसयूज किया है और उनसे क्यों जरूरी वसूल किया जाय और मुख्य मंत्री जी ने उनके बचाव का पत्र लिखा है और बाद में यह भी लिखा है कि अगर वे चाहते हैं कि उनको प्रासीक्यूट किया जाय.....

श्री उपाध्यक्ष—

किसी का नाम नहीं आना चाहिये । इस तरह का क्रिटिसिज्म न हो । जो सदन में उपस्थित नहीं हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहिये ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

अगर किसी को रुपया दिया गया है तो उसका नाम आ सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

जी नहीं ।

श्री भगवान दास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

रुपया दिया गया है तो नाम जरूर लिया जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं लिया जायगा ।

श्री नेकराम शर्मा—

आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, श्रीमन् । लेकिन मैं पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की फिनैन्स आडिट १९५८-५९ की जो रिपोर्ट है और जो सदन में प्रस्तुत की जा चुकी है, उसमें से पढ़ रहा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नेकराम शर्मा]

हूं, उसमें सब के नाम दिये हुये हैं कि कितना रुपया किस पर बाकी है । हमने रामरतन गुप्ता को ५० लाख रुपये दिये जो दस ईक्वल इन्स्टालमेंट्स में वसूल होने थे ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो सवाल के जवाब में था, वह हो गया ।

श्री नेकराम शर्मा—

सवाल नहीं है, यह रिपोर्ट में है, श्रीमन् ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, यह पी० ए० सी० की रिपोर्ट सदन में वितरित हुई है क्या ?

श्री नेकराम शर्मा—

जी हां, श्रीमन्, सदन में यह रखी जा चुकी है । यह १९५९ की पी० ए० सी० की रिपोर्ट है । मैं निवेदन कर रहा था कि इसी तरह से साहू जैन हैं, आर० आर० गुप्ता हैं, जे० के० इन्डस्ट्रीज वाले हैं, जिन पर ८० लाख रुपया है । लखनऊ में कोल्ड स्टोरेज है, उसको रुपया दिया गया है । श्रीमन्, बड़े आश्चर्य की बात है कि कृषि प्रोड्यूस उसमें रखी जाती है और सरकार उसका किराया देती है लेकिन हमारा रुपया वसूल नहीं हो पाता है । कई बार आक्शन के भी आदेश दिये हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है । मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, जो बहुत कड़े हैं कि आखिर क्या वजह है कि इनसे रुपया वसूल नहीं किया जा सका है ? किसानों पर अगर एक फसल का भी बाकी बच जाता है तो उसकी कुर्की हो जाती है, उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन क्या वजह है कि इनसे रुपया वसूल नहीं हो पाता है ? जो फैक्टरी चला रहे हैं उनको कोई सुविधा देना चाहें भले ही दें, लेकिन व्यक्तिगत लोन्स क्यों नहीं वसूल हो रहें हैं ? वे शीघ्र वसूल होने चाहियें । उन्होंने वचन दिया था और एक तिथि निश्चित कर दी थी कि उस तिथि तक वसूली कर ली जायगी । लेकिन वह तिथि निकल गई और एक आध महीना और भी हो गया, लेकिन वसूल नहीं कर पाये । इसमें क्या हुआ और कितना वसूल कर पाये, इसके संबंध में यदि वे सदन में वक्तव्य दे देंगे तो बड़ी कृपा होगी ।

श्रीमन्, मुख्य मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है । मार्च में एक कांफ्रेन्स हुई थी उसमें उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा दी गई सभी सहायता के बावजूद पिछले वर्षों में स्वीकृत लाइसेंसों में से बहुत बड़ी संख्या में लाइसेंस इस्तेमाल नहीं किये गये और बहुत से लाइसेंस रद्द करने पड़े । उन्होंने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश में सब से अधिक है और पिछली योजना के बाद आज भी प्रदेश मुख्यतः कृषि पर निर्भर है । उन्होंने दुख प्रगट करते हुये आगे कहा है कि आज भी उत्तर प्रदेश में काम करने वालों की संख्या २.६ लाख है, महाराष्ट्र में ७.५ लाख, बंगाल में ६.९७ लाख और गुजरात में ३.९० लाख है । श्रीमन्, उन्होंने यह भी कहा है कि हमारे यहां उद्योग धंधे इसलिये पनप नहीं पाते हैं कि हमारे यहां ज्वाइंट स्टाक कम्पनीज की संख्या बहुत कम है । बंगाल में ज्वाइंट स्टाक कम्पनीज ११,५८२ हैं, महाराष्ट्र में ५६,२९ हैं, मद्रास में २,३९६ और हमारे उत्तर प्रदेश में केवल १,१६३ हैं । दो पंचवर्षीय योजनायें हमारी निकल चुकी हैं । हमने पहली पंचवर्षीय योजना में कोशिश की थी कि हमारा प्रदेश कृषि में सेल्फ-सफीशियेंट हो जाय । दूसरी योजना में हमने प्रायोरिटी उद्योगीकरण को दी थी । श्रीमन्, यह एक किताब है "Some Aspects of Indian Economic Development" इसके पृष्ठ ४६० में दिया हुआ है कि आंध्र प्रदेश में १०० परसेंट उद्योगों पर खर्च हुआ है, आसाम में ९४ परसेंट, बिहार में ९३ परसेंट, गुजरात में १०० परसेंट, मदरास में १०० परसेंट, महाराष्ट्र में १०० परसेंट, राजस्थान में ९५ परसेंट और हमारे यहां ९२ परसेंट हुआ है । जितना रुपया दिया गया है, अन्य स्टेट्स ने सौ परसेंट खर्च किया है और मांगा है और हमारे यहां....

लघु उद्योग मंत्री (श्री फूलसिंह)—
कौन साल का खर्चा है ?

श्री नेकराम शर्मा—

यह सेकिन्ड प्लान प्रोग्राम के एचीवमेंट्स हैं । हम इतना खर्च नहीं कर पाये । केवल ९२ परसेंट खर्च किया जबकि दूसरी स्टेट्स ने १०० परसेंट खर्च किया । हमारा बजट दूसरी प्लान में ४.१६ प्रतिशत था, जिसको अब बढ़ाकर ५.१० प्रतिशत उद्योगों पर खर्च करने का निश्चय किया है । श्रीमन्, अगर आप बजट को देखें, वाल्यूम २, कैपिटल एक्सपेंडीचर हमने ३ करोड़ का १९६२-६३ में एलोकेशन किया और सिर्फ दो करोड़ खर्च कर पाये । इसी तरह से जितने हमने टार्गेट्स फिक्स किये हम खर्च नहीं कर पाये । इंडस्ट्री आफ माईनिंग में ५.२ परसेंट सेकेंड प्लान में थे, थर्ड में खर्च करने जा रहें हैं पूरे आलोकेशन का ४.१ । आप उद्योगीकरण की बात करते हैं कि जितना भी रुपया हम उद्योगीकरण में देते हैं, वह हम पूरा खर्च नहीं कर पाते । आप आडिट रिपोर्ट में देखिये उससे भी पता चलेगा कि हम पूरा रुपया खर्च नहीं कर पाये । माननीय मुख्य मंत्री चाहते हैं कि उद्योगीकरण हो, लेकिन इस विभाग में गुटबन्दी और कुनबापरस्ती है । उसी का कारण है कि जो इंडस्ट्रीज डाइरेक्टर थे, वह सेक्रेटरी बन गये । आफिसर्स का एक क्लीक बना हुआ है जो उद्योगीकरण नहीं होने देता । माननीय मंत्री ने कहा कि सेक्रेटरीज की हमने एक कमेटी बना दी है । इससे काम नहीं चलेगा । मिनिस्टरों की कमेटी बनाइये । कैबिनेट की एक ऐसी सबकमेटी हो जो वीकली बैठे और देखे कि किस को लाइसेन्स दिया, किस को नहीं, और जिनको लाइसेंस दिया उन्होंने कितना काम किया । आपने रबर फैक्टरी को १,१०० एकड़ जमीन दी । उसमें २०० एकड़ में उन्होंने अपनी फैक्टरी और कालोनी बना ली, बाकी जमीन पड़ी है ।

एक टाउन प्लानर से काम नहीं चलेगा । आप कई टाउन प्लानर रखिये ताकि जल्दी नक्शे पास हो सकें और जल्दी काम हो सके । पंजाब में क्या होता है ? आप एक दरख्वास्त दीजिये, उसके बाद इंडस्ट्रीज आफिसर आपके घर जा कर सारी सुविधायें दे देगा । बड़ी उम्मीद थी कि मुख्य मंत्री जी रेड टेपिज्म को खत्म करेंगे, लेकिन वह भी नहीं कर पाये । हमने काफी पावर जनरेट किया । गवर्नमेंट की फीगर्स हैं कि ११ हजार ९९ थाउजैन्ड किलोवाट बिजली तैयार की । ५० परसेंट आप इंडस्ट्रीज को देने जा रहें हैं । और वह भी पेपर पर अलाटमेंट हो जाता है कि फलां फैक्टरी को एलाट कर दिया, लेकिन फैक्ट्री लगी नहीं । सरकारी कर्मचारी आपको दिखाते रहेंगे कि शार्टेज है । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उनका सर्वे होना चाहिये कि जितनी बिजली आपने दी है उसका इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है । पावर का उपयोग, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा, जापान के सिस्टम पर होना चाहिये । जापान में घर-घर, गांव गांव बिजली है । उसी बिजली से स्माल इंडस्ट्रीज चलती हैं । लेकिन यहां पर हालत यह है कि हैवी इंडस्ट्रीज ठाकुर हुकुमसिंह के पास हैं, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज ठाकुर फूलसिंह के पास हैं, चुर्क सीमेंट फैक्ट्री जिसमें कोटे का सवाल है, बनारसीदास जी के पास है । ब्लाक इंडस्ट्री सुचेता कृपालानी जी के पास हैं । हमने यह तो देखा है कि एक मिनिस्टर के पास कई डिपार्टमेन्ट्स हों लेकिन यह नहीं देखा है कि एक डिपार्टमेंट कई मिनिस्टरों के पास हो । इसीलिये इंडस्ट्रीज की तरक्की नहीं हो सकती । कम से कम पावर और इंडस्ट्रीज मिनिस्टर एक ही होना चाहिये । इस तरह से टुकड़े करने से फायदा नहीं होगा । माननीय मंत्री जी ने कहा कि चार पांच सेन्ट्रल प्रोजेक्ट्स हैं । ऐंटी बायटिक प्रोजेक्ट रशिया के कोआर्डिनेशन से बन रहा है । मैं डाक्टर सम्पूर्णानन्द की सरकार को बधाई देता हूं, उन्होंने प्रयत्न करके, एम० पीज० का सेमिनार बुला कर यह प्राजेक्ट दिलवाया । लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछता हूं कि यह प्रोजेक्ट आखिर क्यों नहीं लग रहा है । इसमें क्यों देर हो रही है ? फर्टिलाइजर फैक्ट्री गोरखपुर में इसलिये नहीं लग रही है क्योंकि मजीठिया साहब का हवाई जहाज वहां नहीं उतर सकता । अभी तक साइट नहीं तय हो पायी । माननीय मंत्री जी ने कहा कि जितना एम्प्लायमेंट हम को देना चाहिये उतना नहीं दे पाये । जब आप के सेन्ट्रल प्रोजेक्ट्स नहीं बन पा रहें हैं, इंडस्ट्रीज नहीं बन पा रही है तो एम्प्लायमेंट कैसे दे पायेंगे ? मैं चार्ज करता हूं माननीय मुख्य मंत्री को

[श्री नेकराम शर्मा]

जो आप एम्प्लायमेंट नहीं दे पा रहे हैं उसका गंभीर नतीजा निकलेगा । आप नहीं जा सकते तो एक मिनिस्टर दिल्ली में रख दीजिये । अच्छे से अच्छे आदमी को पोस्ट कर दीजिये जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट से जो दिक्कतें आती हैं, उनको दूर करवायें । गवर्नमेंट कहती है कि नैचुरल कैलेमिटीज हो गयीं, कोयला नहीं मिला, फारेन एक्सचेंज नहीं मिला, पापुलेशन बढ़ गयी । मेरा कहना है कि तो फिर प्लानिंग का मतलब क्या है ? प्लानिंग में इस बात को ध्यान में रखा है कि इतने दिन में इतनी पापुलेशन बढ़ेगी, नैचुरल कैलेमिटीज हमारे यहां हमेशा होती हैं, उनका भी प्राविजन होना चाहिये । प्लानिंग वह कंसेप्ट है, जिसमें सब फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है ।

माननीय मंत्री जी, यह आपके कर्मचारियों की इनएफीशियेंसी और निकम्मापन है कि वह पूरा रुपया खर्च नहीं कर पाते । उनमें जो गुटबन्दी बन गयी है उसको समाप्त करें । आपने फैक्ट्र्स फाइंडिंग कमेटी बनायी थी आपने पूरा सर्वे करवाया कि हमारे यहां किन इंडस्ट्रीज की जरूरत हैं । उसकी कम्प्लीट रिपोर्ट है लेकिन आज तक उस की रिपोर्ट पर अमल नहीं हुआ । आफिशल्स ने सोचा कि अब की से हैवी इंडस्ट्रीज कमेटी बना दे । नैनीताल में जा कर स्टेट लार्ज इंडस्ट्रीज ऐडाइजरी बोर्ड बने । जब कभी हाउस में शोर हुआ और माननीय मुख्य मंत्री गुस्सा हुये तो आफिसर्स ने कहा कि एक कमेटी बना देंगे । कमेटी की रिपोर्ट आ गयी, लेकिन जिस स्पिरिट से चलना चाहिये वह न किया । तो जैसा मंत्री जी ने कहा, ७४ परसेंट जो आपका बर्डेन ऐग्रीकल्चर पर आज है, वह दूर नहीं होगा । ८४ परसेंट आदमी देहात में रहते हैं और उसमें से ७४ परसेंट खेती पर निर्भर करते हैं । आपके दोनों प्लान खत्म हो गये वह ७४ परसेंट का बर्डेन आज भी मौजूद है । आप उनके लिये कोई नये एवेन्यूज नहीं खोल पाये इसलिये खेती पर जितना भार था वह जहां का तहां मौजूद है । माननीय मंत्री जी ने इसे स्वयं स्वीकार किया है । यह परसेंटेज दूसरे देशों में इस प्रकार है—वेस्ट बंगाल में ऐग्रीकल्चर खेती के अलावा पर बर्डेन ५७ परसेंट, आसाम में ७४ परसेंट, बम्बई में ६१ परसेंट, मद्रास में ६५ परसेंट, पंजाब में ६४ परसेंट, और यू० पी० में ७४ परसेंट । खेती के अलावा दूसरे उद्योगधन्धों में श्रीमन्, वेस्ट बंगाल में ४३ परसेंट, आसाम में २७ परसेंट, बम्बई में ३९ परसेंट, मद्रास में ३३ परसेंट, पंजाब में ३६ परसेंट, और यू० पी० २६ परसेंट । तो दूसरे उद्योग-धन्धों में लगे हुये लोगों का परसेंटेज और स्टेट्स में हमारे यू० पी० से ज्यादा है । हमारे यहां भार खेती पर ज्यादा है । उस प्रेशर को आप दूर नहीं कर पाये । यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आप इंडस्ट्रिअलाइजेशन में फेल हो गये । मेरा सुझाव है कि इसके लिये आप एक जांच कमेटी बनाइये और वह कैबिनेट की एक सब कमेटी हो । कैबिनेट के तीन चार मिनिस्टर ले लीजिये और उनकी कमेटी बना दीजिये जो इस बात का अध्ययन करे कि आखिर क्या रीजन्स हैं । सरकारी कर्मचारियों के सहारे आप यह काम नहीं कर पायेंगे । आज एक ऐडीशनल सेक्रेटरी है किसी विभाग का, कल वह पी० डब्ल्यू० डी० का सेक्रेटरी हो जाता है, परसों किसी और विभाग का सेक्रेटरी हो जाता है, तो यह कोई हर मर्ज की पैनिसिया नहीं हो सकते । आप खुद अपने हाथ में इसको लीजिये और लालफीताशाही खत्म कीजिये, अपने लोगों की एक कमेटी बनाकर इंडस्ट्रीज के मामले को कंट्रोल कीजिये क्योंकि अगर उद्योगीकरण आप नहीं कर पाये प्रदेश का तो यहां गरीबी और बेरोजगारी बढ़ेगी । हमारे जितने भी प्रोजेक्टस हैं एंटी बायोटिक्स का ऋषिकेश वाला, फर्टिलाइजर्स का गोरखपुर वाला, ज्वालापुर का और सिंगरौली का ये सब जितने भी प्रोजेक्टस हैं, इनको अगले बजट में हम देखना चाहते हैं कि इनकी फैक्ट्रीज चालू हो गई। इनसे हमारा एम्प्लायमेंट बढ़ेगा और इनके सहारे हमारी और बहुत सी बेसिक इंडस्ट्रीज (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, अभी तो....

श्री उपाध्यक्ष—

२२–२३ मिनट हो चुके हैं ।

श्री नेकराम शर्मा—

मुझे तो आधा घंटा मिलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

जी नहीं, २० मिनट आपके लिये था, २२–२३ मिनट हो गये हैं ।

श्री नेकराम शर्मा--

श्रीमन्, पांच मिनट मुझे और दे दें। तो, श्रीमन्, ये जो हमारे सेन्ट्रल प्रोजेक्ट्स हैं ये लग जाने चाहिये।

अब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को देखिये। पब्लिक सेक्टर में आपके पास चुर्क सीमेंट फैक्ट्री और प्रासीशन इंस्टमेन्टस फैक्ट्री है और शुगर फैक्ट्री प्राइवेट सेक्टर में है। उसके लिये यह रिपोर्ट देखिये जो गवर्नमेंट की थर्ड फाइव ईयर प्लान की फर्स्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट है, इसमें श्रीमन्, प्रोडेक्शन घट रहा है। इसी तरह सीमेंट का है। और शुगर में आपने रिकवरी बेसिस रखा है गन्ने का दाम दिलाने के लिये। मान लीजिये दो मिलें पास-पास में हैं जिनके मैनेजमेंट अलग-अलग हैं। एक ने अपने यहां अच्छी मशीन लगा रखी है दूसरे की मशीन उतनी अच्छी नहीं है। एक ही एरिया का किसान दोनों मिलों में गन्ना देता है, तो जिस मिल में अच्छी मशीन लगी है वहां तो रिकवरी ज्यादा होने के कारण उसका ज्यादा पैसा मिलेगा और दूसरी में जहां मशीन खराब है वहां उसे कम पैसा मिलेगा। तो एक में उसे फायदा होगा, दूसरे में नुकसान होगा। यह क्या पालिसी आपकी है ?

आपका दूसरा सबसे बड़ा उद्योग टेक्सटाइल का है। इसमें बहुत सी मिलें बन्द पड़ी हैं। इसी तरह जो आपकी शुगर इंडस्ट्री है, लोग चाहते हैं कि उसको साउथ में ले जायं। रिकवरी उनकी ज्यादा है, ज्यादा दिन चलती हैं। तो आपको अपनी नीति रिवाइज करनी चाहिये वरना यह शुगर इंडस्ट्री यहां समाप्त हो जाये गी। आप शुगर और ट्रान्सपोर्ट को नेशनालाइज कर दीजिये और इससे आपको काफी इन्कम होगी। इसके अतिरिक्त आयल इंडस्ट्री दिन पर दिन गिरती जा रही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की भी हालत ठीक नहीं है। जितना प्रोडक्शन होना चाहिये वह नहीं हो रहा है। हमारी दो पेपर मिलें हैं। आपकी योजना और ज्यादा बनाने की थीं, लेकिन वह खुल नहीं पायीं। इसके लिये आपको सेंटर से मांग करनी चाहिये। जो सरकारी कर्मचारी हैं, पहले डाइरेक्टर थे, आज सेक्रेटरी हो गये हैं, उन लोगों से यह इंडस्ट्रिलाइजेशन नहीं हो सकता। इसके लिये आपको अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़ेगा। इसके अलावा आपका कैपिटल फार्मेशन भी नहीं हो रहा है और उसके बिना आपकी इंडस्ट्री चल नहीं सकती। जिन स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को आप बढ़ावा देना चाहते हैं, उनके लिये आपको सेल्स टैक्स माफ कर देना चाहिये। आपके यहां जो चीजें बाहर से आती हैं उनको रोक कर आपने यहां की चीजों का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिये और वह आप कर नहीं पा रहे हैं। इन शब्दों के साथ में निवेदन करता हूं कि पहले तो लाइसेंस जल्दी मिलना चाहिये, उसमें देर नहीं होनी चाहिये दूसरे, जो मंथली मीटिंग्स होती हैं, उनके स्थान पर वीकली मीटिंग्स होनी चाहिये। तीसरे आपको पंजाब का मेथड यहां अप्लाई करना चाहिये, चौथे, काटेज इंडस्ट्री और पावर को एक मिनिस्टर के हाथ में देना चाहिये। टाउन प्लानर एक नहीं, कई होने चाहियें ताकि काम जल्दी-जल्दी हो सके और आपको बड़ी भारी आवश्यकता है ओवरहाल करने की अपनी नीति में। अगर आप सोशलिस्ट पैटर्न लाना चाहते हैं समाज में तो वह आपको करना पड़ेगा। आज पब्लिक सेक्टर खत्म हो रहा है और प्राइवेट सेक्टर बढ़ रहा है। इस चीज को आपको रोकना पड़ेगा। समय समाप्त हो गया है इसलिये शेष बातें मैं रिप्लाई में निवेदन करूंगा।

(श्री बी० बी० शरण का नाम पुकारे जाने पर)

श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)--

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का समय दिया .....

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

मैं एक जानकारी करना चाहता था। आपने माननीय सदस्य का नाम पुकारा बी०बी० शरण। तो उनका नाम श्री० बी० बी० शरण है अथवा श्री बृजभूषण शरण ?

[श्री ब्रजभूषणशरण]

यह तो समय बचाने की बात है । आप चाहें तो पूरा नाम लिया जा सकता है । मैंने, श्रीमन्, नेकराम जी का भाषण बड़े गौर के साथ सुना और उनके बहुत से ऐसे सुझाव हैं कि जिनसे में अपने आपको सहमत पाता हूं । परन्तु माननीय नेकराम जी की नुक्ताचीनी किसी विभागीय अधिकारी या मुख्य मंत्री जी के विरुद्ध जो होती है उसके लिये उनसे प्रार्थना है कि वह न हो तो अच्छा है । मान्यवर, माननीय नेकराम जी ने कहा कि रुपया वेस्ट हो रहा है । माननीय फूलसिंह जी ने बताया कि कुछ लोन्स हमने दिये हैं और उनका प्रापर यूटाइलाइजेशन नहीं हो सका। तो वह वेस्ट नहीं हो रहा है । वह वसूल किया जायगा । यह गलती जरूर हुई है कि उन लोगों ने लोन्स ले लिये जिनको उसका यूटिलाइजेशन नहीं करना था ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और दो बजे फिर बैठेंगे ।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीश प्रसाद, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री बृजभूषणशरण—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, लंच से पहले मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय नेकराम शर्मा जी ने कहा कि हमारे उद्योग विभाग द्वारा बहुत से रुपये का दुरुपयोग हुआ है । जो रुपया ऋण रूप में दिया गया है वह जिस काम के लिये था उसमें यूटिलाइज नहीं हुआ । इसके लिये उन्होंने मुख्य बंत्री जी और इंडस्ट्रीज सेक्रेटरी का सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म किया है । मान्यवर, मैं नम्रता से निवेदन करता हूं कि माननीय नेकराम जी ने जो हमारा और अपना दोष है वह दूसरों के सिर पर मढ़ा जो ऋण दिये गये हैं वह न तो मुख्य मंत्री जी ने और न इंडस्ट्रीज सेक्रेटरी ने वितरित किये हैं । उनके मंजूर करनेवाले तो हम और वे हैं जो जिला स्तर इंडस्ट्रीज कमेटी में बैठकर छोटे-छोटे लोन्सको मंजूर करते हैं । मंजूर करते वक्त हम इस बात का खयाल नहीं करते हैं कि जिन्हें हम लोन्स दिला रहे हैं वह इसको यूटिलाइज करेंगे या नहीं । तो अपना दोष दूसरों के सिर पर मढ़ना यह संसदीय प्रणाली के लिये अच्छी बात नहीं है ।

उन्होंने यह भी कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब मिजरेबली फेल हुये हैं लोन्स के रियलाइजेशन में । उन्होंने यह भी कहा कि व्यक्तिगत लोन्स तो चीफ मिनिस्टर साहब पहले वसूल कर लें ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मान्यवर, माननीय सदस्य मुख्तारी भाषा में बोल रहे हैं ।

श्री बृजभूषणशरण—

उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किये हैं उनको मैं विदिन इन्वर्टेड कामाज कह रहा हूं । तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि व्यक्तिगत लोन्स तो इस डिपार्टमेंट के जरिये दिये नहीं जाते । जो भी लोन्स दिये गये वह कम्पनियों को दिये गये ।

उन्होंने एक बात यह भी कही कि तीन-तीन चार-चार मिनिस्टर्स एक ही विभाग को देख रहे हैं । मान्यवर, यह उन्होंने नुक्ताचीनी की है या मुख्य मंत्री जी की तत्परता की सराहना की है कि वे कितना इम्फेसिस इंडस्ट्रीज के ऊपर देते हैं कि तीन-तीन कबिनेट रैंक के मिनिस्टर इस काम को देख रहे हैं । हमारा प्रदेश इस वक्त पिछड़ा हुआ है और जैसा उद्योग मंत्री, श्री हरगोविन्द सिंह जी ने कहा कि हमें दौड़ लगानी है क्योंकि और प्रदेशों के मुकबाले में हम पीछे हैं और उस फासले को हमें पूरा करना है । उसके लिये आवश्यक है कि विभाग की तरफ विशेष ध्यान दिया जाय ।

उन्होंने एक बात यह भी कही कि उन्होंने उद्योगपतियों को फैसिलिटीज देने के लिये, उनकी दिक्कतों को दूर करने के लिये, तीन सेक्रेटरियों की जो कमेटी बनाई है उसके बजाय तीन मिनिस्टरों

की एक कमेटी बना दी जाय । यानी आपने पहले जो कहा है उसको स्वयं कंट्रेडिक्ट कर रहे हैं । मिनिस्टर का फर्ज है कि वह पालिसी को ले डाउन करे और सेक्रेटरी का फर्ज है उसको इम्प्लीमेंट करें । मिनिस्टर ने पालिसी ले डाउन कर दी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिये और उनको सुविधायें देनी चाहियें । अब यह सेक्रेटरीज का काम है कि उनको सुविधा दे ।

मान्यवर, एक शिकायत यह की गयी कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हम पेपर मिल्स की संख्या बढ़ायेंगे लेकिन वही दो पेपर मिल्स हैं जो पहले थीं । माननीय सदस्य को क्या यह याद नहीं है कि पेपर मिल जो हमारे प्रदेश में हैं जब उनको रा मैटीरियल देने का प्रश्न आता है तो अपोजीशन की ओर से कितना हुल्लड़ मचता है कि जंगलात की लकड़ी खत्म होती जा रही है वहां के रहने वालों को जलाने के लिये लकड़ी नहीं मिलती, आदि, आदि ? तो कभी इस तरह से तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो नहीं सकता । सिर्फ नुक्ताचीनी करने के लिये, काम में रोड़ा अटकाने के लिये अगर विधान सभा में हम जिम्मेदार लोग भी इस तरह से काम करेंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो नहीं सकता । हर उद्योगपति भागेगा दूसरे प्रदेश में जहां उसको फैसिलिटीज मिल सकें और जहां उसका क्रिटिसिज्म न हो ।

उन्होंने कहा कि शुगर प्रोडक्शन हमारे यहां घट रहा है और साथ-साथ यह भी कहा कि शुगर का नेशनलाइजेशन किया जाय । यह भी कहते हैं कि चुर्क सीमेंट फैक्ट्री का प्रोडक्शन घट रहा है । चुर्क सीमेंट फैक्ट्री तो नेशनलाइज्ड इंडस्ट्री है और अगर शुगर इंडस्ट्री को भी नेशनलाइज किया जाय तो जो हो रहा है वह भी गड़बड़ में पड़ जायगा । मैं नेशनलाइजेशन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जब तक आप अपने फाइनेंन्शियल हैन्डबुक को नहीं बदलेंगे, जब तक जो नये उद्योगों की देखभाल करने वाले आफिसर्स को यह अधिकार नहीं देंगे कि वह जिस वक्त सस्ता हो खरीद सकें, जब महंगा हो बेंच सकें, जिस वक्त जो जरूरी हो वह कर सकें तब तक कोई भी पबलिक अन्डरटेकिंग आपकी चल नहीं सकती है । जिस वक्त इस अधिकार को आप उनको देते हैं तो तरह तरह की नुक्ताचीनी यहां विधान सभा के प्रागणं में होती है और कहा जाता है कि फलां आफिसर ने फेवरटिज्म किया, कभी फाइनेन्शियल इर्रेगुलरीटीज सामने लायी जाती हैं, कभी आडिट रिपोर्ट को पेश किया जाता है, तो कभी कोई चीज सामने लायी जाती है । इसके लिये तो आपको जहनियत को बदलना पड़ेगा ।

श्रीमन्, मुझे बहुत दुख हुआ जब श्री नेकराम शर्मा जी ने व्यक्तिगत तरीके से किसी के ऊपर हमला करना शुरू किया । मुख्य मंत्री जी तथा उद्योग सचिव का तो उन्होंने नाम लेकर उनकी नुक्ताचीनी की, इसका मुझे बहुत अफसोस है । जो लोग दिल लगाकर दिन रात अपना काम कर रहे हैं अगर उनकी इस तरह से नुक्ताचीनी की जायेगी तो यह अच्छा नहीं होगा ।

सम्पूर्णानन्द जी के जमाने की बहुत सी बातें कही गयीं थी कि उनके जमाने में एन्टी-बायोटिक्स फैक्ट्री लगी, यह काम हुआ, वह काम हुआ, यह संसदीय प्रथाओं के खिलाफ है । किसी काम को कोई व्यक्ति विशेष नहीं करता, बल्कि पार्टी करती है । उस वक्त सम्पूर्णानन्द जी के जमाने में भी कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी और आज भी माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी के समय में भी कांग्रेस पार्टी की हुकूमत है । तो इस तरह से एक व्यक्ति की खुशामद तथा दूसरे को गिराने का तरीका अपनाना ठीक बात नहीं है । जब यह फैक्ट्री लगी, उससे तीन साल पहले उसके लिये एक वातावरण तैयार किया गया था और उस समय भी आज के मुख्य मंत्री, उद्योग मंत्री थे । बरेली की बड़ी फैक्ट्री, एन्टी बायटिक्स फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री आदि जो भी कारखाने यहां स्थापित हुये, उसके लिये एक वातावरण उसी समय तैयार किया गया था ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)——

यह आप स्वयं व्यक्तिगत प्रशंसा नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, एक की तारीफ, एक की बुराई ?

श्री बृजभूषणशरण—

जवाब में तो हमें कहना ही पड़ेगा, वरना यह होगा कि जो कुछ उन्होंने कहा है उसको हम स्वीकार करते हैं। तो मैं कह रहा था कि महज यह कह देने से फलां आफिसर खराब है, उसको निकाल दो, आदि बात कहने से काम नहीं चलेगा। आखिर फिर आप कहां से आफिसर्स लायेंगे? आपने मिसाल भी किसी चीज को कोई नहीं दी। हम खुद अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करते। पेपर मिल के बारे में यहां ५ साल से मैं सुनता आ रहा हूं कि अल्मोड़ा और नैनीताल जिले में सस्ते दामों पर लकड़ी दी गयी, लोगों को जलाने के लिये लकड़ी नहीं दी गयी। हमें उद्योग धंधों को पहले प्रोत्साहन देना होगा।

मैं सरकार को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि उसने यह नीति निर्धारित की है कि उद्योगपतियों को फेसिलिटीज दी जायं, ताकि वे लोग हमारे यहां आयें। अगर उनको आप सुविधायें नहीं देंगे तो कोई उद्योगपति यहां आने के लिये तैयार नहीं होगा, वे दूसरी जगह चले जायेंगे। इस संबंध में जो नीति निर्धारित की गयी है, उसके लिये मैं बधाई सरकार को देता हूं।

लोन्स के बारे में यह निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी नीति अपनायी जाय जिससे कि सही लोगों के पास पैसा पहुंच सके और उद्योग पनप सकें। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं इस संबंध में। इसके लिये सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने जो नेशनल स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन बनाया है, उसी तरह का यहां पर भी एक कारपोरेशन होना चाहिये और बजाय इसके कि लोगों को लोन दिया जाय, उनको मशीनरी हायर परचेज सिस्टम पर दी जाय तो उससे अधिक लाभ होगा।

एक बात, मान्यवर, यह कही गयी कि हमें उतने रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं जितनी हम कोशिश कर रहें हैं। उसका एक खास कारण है। हमारे प्रदेश का एक बायस है और वह एग्रीकल्चर के प्रति है। होना भी चाहिये। कृषि एक महत्वपूर्ण साधन है यहां के लोगों को जीविका का। लेकिन जब आप इंडस्ट्रियेलाइजेशन की ओर स्विच-ओवर करना चाहेंगे तो आपको अपना बायस थोड़ा इंडस्ट्री की ओर करना होगा। जब कभी जमीन ली जाती है तो शोर मचता है कि खेतवालों की जमीन ली जा रही है। तो आसमान पर तो इंडस्ट्री लगेगी नहीं। जब जमीन पानी में डूबेगी तभी तो बिजली पैदा होगी। कहा गया कि उद्योगों में सिर्फ ५० प्रतिशत् बिजली लगाई जा रही है। लेकिन आपकी ही मांग रहती है कि जगह-जगह ट्यूबवैल लगने चाहिये और बनने भी चाहियें क्योंकि वह भी हमारे प्रदेश के लिये बहुत जरूरी है।

नेकराम जी से मैं सहमत हूं कि प्रदेश को इंडस्ट्रियेलाइज करना होगा और हमें सोचना होगा कि हम हर उस काम को प्रोत्साहन दें जो हमारी सरकार और विभाग करना चाहते हैं। सरकार ने ऐंटीबायोटिक्स, प्रिसीशन इन्स्ट्रूमेंट्स फैक्ट्री और चुर्क सीमेंट का कारखाना लगाये हैं और गोरखपुर में फर्टलाइजर के लिये कहा है। यह बात गलत है किसी का हवाई जहाज उतरने के लिये उसमें देर हो रही है, बल्कि जमीन के एक्वायर करने में देर हो रही है। मुख्य मंत्री जी कह चुके हैं कि गोरखपुर में वह फैक्ट्री लगेगी।

अन्त में मुख्य मंत्री जी और उद्योग मंत्री जी को बधाई देता हूं कि वे ऐसा वातावरण पैदा कर रहे हैं कि इस प्रदेश में उद्योगधंधे बढ़ें। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो कटौती का प्रस्ताव चल रहा है, उसका समर्थन करने केलिये मैं खड़ा हुआ हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, आज कृषि पर जितना भार पड़ रहा है उसे कम करने के लिये हमें उद्योगीकरण करना होगा। सरकार की ओर से जो बड़े-बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उससे हमारी समस्या हल नहीं हो पा रही है। छोटे उद्योगों को प्राथमिकता देनी होगी। बड़े-बड़े उद्योगों को जो सरकारी रुपया दिया जाता है, उसका वे गलत इस्तेमाल करते हैं, मनमाने ढंग से इस्तेमाल करते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि उस रुपये का काम पूरा नहीं हो पाता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जहां आप बड़े उद्योगों की ओर ध्यान देते हैं वहां छोटे उद्योगों की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। वैसे तो कागज पर आपने छोटे उद्योगों को काफी प्राथमिकता दे रखी है, फिर भी देखने में यह आता है कि जहां आप बड़े उद्योगों को ज्यादा प्रोत्साहन देते हैं वहां छोटे उद्योगों का गला घोंटते हैं। इसका एक उदाहरण मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस वर्ष हमारा शुगर का उत्पादन २० परसेंट घट गया है। पिछले वर्ष सरकार ने खांडसारी और गुड़ उद्योगों को चलाने के लिये छूट दे रखी थी। बड़े-बड़े मिल मालिकों के कहने से सरकार ने इन छोटे उद्योगों का गला घोंट दिया और इन पर प्रतिबन्ध लगा दिये। उनको बढ़ने नहीं दिया जा रहा है।

एक बात और मैं सरकार से कहना चाहता हूं। वह यह है कि जिस प्रकार से आपने प्रतिज्ञा की है कि चीन को भारत से निकाल बाहर करेंगे, उसी प्रकार से इसमें भी एक प्रतिज्ञा करनी होगी कि इसमें भाई-भतीजावाद जो चल रहा है कि किसको लाइसेंस दें और किसको न दें, इस मनोवृत्ति को समाप्त करना होगा। इसका एक उदाहरण यह है कि आय-व्ययक के अनुमान के स्मृतिपत्र में एक आइटम है भौमिक सर्वेक्षण। इसमें दिया है कि यह विभाग अब उद्योग विभाग के नियंत्रण में हस्तांतरित कर दिया गया है और फलस्वरूप आवश्यक धनराशि की व्यवस्था उद्योग विभाग के अनुदान के अन्तर्गत की गई है। वैसे भौमिक सर्वेक्षण का कार्य हमारी गवर्नमेंट करती है। मुझे जहां तक पता है, इस व्योरेवार अनुमान और अनुदान में इस विभाग पर २,६६,००० रुपया खर्च किया जायगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, परन्तु इस विभाग के खोलने का केवल एक ही कारण है कि एक मंत्री महोदय का कोई आदमी है और उसे इस बिभाग का अध्यक्ष बनाने के लिये ही यह विभाग खोला गया है। तो यह भाई-भतीजावाद बन्द करना होगा। इस तरह से उद्योगों को आप बढ़ा नहीं सकते हैं। उनका आप संरक्षण नहीं कर सकते हैं। अभी एक सज्जन कह रहे थे कि लोगों को इस प्रकार से रुपया बांट दिया गया है कि उसे उन्होंने गलत तरीके से खर्च किया। मेरा तो यह सुझाव है कि जब तक आप इस प्रकार की प्रणाली नहीं बनावेंगे कि रुपये के बजाय मशीनें खरीद कर दी जावें, तब तक रुपये का सही उपयोग नहीं हो सकता।

और कहां तक मैं बताऊं कि छोटे-छोटे उद्योग-धंधों का गला हमारी सरकार कैसे घोंटती है? इसका एक लखनऊ का ही नमूना सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। यहां पर डालीगंज में एक गुड़िया तथा शिल्पकला केन्द्र चल रहा था जिसमें कुछ विद्यार्थी शिक्षा पा रहे थे। पर अभी साल पूरा नहीं हुआ और उसे बन्द कर दिया गया। जो शिक्षार्थी वहां शिक्षा ले रहे थे उनको किस तरह से कठिनाई का सामना करना होगा जबकि आप छमाही में ही उस केन्द्र को बन्द कर देते हैं? कुछ विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिये टैक्नीकल विद्यालयों की स्थापना हुई और वहां विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार ने उसे क्यों खत्म कर दिया और इस वर्ष से उन्हें फीस देनी पड़ेगी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी कार्य को आप करते हैं लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उस को बन्द कर देते हैं तो उससे जो लगन और वातावरण पैदा होना चाहिये वह नहीं हो पाता है।

श्रीमन्, आज छोटे-छोटे उद्योगों को गांव गांव में ले जाने की आवश्यकता है। इस लड़ाई के जमाने में बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्रीज फेल हो सकती हैं, लेकिन अगर गांवों में छोटे-छोटे उद्योग फैले हुए होंगे तो उससे हम हर समय देश की रक्षा कर सकते हैं, देश के लिये जिस माल की आवश्यकता है, उसको बना सकते हैं, देश को आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न कर सकते हैं।

[श्री शारदानन्द]

इसलिये छोटे-छोटे उद्योगों को प्राथमिकता देनी चाहिये और गांवों में उनकी व्यवस्था करनी चाहिये।

अभी सरकार ने कुछ औद्योगिक आस्थानों को खोला है। पिछली मर्तबा १००आस्थानों की योजना बनायी थी लेकिन उसमें से केवल ६० खोले गये हैं। मेरा सुझाव है ब्लाक लेविल पर ये आस्थान खोले जाने चाहियें। आज दशा यह है कि गांवों से बेकार और मजदूर लोग शहरों की ओर जो भागते हैं वे रुक जायेंगे। इसका इलाज यही है कि गांवों में छोटे-छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाय। गांवों वालों को सब प्रकार की सविधायें उसके लिये दी जायं। जब हम इस प्रकार से सोचेंगे तभी इस देश का कल्याण हो सकता है।

कुमारी श्रद्धादेवी (जिला मेरठ)---

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत मांग का समर्थन करती हूं। श्रीमन्, आज समृद्धशाली देशों का इतिहास कृषिप्रधान एकोनामी से उद्योग प्रधान एकोनामी में परिवर्तन किये जाने का इतिहास है। मान्यवर, इसमें काफी समय लगता है। यही कारण है कि आज १५ वर्ष हो गये हमारे देश को स्वतंत्र हुए लेकिन कोई बहुत बड़ी तरक्की हम नहीं कर पाये हैं। यह प्रजातन्त्रात्मक पद्धति में समय भी एक कारण है।

किसी भी पिछड़े हुए देश के विकास के लिये सबसे बड़ी समस्या पूंजी की होती है। किसी भी अविकसित देश में बचत होती नहीं है और जब बचत नहीं होती तो आगे कामों में लगाने के लिये पूंजी कहां से आये? इस प्रकार से पूंजी और बचत का सीधा संबंध होता है। जब हमारी आमदनी कम होती है तो बचत कम होती है और अगर बचत कम होती है तो नये उद्योगों में लगाने के लिये रुपया कम होता है, जब नये उद्योग हम नहीं खोल पाते हैं तो हमारे विकास में कमी आती है। इस प्रकार से यह बड़ा भारी एक कुचक्र हमारे सामने होता। है जो पिछड़े हुए देश हैं उनमें भी, जैसा रूस में जहां कि अधिनायकवाद है वहां भी, यह समस्या सामने आयी थी। यह समस्या हर पिछड़े देश के सामने आती है।

माननीय नेकराम जी ने हमारे प्रदेश की तुलना और प्रदेशों से की। यह मैं मानती हूं कि उद्योगों में और प्रदेश हमारे प्रदेश से आगे हैं। लेकिन हमारे पिछड़ेपन का कारण स्पष्ट है कि हमारे यहां पूंजी बहुत कम लगायी गयी और उसका कारण यह था कि हमारे प्रदेश में और प्रदेशों की अपेक्षा कम कर लगाये गये। इसके लिये मैं दो तीन प्रदेशों की एक्जाम्पिल दूंगी। हमारे उत्तर प्रदेश में पहली व दूसरी योजना में प्रति व्यक्ति पीछे कर लगा ७.११, महाराष्ट्र में १४.५, पंजाब में १२, बंगाल में १३, केरल में ११.५, मद्रास में ११.५, मैसूर में ११.५, आंध्र में १०, आसाम में ११, गुजरात में १०, राजस्थान में ९ और मध्य प्रदेश में ८। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का मैं टोटल बता देती हूं जो एक्स्ट्रा कर लगा और जिस के लिए उन प्रदेशों की जनता ने साहसपूर्ण बलिदान किया है। यहां उत्तर प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति पीछे कर लगा है १० रुपया, और महाराष्ट्र में १७.१४, पंजाब में १६.२०, बंगाल में १५.३४, केरल में १४.४, मद्रास में १४.८, मैसूर में १४.१६, आंध्र में १३.१६। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि माननीय नेकराम जी ने जहां औद्योगिक प्रगति की बात कही वहां उसका पूंजी और विकास की प्रगति से सीधा सम्बन्ध है। तो पूंजी का वृद्धि मार्ग अतिरिक्त करों के अलावा कोई नहीं बताया है। मैं आपको बतलाऊं कि सन् १९५५-५६ में हमारे यहां जो उद्योग का बजट था वह सम्भवतः ५ करोड़ ८८ लाख रुपये का था और वह समर्थन वित्तीय वर्ष में १४ करोड़ ५२ लाख रूपये का है। अब जो हमारा प्रस्तुत बजट है वह १६ करोड़ ७१ लाख रुपये का है। तो इस युद्धकालीन स्थिति में यह बजट जो हमारे उद्योग मंत्री जी लाये हैं, यह एक बहुत ही साहसपूर्ण कदम है और प्रगति का कदम है। हम उद्योगों की प्रगति में पीछे है इसमें कोई सरकार की नीति का दोष नहीं है, इसमें तो पूंजी और सेंटर से जो हमें सहायता मिलती है उसका दोष है। हमारे प्रदेश के विकास के लिये, जैसा कि सभी लोग मानते हैं,

हमारे यहां हैवी इंडस्ट्री होनी चाहिये। लेकिन इसके होते हुए भी हमें यह मानना होगा कि इससे हमारी समस्या का हल नहीं होने वाला है। हमारी समस्या का हल तो छोटे-छोटे उद्योग धंधों से ही हो सकता है, छोटे-छोटे उद्योग धंधों के प्रसार हेतु पूंजी के सृजन को हमें अपनी सेल्फ जेनिरेटिङ्ग इकोनामी, स्वयं चालित अर्थ व्यवस्था होनी चाहिये।

हमारी सरकार ने हैवी इंडस्ट्री के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। चुर्क सीमेंट फैक्ट्री में भी काफी उत्पादन बढ़ा है। श्री नेकराम जी, मेरे पास आंकड़े हैं लेकिन समय नहीं है वरना मैं आपको सारी चीजें बतलाती कि सन् १९५४ से ५८ तक उत्पादन लगातार तेजी से बढ़ा ही है। उसके बाद दो वर्ष उत्पादन घटा, जैसे सन् १९६१ में कुछ उत्पादन घटा लेकिन उसके साथ ही सन् १९६२ में दुगना प्रोडक्शन हो गया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कम्पलीट प्रोडक्शन घटा नहीं है बल्कि बढ़ा ही है। इसके अलावा सीमेंट का सामरिक युग में भी बहुत बड़ा महत्व है, सिंचाई की दृष्टि से भी सीमेंट का बहुत बड़ा महत्व है। और इस फैक्ट्री के सफल संचालन के लिये मैं अपनी सरकार को बधाई देती हूं।

प्रेसिशन इंस्ट्रूमेंट्स फैक्टरी भी हमारे प्रदेश के लिये और हमारी सरकार के लिये फायदेमन्द सिद्ध हो रही है। यहां भी प्राफिट हो रहा है और इस समय उसके अन्दर तिगुना प्रोडक्शन हो रहा है। उसके अन्दर विस्तार भी हो रहा है और मेरा खयाल है कि सरकार को उससे भी फायदा ही होगा।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि हमारे यहां यू० पी० इंडस्ट्रियल कारपोरेशन के द्वारा तमाम उद्योगों को प्रोत्साहन मिल रहा है लेकिन इसके पास जितनी पेडअप पूंजी है वह केवल ७५ लाख रुपये की है। सरकार ने उसके लिये ५ करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है जिसे वह जल्दी प्राप्त कर ले तो हमारा खयाल है कि जो संस्था चल रहे हैं वे सन् १९६३-६४ में उत्पादन देने लगें और अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में आ जायं। इस कारपोरेशन के अन्तर्गत हमारे यहां हरिद्वार, गाजियाबाद, बरेली, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर और मिर्जापुर आदि में संस्थान चल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि उन से काफी लोगों को लाभ पहुंचेगा।

चौथी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि केन्द्र से हमें तीन चार योजनायें मिली हैं ज्वालापुर की, ऋषिकेश की, गोरखपुर की और वाराणसी की डीजल आयल इंजिन्स की, इनके सफल होने पर हमारे यहां काफी लाभ होगा और इनसे हमारे यहां की बेकारी काफी तौर पर दूर होगी। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि जैसे सब लोग प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ हैं उस प्रकार मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। मैं समझती हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इन दिनों ६३ करोड़ की पूंजी प्राइवेट सेक्टर में लगवाने का जो प्रयास किया है यानी सेन्ट्रल गवर्नमेंट से, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऐक्ट, सन् १९५१ के आधार पर लाइसेंस दिलाये हैं उसके लिये माननीय मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। अन्त में मैं यह भी कहूंगी कि हमारे प्रदेश की आबादी के अनुपात से विकास योजनाओं के तहत में केन्द्रीय सरकार के बजट का १६ प्रतिशत हमें मिलना चाहिये जो कि हम को नहीं मिला है। एक बात मुझे यह भी कहनी है कि यह हैवी इंडस्ट्रीज हमारी समस्या का हल नहीं है, हमारी स्वदेशी की भावना जो कि गांधी जी की भावना है उसका अर्थ बदलना होगा, उसका अर्थ यह होगा कि हम अपनी उपयोग की चीजों को कन्ज्यूमर्स गुड्स स्वयं की पैदा करें और सरप्लस को बाहर भेजें। इसलिये मेरा सुझाव है कि ५० प्रतिशत कपड़े का उत्पादन हैन्डलूम या गांधी आश्रम के द्वारा कराया जाय और जूते, मकान का सामान, लोहे का सामान या मिट्टी की जो सामग्री है, उनको भी यहां बनाने की योजना बनाई जाय। इसके लिये मेरा सुझाव है कि सरकार नये संस्थानों की योजनायें ब्लाक स्तर पर, जिला स्तर पर या तहसील स्तर पर चलावे। इसके अलावा खास बात यह है कि हमारे उद्योगों के बढ़ाने के लिये जितने भी अधिकारी ब्लाक स्तर पर या जिला स्तर पर या तहसील पर रखे गये हैं उनके विषय में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगी कि उनके लिये छोटे छोटे उद्योगों के विकास लक्ष्य निर्धारित कर दिये जायं, यानि कि इतने समय में आपको इतना कोटा देना पड़ेगा, इतने उद्योग चलाने पड़ेंगे अगर इतना उत्पादन देना होगा और अगर कोई अधिकारी उस लक्ष्य

[कुमारी श्रद्धादेवी]

से पीछे रहता है तो मैं समझती हूं कि उसको अयोग्य समझा जाय और उसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर होनी चाहिये और उसके लिये उनको कुछ पुरस्कार या अपुरस्कार भी मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करती हूं।

श्री गिरजा प्रसाद (जिला गोंडा)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज उद्योग की चर्चा चल रही है, हमारा राज्य खेतिहर है और इसकी अधिकतर आबादी खेती पर निर्भर करती है और यही कारण है कि आज हमारे गांवों में गरीबी बढ़ती जा रही है। इसको दूर करने के लिये हमें उद्योग धंधों की उन्नति पर ध्यान देना चाहिये। अभी माननीय नियोजन मंत्री जी जो भाषण दे रहे थे, उससे साफ जाहिर होता है कि हमारी नीति उद्योग धंधों के विषय में साफ नहीं है। उद्योगपतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, बड़े-बड़े उद्योग खोलने की बात की जा रही है और जब बड़े बड़े उद्योग खुल जायंगे तो बेकारी की समस्या भी सामने आयेगी। गांवों में जन-शक्ति बेकार पड़ी है हमें इसको काम देना और उपयोग में लाना है। ऐसी हालत में ऐसे उद्योगों पर ज्यादा जोर देना चाहिये जिससे कम पूंजी लगे और जिससे पूरी पूरी जन शक्ति का उपयोग हो सके। इसके लिये जरूरी है कि ज्यादा ध्यान कुटीर उद्योगों की तरफ जाना चाहिये। जो नीति आज चल रही है उससे पूंजीपतियों को ही फायदा पहुंचता है। अतः जरूरी है कि मिलों में जो पैदा होता है उसका दाम स्थिर होना चाहिये और जैसा सोशलिस्ट पार्टी का कहना है मिलों में जो सामान पैदा होता है उसका दाम लागत दाम के ड्योढ़े से ज्यादा न हो तो तभी हमारी गरीबी घटेगी। जो आज उद्योग हैं, जिनमें मजदूर किराये पर रखे जाते हैं उनका समाजीकरण होना चाहिये। अभी माननीया सदस्या ने कहा विकास के लिये पूंजी चाहिये। इसके लिये जरूरी है कि बड़े-बड़े उद्योग धंधों का समाजीकरण किया जाय और इस सम्बन्ध में सरकार की स्पष्ट नीति होनी चाहिये। हमारे सूबे का प्रमुख उद्योग चीनी है,इसमें मजदूर भी ज्यादा लगे हैं और किसानों को भी लाभ पहुंचता है। उद्योग के सम्बन्ध में भी सरकार की स्पष्ट नीति नहीं है। आप देखें कि इस साल चीनी की पैदावार कम हुई। जिसके कारण सरकार को टैक्स कम मिलेगा साथ ही किसानों और मजदूरों को दाम भी कम मिलेगा। हम पिछड़ते जा रहे हैं, मिलों की व्यवस्था खराब होती जा रही है। उदाहरण के लिये बहराइच जिले में जरवल शुगर मिल है, पूरा सीजन बीत गया, लेकिन मिल मालिकों ने गन्ना उत्पादकों को आज तक गन्ने का दाम नहीं दिया, जब कि पिछले साल का भी बाकी है। जो मिल में मजदूर काम करते हैं उनको मजदूरी नहीं दी गई। जरवल मिल को सप्लाई करने वाले और उसमें काम करने वाले किसान और मजदूर अधिकतर बाढ़ क्षेत्र के रहने वाले हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर उनको पैसा न मिले तो कैसे उनका काम चल सकता है। इसके अलावा बाराबंकी में बुढ़वल शुगर मिल है उसकी व्यवस्था भी खराब होती जा रही है। कारण यह है कि वहां के मजदूरों में असंतोष है। तो सरकार की अस्पष्ट नीति के कारण ही चीनी की पैदावार घट रही है। चीनी उद्योग ऐसा है जो शासक दल को चुनाव में काफी चन्दा देता है इसीलिये मंत्री जी ध्यान नहीं देते हैं। जब किसान और मजदूरों की तरफ से मांग की जाती है कि सरकार दखल दे तो उदासीनता सरकार की तरफ से बरती जाती है। ऐसी हालत में चीनी के सम्बन्ध में सरकार की नीति स्पष्ट होनी चाहिये। आप जानते हैं कि गांव के किसानों का काम इसी गन्ने की पैदावार से चलता है, वह उद्योग भी हमारा टूट रहा है। समाज की रीढ़ टूट जायगी और हमारे सूबे का बहुत बड़ा नुकसान होगा। यहां बतलाया गया कि अगर देशको उठाना है तो हमें जापान की तरह ऐसी पद्धति अपनानी होगी,जिससे सबको काम दिया जा सके। बहुत सुन्दर बात है लेकिन व्यवहार में क्या हो रहा है? जिला स्तर पर हमने जिला उद्योग अधिकारी नियुक्त किये हैं और विकास खंड स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (उद्योग) नियुक्त किये हैं। ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं।

जून, जुलाई में सर्वेक्षण का काम चला। उद्योग सम्मेलन चला और जगह-जगह बहुत पैसा खर्च किया गया। लेकिन आप देखेंगे कि देहातों में कोई भी उद्योग नहीं चल रहा है। अखबारों में आपने देखा होगा, हमारे लघु उद्योग मंत्री ने स्वयं बयान दिया है कि जो ऋण बांटा गया है, उसमें काफी घपला हुआ है और सही-सही उसका उपयोग नहीं हुआ है। जिला उद्योग अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारी से कोई भी सहायता नहीं मिलती है।

मैं अपने क्षेत्र की बात बतलाना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में ताड़ बहुत होते हैं। अगर ताड़ का गुड़ बनाया जाय तो यह उद्योग धन्धा चल सकता है। लेकिन उधर ध्यान नहीं दिया गया। इसी तरह से वहां एक ऐसी जाति रहती है जिसका काम चाकू बनाना है। वे बहुत गरीब लोग हैं और चाकू बना कर बेचते हैं। उनको सहायता दी जाय तो बड़े पैमाने पर चाकू बना कर अपना जीवन वह अच्छी तरह से चला सकते हैं। हमारे क्षेत्र में इसी तरह से और छोटे-छोटे उद्योग हैं। हमारे यहां काफी तादाद बढ़ई लोगों की है। अगर उनको सहायता दी जाय तो लकड़ी का फर्नीचर सस्ते दर पर बना कर ज्यादा तादाद में अपनी जीविका चला सकते हैं। इस तरह तमाम धन्धे फैलाये जा सकते हैं। अगर हमारी नीति साफ हो, अगर हम अपने ग्रामीण उद्योग धंधों की उन्नति करना चाहते हों तो फिर हमें ज्यादातर ग्रामों की ओर ध्यान दे कर वहां की जो चीजें हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय नेकराम शर्मा जी इस सदन में कुछ चमत्कारपूर्ण बातें कहने में विशेषज्ञ हैं और यही कारण है कि इस प्रदेश में औद्योगिक कदम कैसे बढ़े, इसकी कोई विशेष चर्चा न करके प्रधान मंत्री ने मुख्य मंत्री के पास क्या पत्र लिखा है और उद्योग विभाग के सेक्रेटरीज में कैसी गुटबन्दी है और यह उद्योग विभाग, चार पांच मंत्रियों के हाथ में है, केवल इन्हीं बातों के सम्बन्ध में उन्होंने प्रकाश डाला। इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि वर्तमान मुख्य मंत्री की अवधि में ही इस प्रदेश में औद्योगिक चरण का आरम्भ हुआ है। पिछली दो पंचवर्षीय योजनाओं को देखा जाय तो इस प्रदेश में सेंटर सेक्टर में कोई भी उद्योग नहीं था और स्टेट सेक्टर में चुर्क की सीमेंट फैक्टरी और लखनऊ की प्रेसीशन इंस्ट्रूमेंट्स फैक्टरी थी जो कि बहुत ही आरम्भिक अवस्था में थी। और प्राइवेट सेक्टर में यहां पर करीब १,३०० रजिस्टर्ड फैक्टरियां थीं। लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में यहां पर उद्योगों में विशेष प्रगति हुई है जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। प्राइवेट सेक्टर में १,८०० रजिस्टर्ड फैक्टरियां इस प्रदेश में दिसम्बर, १९६२ में हो गयी थीं और स्टेट सेक्टर में भी केवल १९६१ में ४९७ रजिस्टर्ड फैक्टरियां यहां पर स्थापित हुईं और ९७ फैक्टरियों के लिये लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट से प्राप्त हुये हैं। इसी प्रकार स्टेट सेक्टर में जैसा कि उद्योग मंत्री महोदय ने बताया कि सीमेंट में कुछ नये-नये काम आरम्भ हुये हैं और लखनऊ की प्रेसीजन इंस्ट्रूमेंट्स फैक्ट्री भी अब अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है। तो यह कहना कि इस अवधि में उद्योग में हमारे यहां कोई प्रगति नहीं हुई सत्य से परे है। इतना मैं अवश्य निवेदन कर देना चाहता हूं मुख्य मंत्री महोदय से कि प्रदेश में उद्योगीकरण को ऊंचे स्तर पर लाने के लिये उन्हें केंद्र से अभी लम्बी लड़ाई लड़नी है। तो पंचवर्षीय योजनाओं में ४९ सौ करोड़ रुपया प्राइवेट सेक्टर में खर्च हुआ जिसमें से उत्तर प्रदेश के पल्ले केवल ३०० करोड़ ही पड़ा और पब्लिक सेक्टर में ४६ सौ करोड़ रुपया खर्च हुआ जिसमें से केवल २८० करोड़ रुपया ही हमें मिला। यदि औसत लगायी जाय तो उत्तर प्रदेश की सारे देश की १५ प्रतिशत जनसंख्या आयेगी लेकिन इंडस्ट्रीज में केवल ६ प्रतिशत ही रुपया हमें मिला। तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि हमारे प्रदेश के लिये काफी एम्बिशस योजना मानी जाती है, उसमें यू०पी० का इंडस्ट्रियल एलाटमेंन्ट का शेयर केवल ९ परसेंट है जबकि हमारी जनसंख्या का अनुपात सारे देश में १६ परसेंन्ट है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णानन्द राय]

यह बड़ी भयावह स्थिति है क्योंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने देखा कि जहां सारे देश में उत्पादन की प्रगति १६.३ प्रतिशत तक है वहां उत्तर प्रदेश में नहीं के बराबर थी। इसका एकमात्र कारण यह था कि फैक्टरीज का विकास उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। और दो पंचवर्षीय योजनाओं में उद्योगों से राष्ट्रीय आय जहां ९४ परसेंट औसत में आयी वहां उत्तर प्रदेश यह केवल १.७ परसेंट आयी। तो केंद्र से दो पंचवर्षीय योजनाओं में जो एलाटमेंट हुआ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में वह इतना कम था कि उससे काम नहीं चल सकता था।

मुझे एक चीज और भी मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करनी है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के सम्मुख यह जिम्मेदारी है कि वह केंद्र से इंडस्ट्रियल एलाटमेंट के लिये लड़ें वहां हमें प्रदेश के पूर्वी जनपदों के उद्योगीकरण की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये। रजिस्टर्ड फैक्टरीज का एक चार्ट हमारे पास है, जिसमें बलिया में २, गाजीपुर में ४, आजमगढ़ में ८, जौनपुर में ७, सुल्तानपुर में १ और बस्ती में ९ हैं और ठीक इसके विपरीत कानपुर में ३८३, मेरठ में २०३, अलीगढ़ में १३०, लखनऊ में १२६, आगरा में ३५०, मुरादाबाद में ७२, सहारनपुर में ६९, मुजफ्फरनगर में ९६ और बरेली में ७ हैं। यानी बलिया में रजिस्टर्ड फैक्टरीज में ३१, गाजीपुर में ३००, सुल्तनपुर में १७, कानपुर में ७३,०००, लखनऊ में ८,६२८ और मेरठ में २५,१२२ व्यक्ति एम्पलायड हैं। यह एक बहुत ही गम्भीर नक्शा है उत्तर प्रदेश के पूर्वी अंचल के लिये। मेरे एक भाई कह रहे हैं कि ठीक यही हालत बुन्देलखंड और पहाड़ी क्षेत्रों के उद्योगीकरण की है। एक तर्क इस सदन में दिया जाता है, और मुझे आशा है कि मुख्य मंत्री महोदय इस तर्क को नहीं उपस्थित करेंगे, कि स्टेट ने तो केवल दो उद्योग उत्तर प्रदेश में खोल रक्खे हैं और पश्चिम जिलों के लोगों ने स्वयं उद्योग खोले हैं, पूर्वी जिलों के लोगों को इसका प्रयास करना चाहिये।

श्रीमन्, ४,९०० करोड़ रुपया इन दो पंचवर्षीय योजनाओं में अखिल भारतीय स्तर पर खर्च किया गया। लेकिन जितने कैपिटलिस्ट्स थे उन्होंने दिल्ली, मदरास, कलकत्ता, बम्बई और दामोदर वैली आदि जगहों में इंडस्ट्रीज खोलीं हैं। उत्तर प्रदेश में २८० करोड़ रुपया उद्योगों पर इनवेस्ट किया गया। उद्योगपतियों का मुख्य उद्देश्य उनका पर्सनल प्राफिट ही रहता है और उसी जगह पर वे इंडस्ट्रीज खोलते हैं जहां पर उनको ट्रांसपोर्ट, बिजली आदि बातों की सहूलियत प्राप्त होती है। इसीलिये पूर्वी प्रदेश और पहाड़ी इलाका छोड़ दिया गया और वहां पर कोई इंडस्ट्री नहीं खोली गई और इसलिये उन इलाकों को छोड़ दिया गया कि वहां के लोग स्वयं खोलें। जैसा मैंने बताया कि भारतवर्ष में पूर्ण रूपेण औद्योगीकरण नहीं हो सका, उसी प्रकार से यदि पूर्वी प्रदेश और पहाड़ी इलाकों में वहां के लोगों के ऊपर छोड़ा गया तो यहां पर औद्योगीकरण पूर्ण रूपेण नहीं हो सकेगा।

श्रीमन्, दूसरी पंचवर्षीय योजना को मैं पढ़ रहा था। इसमें एक स्पष्ट युक्ति औद्योगीकरण के विकास के बारे में दी हुई है। वह एक वक्तव्य था कि राज्य सरकार जो है उसका रोल यहां के औद्योगीकरण में प्रमोशनल रहा है। वह ऐसी सुविधायें प्रदान करती है जिससे लोग उद्योग खोलें। जैसे यातायात, बिजली, लैन्ड वगैरह की। श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि यदि सरकार का यही रोल रहा तो गाजियाबाद से लेकर लखनऊ तक ही औद्योगीकरण हो सकेगा और पूर्वी प्रदेश तथा पहाड़ी इलाके में नहीं हो सकेगा, यदि स्टेट इस बात पर नहीं ध्यान देती कि इन जगहों पर भी उद्योग धंधे खोले जायं।

एक चीज की तरफ मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जहां तक टैक्सों का प्रश्न है सब लोग एक समान देते हैं। श्रीमन्, १९४८ के प्राइस इंडेक्स से दिसम्बर, १९६२ में औद्योगिक वस्तुओं के प्राइस इंडेक्स में बहुत वृद्धि हुई है। शुगर में १९४८ में १०० था वह १९६२ में १०७.९ हो गया, वेजीटेबिल आयल में १२८.९, क्लौथ में १२४.६, मैच बाक्स में १५८.१, सीमेंट में १५८.४, पेपर में १६३.२, चमड़े में १५६.६। इस तरह से लगभग

५० प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब, श्रीमन् अन्न के भावों को देख लीजिये। १९४८ में गेहूं का १०० था जो दिसम्बर १९६२ में ७०.६ हो गया, चावल का ७७.६, जौ का ७१.२, मक्का का ८३.४, बाजरा का ८४.१ और ज्वार का ८६.९। श्रीमन्, एक ऐसा क्रम है कि गल्ले का भाव गिरता गया है और औद्योगिक वस्तुओं का भाव चढ़ता गया है। इस तरह से गांव वालों के ऊपर इंडायरेक्ट टैक्सेशन हो जायगा। गवर्नमेंट को इधर ध्यान देना चाहिये। मैं अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय कृष्णानन्दराय जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने जिले के साथ बुंदेलखंड के लिये भी कहा कि यह उद्योगों में पिछड़ा है और सरकार उपेक्षा की दृष्टि से देखती है। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने को खड़ा हूं। प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था तभी सुधर सकती है जबकि किसानों को फालतू समय में कोई साइड बिजनैस दिया जाय जिससे वे अपनी आमदनी बढ़ा सकें। इस पर सरकार ने केवल हैवी इंडस्ट्रीज पर विचार किया लेकिन काटेज इंडस्ट्रीज तथा स्माल स्केल इंडस्ट्रीज पर दृष्टि कम गई है और उस ओर उपेक्षा भी की।

मान्यवर, प्रदेश में जो भी हैवी इंडस्ट्रीज लगी हैं उनकी कैपेसिटी का ६० परसेंट भी वर्क नहीं हो पाया है। रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि वहां उतनी सफलता नहीं प्राप्त हुई है जितनी होनी चाहिये थी। देहाती क्षेत्रों में किस तरह से पोलिटिकल कांशसनेस पैदा की गयी है, प्रोडक्टिविटी कांशसनेस पैदा की जाती है, उसी तरह से इंडस्ट्रियल कांशसनेस पैदा की जाय। इंडस्ट्रीज आफिसर जो जिलों में रहते हैं उनकी शिकायत की जाती है कि वह लोंस ठीक से नहीं बांटते। देहातों में जिस डेवलपमेंट व इंडस्ट्री के लिये पैसा दिया गया है वह उस पर खर्च नहीं हुआ है। मंत्री जी ने बताया है कि उस पैसे को वह वसूल कर रहे हैं। इसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं। पंजाब गवर्नमेंट ने इन्डस्ट्रीज बढ़ाने तथा डेवलप करने में जो तरीका अपनाया है कि पहले वह देहात के किसान व मजदूर आदमी को ट्रेन करते हैं। उसके बाद छोटी-छोटी मशीनों के लिये पैसा दे कर मशीनें उपलब्ध करवा देते हैं। उन मशीनों से किसी साइकिल आदि की इंडस्ट्री के मशीन से एक ही पुर्जा बनवाते हैं। जब एक मशीन एक ही पुर्जा बनायेगी तो इससे पुर्जा अच्छा बनता है और मजदूर की भी एफिशियेंशी बढ़ती है और सब पुर्जे एक जगह जा कर असेम्बिल हो जाते हैं। इससे गरीब मजदूर भी लाभ उठाता है। उत्तर प्रदेश की सरकार को भी चाहिये कि वह लोगों को सिखा कर तब उनको उद्योग का काम दे। मजदूरों को Technical "know how" की शिक्षा देनी चाहिये।

माननीय टी०टी० कृष्णमचारी और दूसरे केंद्र के मिनिस्टरों ने कहा है कि हर जिले एक इंडस्ट्रियल एस्टेट कायम होनी चाहिये ताकि इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिले। देहात के अन्दर ऐग्रो इंडस्ट्रीज बढ़ाने की आवश्यकता है। देहातों में जूट, कपास, मूंगफली आदि पैदा होती है। इस कच्चे माल (रा मैटीरियल) से लाभ उठाने की आवश्यकता है। जो रा मैटीरियल जहां पर उपलब्ध हो वहां पर वही इंडस्ट्री लगानी चाहिये ताकि उस रा मैटीरियल का वहीं उपयोग हो सके और लोगों को रोजगार भी मिल सके और खेती से लोग हट सकें। क्योंकि जितने आदमी खेती में लगे रहेंगे उतनी ही गरीबी रहेगी, इसीलिये आवश्यकता है कि देहातों में part time agro Industry या अन्य स्माल स्केल या काटेज इंडस्ट्री खोलनी चाहिये।

सरकार ने गोवर्धन और मथुरा में लाखों पेड़ बेल, अमलतास, आमला आदि के मीलों की लम्बाई में ब्युटीफाई (beautify) करने के लिये लगा रखे हैं। अगर वहीं पर उन फलों को इस्तेमाल करने के लिये कारखाना खोल दें तो बहुत उन्नति हो सकती है। बेल से मुरब्बा, अमलतास से गुलकन्द, और आंवले से च्वयनप्राश बन सकता है। इस प्रकार से फल भी जो अभी बेकार जाते हैं काम में आ सकते हैं और इंडस्ट्री भी कायम हो सकती है। मान्यवर, हमारे हिमालय पहाड़ पर एक जड़ी बूटी है, 'सिगली मिंगली"। उसको वहां के लोग ऊन साफ करने और मछलियों को जहर देने के काम में लाते हैं। बम्बई सरकार ने

[श्री विजयसिंह]

उस जड़ी के उपयोग करने को २ करोड़ रुपया लगा कर उसके द्वारा दवा बनाने का एक कारखाना खोल दिया है और उससे वह दवाई बना रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में अगर सरकार विचार करती तो यह कारखाना नहीं लगा सकती थी ? इस प्रकार बम्बई सरकार हमारे यहां से रा मैटीलियल ले कर अपने यहां इंडस्ट्रीज कायम करती है। वह इंडस्ट्रीज यहां कायम हो सकती हैं। इंडस्ट्रीज कायम करने के बाद सबसे आवश्यक यह हो जाता है कि हम उससे उत्पादन (production) इतना बढ़ायें कि उसको हम अपने इस्तेमाल में भी ला सकें और एक्सपोर्ट भी कर सकें। यह काम तभी हो सकता है जब हमारी सरकार में स्लैकनेस न रहे जिसकी कि शिकायत अक्सर की जाती है। मान्यवर, इस प्रदेश में सरकार का एक खिलौना मौजूद है, प्रेसीजन इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री की हमारे प्रदेश में बड़ी तारीफ की जाती है कि बहुत बढ़िया उसका काम चल रहा है और उसका बड़ा नाम है। उसका प्रोडक्शन भी माननीय मंत्री जी ने बताया कि तिगुना हो गया है। लेकिन इस बात पर विचार नहीं किया गया कि जितनी लागत है और जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वह दुगुना, तिगुना, चौगुना, तक होता चला जा रहा है और फिर अगर प्रोडक्शन तिगुना होता है तो वह कोई बड़ी बात नहीं है। यह प्रोडक्शन का तिगुना हो जाना, जितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है उसके मुकाबिले में अधिक नहीं है। अगर यही फैक्ट्री किसी प्राइवेट आदमी के पास होती तो वह इससे ज्यादा प्राफिट पैदा करता और प्रोडक्शन भी इससे कहीं ज्यादा बढ़ गया होता। मैं समझता हूं कि इसके कर्मचारी बजाय मासिक वेतनभोगी कर्मचारी होने के अगर कांट्रैक्ट सिस्टम पर होते तो शायद ज्यादा दिलचस्पी वह उसमें लेते जैसा कि और जगह private sector में होता है। आज इसकी यह तारीफ होती है कि बहुत बढ़िया water meters और अन्य इंस्ट्रूमेंट्स यहां तैयार होते है लेकिन इसके water meter इंस्ट्रूमेंट्स ज्यादातर अन्य states में तथा प्रदेशीय म्युनिसिपैलिटीज वगैरह में जाते हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने तारीफ सुनकर वाटर मीटर मंगाये लेकिन ऐसा निश्चित सुनने में आया है कि उनकी ऐसी रिपोर्ट आयी है कि यह वाटर मीटर ठीक नहीं हैं। जल्दी खराब हो जाते हैं और बेकार हैं और उन्होंने अब मंगाना भी बन्द कर दिया है। उत्तर प्रदेश में यहां के लोग माननीय मुख्य मंत्री को डरते हैं इसलिये शिकायत नहीं करते, सोचते हैं कहीं पोलिटिकल या और किसी तरह का नुक्सान न हो जाय, इसलिये यहां इन इंस्ट्रूमेंट्स की शिकायत नहीं होती।

बुन्देलखंड के बारे में मेरा सुझाव यह है कि बम्बई गवर्नमेंट हमारे यहां से रा मैटीरियल लेकर अपने यहां इंडस्ट्रीज चलाती है। बुन्देलखंड में बेतबा के किनारे इतनी ज्यादा जड़ी बूटियां मिलती हैं कि झांसी में वैद्यनाथ ने अपना औषधालय इन्हीं के आधार पर खोल रखा है। तो क्या सरकार अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं खोल सकती जिसमें कि उनका इस्तेमाल वहीं हो सके ? जालौन जिले की कोंच तहसील में बबूल बहुत अधिक होता है और चमड़े की रंगाई के लिये बबूल की छाल वैगन की वैगन बाहर भेजी जाती है। चमड़ा रंगाई वाला रा-मैटीरिअल जो वहां उपलब्ध हो सकता है उसके आधार पर कोई छोटी सी इंडस्ट्री वहां कायम करने के ऊपर सरकार विचार करे जिससे कि बगैर पढ़े लिखे लोग भी काम में लग सकें और टेक्निकल लोग भी यूटिलाइज हो सकें। सरकार जालौन जिले में कोंच में कोई भी industry चाहे वह फैक्टरी type writer बनाने या साइकिल बनाने की हो अवश्य खुलना चाहिये जिससे part time खेतिहर मजदूर तथा बढ़ती आबादी को रोजगार मिल सके यह मेरी जोरदार मांग है। इतनी बात कहकर मैं माननीय नेकराम शर्मा द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान के समर्थन में खड़ा हूं। मेरा मान्यवर, ऐसा विश्वास है कि उद्योग किसी प्रदेश की रीढ़ की हड्डी की तरह है। हम अपने प्रदेश

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की किसी भी दशा में तब तक उन्नति नहीं कर सकते जब तक कि उद्योग को पूरी तरह से उन्नति और विकसित न कर लें। मान्यवर, जैसा माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा, हमारे प्रदेश में अभी भी ७५ प्रतिशत से ज्यादा व्यक्ति भूमि पर निर्भर हैं। इसलिये बहुत आवश्यक है कि उद्योग अपने प्रदेश में पनपे। आज जिस संकटकालीन अवस्था में हम गुजर रहे हैं, उसमें इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। मान्यवर, मैं तो यहां तक समझता हूं कि आज चीन के मुकाबिले के लिये जिस तरह से सेना की तैयारी करना आवश्यक है उसी तरह से हमारी सेकेंड डिफेंस लाइन हमारा उद्योग है और हम उसका मुकाबिला अपने उद्योग की उन्नति से और उद्योग को विकसित करके अपने देश की बेरोजगारी को दूर करके कर सकते हैं। मान्यवर, मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूं कि जो यह सोचते हों कि सरकार ने इस दिशा में कुछ नहीं किया या जो कुछ किया वह सब कुछ काला-काला दिखाई पड़ता हो। मेरा तो ईमानदारी से विश्वास है कि जिस व्यक्ति के हाथ में इस विभाग का अंतिम उत्तरदायित्व है यदि वह इस प्रदेश का औद्योगीकरण उस रफ्तार से नहीं कर सका, जिसकी कि उससे आकांक्षा है तो कदाचित् उत्तर प्रदेश का इस से बड़ा और कोई दुर्भाग्य हो नहीं सकता। मान्यवर, इस सब कुछके बावजूद भी रीढ़ की हड्डी की तरह जो हमारा उद्योग है, उसकी स्थिति इस समय अवश्य ही कमजोर है। उसमें अवश्य हम बहुत पीछे हैं और हमको बहुत आगे बढ़ना है। यह मान लेना कि हम सब कुछ कर चुके या जो कुछ हमने किया है वह हमारे लिये गर्व और संतोष की बात है, एक विडंबना मात्र होगी। मान्यवर, रोग कितना ही भयंकर हो, उससे डर नहीं होता। डर जब होता है कि जब चिकित्सक रोग का निदान ही न कर सके। यह एक बहुत बड़ा संतोष और सौभाग्य है कि आज उस रोग की भयंकरता को माना जा रहा है। माननीय मंत्री जी ने स्वयं उस अनुदान को प्रस्तुत करते हुये कहा कि उन्होंने यह दावा नहीं किया कि हम सब कुछ कर चुके हैं। उन्होंने बड़ी स्पष्टता से यह स्वीकार किया कि हम कई दिशाओं में आगे बढ़ने के बजाय पीछे ही हटे हैं। तो फिर अब एक गहरे चिन्तन की बात हमारे सामने आ जाती है। हैवी इंडस्ट्रीज में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर यह दो मोटे विभाजन किये जा सकते हैं और उसके बाद काटेज इंडस्ट्रीज हैं। जहां तक पब्लिक सेक्टर का संबंध है, हमारी सरकार का उस संबंध में माना हुआ आधारभूत सिद्धांत है कि हमें उसे बल देना है, उसे उन्नत करना है। इसलिये अगर पब्लिक सेक्टर में आशातीत उन्नति न हो तो वह एक चिन्ता का विषय हो जाता है। अभी तक यह दावा करना कि हम उसमें सफल हुये हैं, गलत होगा। तो पंचवर्षीय योजनाओं में केवल दो फैक्टरियां प्रेसीजन इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री जो ४० लाख की लागत से लगायी गयी थी और चुर्क सीमेंट फैक्ट्री जो साढे ४ करोड़ की लागत से लगायी गयी थी स्थापित हुई है। वह एक सौभाग्य का दिन होगा दो, चार अथवा ५ वर्ष बाद कि जब हम इस दिशा में कई और फैक्टरियां स्थापित कर सकेंगे।

मान्यवर, प्राइवेट सेक्टर में भी अफसोस की बात है कि हम बहुत तरक्की नहीं कर सके। यह ठीक है कि उसमें सेंथेटिक केमिकल्स, कैम्फर आदि के कई प्रोजेक्ट्स लग सके हैं, लेकिन जैसा कि माननीया श्रद्धा देवी जी ने कहा था वह ठीक है कि उत्तर प्रदेश को उसका अधिकार सेंटर से एलाटमेंट में नहीं मिल सका। वह सेंटर से जितना एलोकेशन उसके लिये होना चाहिये था उससे वंचित रहा और उसके फलस्वरूप बहुत थोड़े प्लान्ट प्राइवेट सेक्टर में हमारे यहां आ सके। लाइसेंसिंग फैक्ट्रीज की जो बात कही जाती है उसमें पुराने आँकड़े बताते हैं कि हमारे यहां १५७२ लाइसेंस्ड फैक्ट्रीज हैं जब कि वेस्ट बंगाल में २८४२, बंबई में ८२२७ और मद्रास में ६३६९ फैक्ट्रीज हैं। इस दिशा में भी हम उन्नति नहीं कर सके। इससे भी ज्यादा अफसोस की बात बन्द फैक्ट्रीज को लेकर है। वे फैक्ट्रीज चलाई गयीं लेकिन फिर चल नहीं सकीं किसी न किसी कारण बन्द हो गयीं। उनकी एक लम्बी तालिका है। उनमें शुगर फैक्टरीज चार हैं, शुगर रिफाइनरीज २ हैं, आयल फैक्ट्रीज ७५ हैं, इसके अलावा टेक्सटाइल, मेटल इंजीनियरिंग आदि की फैक्ट्रीज हैं जिनकी कुल संख्या १४३ है। इसके बाद हमें मान्यवर, इस बात को भी देखना होगा कि पिछले दो, तीन सालों में हमने कितने लाइसेंस लोगों को

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट]

दिये और कितने उद्योगपति उनको चला नहीं सके और कितने उनको चलाने में समर्थ हुए। तो अगर उस दिशा में हम देखें तो हमें दुख होगा। जितने लाइसेंसेज दिये जाते हैं और जितने दो सालों में दिये गये, उन्हें आदमी चला नहीं सके। यह एक गहरी चिन्ता का विषय है। जब हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी जैसे आदमी के हाथ में वह विभाग है, जिनको कि औद्योगीकरण से एक प्रकार की लगन सी है और निष्ठा है, और जो उसके लिये दिन रात प्रयत्नशील रहते हैं और जिन्होंने वह कदम उठाये हैं, जो कि सराहनीय और अनुकरणीय हैं, तो चिन्ता होती है। हमारे यहां पर २ कांफ्रेंसेज हुईं फिर भी हम ठीक रफ्तार से नहीं चल पा रहे हैं। तो उसके माने यह अवश्य हैं कि कहीं पर बहुत बड़ी कमी अवश्य है। मुझे वह कमी यह दीखती है कि आज हमें डिपार्टमेंट का इंडस्ट्रीज से एप्रोच बढ़ाना पड़ेगा और उसमें आमूल परिवर्तन करना पड़ेगा। आज आप देखें कि हमारे प्रदेश में यह इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पीछे भागती है, जब कि नया नारा होना यह चाहिये कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट इंडस्ट्रियलिस्ट्स के पीछे भागे। तभी हम इस नये स्लोगन को चरितार्थ कर सकेंगे तभी हम अपनी प्रगति की दिशा को तीव्र कर सकेंगे। कभी कभी जो हम उलटे जाते हुए दिखाई पड़ते हैं, उस दिशा में हम सही तरक्की कर सकेंगे। आप उदाहरण के लिये दूसरे सूबे को ले लें जैसे कि पंजाब है। वह हमारे यहां से कुछ ज्यादा दूर नहीं है। वहां प्रगति हुई और क्यों वह आज छोटी इंडस्ट्रीज में इतना आगे बढ़ सका। उसका एक मात्र कारण यही है कि अगर एक व्यक्ति इंडस्ट्रीज को लगाना चाहता है, तो उसके इच्छा प्रकट करने पर उसको हर प्रकार की सहायता मिलती है। परन्तु हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का तरीका यह है कि जैसे कोई दान और भिक्षा दी जादी है, इस तरह का बरताव लोगों के साथ शुरू से आखिर तक होता है और उसको पैट्रोनेज माना जाता है।

मान्यवर, दूसरा दोष यह है कि हमारे यहां जो मदद आज तक इंडस्ट्रीज में दी गई, उसका रूप और स्वरूप दोनों ही दूषित हैं। हमने केवल रुपये की ही एसिस्टेंस और फाइनेंशियल एसिस्टेंस को ही आदि और अन्त माना है। आदि को अन्त माना है, वही अल्टीमेट एन्ड माना है। परन्तु यह इंडस्ट्रीज की उन्नति के लिये काफी नहीं है। हमें दूसरी दिशा भी देखनी पड़ेगी और उसको मोड़ भी देना होगा। इसके लिये टेक्निकल एसिस्टेंस की आवश्यकता होगी। टेक्निकल नो-हाऊ तैयार करके उनके सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस दिशा में कुछ कदम उठाये भी हैं। अभी नैनीताल में और उसके बाद लखनऊ में इस संबंध में कांफ्रेंसेज हुईं। परन्तु अभी उस दिशा में हुई प्रगति पर्याप्त नहीं कही जा सकती है।

एक बात और मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि इंडस्ट्रीज की जो प्रगति नहीं होती है, उसका कारण लालफीताशाही है। वह उसकी प्रगति को अवरुद्ध कर देती है। वह स्टम्बलिंग ब्लाक बन जाती है। इसकी ओर भी ध्यान जाना आवश्यक है। आज इमरजेंसी के जमाने में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें इस प्रकार की प्रेरणा देनी चाहिए और ऐसे ठोस कदम उठाने चाहिए जिससे वह लालफीताशाही समाप्त हो सके और लाइसेन्सेज मिलने में आसानी हो सके, लोन्स सरलता से मिल सकें, ग्रान्ट्स मिलने में बाधायें न उपस्थित हों। एक बात यह कि समय भी बहुत लगता है, इन सब सुविधाओं के मिलने में, तो उसका परिणाम यह होता है कि उसका फल बेकार हो जाता है जिस परपज के लिये वह ग्रान्ट ली जाती है, वह उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि हमारे यहां पर जो उद्योगपति छोटे और बड़े उद्योग लगाना चाहता है, वह भी उसमें इनकरेज नहीं हो पाता है।

मान्यवर, इंडस्ट्रीज के बारे में माननीय मंत्री जी ने ग्रान्ट्स को प्रस्तुत करते समय जो शब्द कहे हैं, उसके लिये मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं। वास्तव में उन्होंने सारे प्रदेश की भावना की प्रतिध्वनि अपने भाषण में प्रकट की। लेकिन ऐसा लगता था मुझे कि जैसे वह सरमन था।

जैसे हमारे ऋषियों और मुनियों का कहना था कि सत्य बोलना बड़ी अच्छी बात है, नेकी करना बड़ी अच्छी चीज है, दुनियां में सबकी भलाई करने की कोशिश करनी चाहिये। मेरा यह स्पष्ट कथन है कि अगर हम इसी तरह से काटेज इन्डस्ट्री को सरमनाइज करते रहे तो वास्तविक लाभ उससे हमारे ध्येय को नहीं हो सकता है, न इससे काटेज इन्डस्ट्री का ही भला होने वाला हैं। इसलिए मैं बड़े अदब के साथ और बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि आज काटेज इन्डस्ट्री के अन्दर हम समझते हैं कि उसमें बड़ी भारी विडम्बना और गलतफहमी है। मैं काटेज इन्डस्ट्री को दो टुकड़ों में तकसीम करना चाहूंगा। एक तो वह काटेज इंडस्ट्रीज जो शायद इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट के अन्तर्गत है जिसको इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट सीधे मदद देता है। दूसरे वह काटेज इंडस्ट्रीज हैं, जिनको यू० पी० खादी बोर्ड की तरफ से मदद दी जाती है। तो जिन इंडस्ट्रीज को इंडस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट स्वयं देखता है, मैं जानना चाहूंगा कि उसमें क्या टेक्निकल ऐसिस्टेंस, क्या मोड़, क्या दिशा दी जाती है? मैं माननीय फूलसिंह जी को हृदय से बधाई देता हूं कि उन्होंने क्रान्तिकारी कदम इस दिशा में उठाया जिससे विभाग और जनता की आंखें खुली हैं। जनता में एक भय भी उत्पन्न हुआ जो गलत इस्तेमाल कर रहे थे। तो जो सैम्पिल सर्वे उन्होंने कराया उसका क्या परिणाम हुआ? यह वही आप को ठीक से बता सकेंगे, लेकिन मेरा ऐसा अनुमान है कि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट से जो ग्रान्ट और लोन्स मिल रहे हैं उनका ७५ फीसदी कम से कम जिस परपज के लिये दिया जाता है उसमें उपयोग नहीं होता है। जहां तक मान्यवर, खादी बोर्ड द्वारा दी जाने वाली ग्रान्ट ऐंड लोन्स का सम्बन्ध है, उसमें मुझे थोड़ा सा नजदीक से अनुभव है क्योंकि मैं भी उस बोर्ड का एक अकिंचन सदस्य हूं। पहली बात तो यह है कि जो उसका फार्मेशन है वह एक आटोनामस बाडी के तौर पर होते हुये भी स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर पाता क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन की एजेंसी डाइरेक्टोरेट आफ इंडस्ट्रीज हैं चाहे डाइरेक्टोरेट आफ इंडस्ट्रीज या खादी बोर्ड इंम्प्लीमेंटेशन की एजेंसी हो लेकिन यह डुप्लीकेशन जो होता है। दो ऐजेंसी होती है; एक तरफ तो खादी बोर्ड की बड़ी पलटन के अन्तर्गत है और दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट के अन्तर्गत है यह ठीक नहीं काम करने देता। (लालबत्ती होने पर) मान्यवर, मुझे २० मिनट मिलेगा?

श्री अधिष्ठाता—

५ मिनट सिर्फ आप के और हैं।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—

ठीक है, तो यह लालबत्ती खत्म कर दीजिये। मैं यह चाहूंगा कि ऐसा ठोस कदम माननीय मंत्री जी उठाने की कृपा करें, जिसमें यह डुप्लीकेशन का कन्फ्यूजन समाप्त हो जाय और डयुअल कंट्रोल न रहे। मैंने मंत्री जी की कृपा से और कुछ खादी बोर्ड के आदेश से कुछ ज़िलों को स्वयं देखा। मान्यवर, देखकर जो बात समझ में आयी उससे हृदय कांप उठा। जो रुपया दिया जा रहा है उससे १० परसेंट का भी प्रापर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। ऐसे केसेज एकाध जगहों में देखने में आये कि अगर वहाँ २० यूनिट्स हैं जिसको मदद दी गयी है तो या तो वह बीसों इकाइयाँ डिफेक्टिव पड़ी हैं या एक या २ उनमें से काम कर रही हैं। तो जिन इकाइयों को मदद दी गयी है उनमें से १० परसेंट से ज्यादा काम नहीं कर रही हैं। इसमें मान्यवर, बेसिक कमी यह है कि हमारे यहाँ फालो अप का कोई बड़ा प्रोसीजर नहीं है। हम मदद दें लेकिन उसके बाद उसका काफी फालो अप हो और ऐसी एक पद्धति बनाई जाय, जिसमें यह पता लग सके कि उसके आगे क्या पालिसी होगी।

मान्यवर, समय कम है इसलिए मैं केवल दो एक बातें कहकर समाप्त करूंगा। एक बात जो मैं कई बार कह चुका हूं और जिसे मैं आप की आज्ञा से दोहराना चाहता हूं वह यह है कि काटेज इंडस्ट्रीज और हैवी इंडस्ट्रीज का डाइरेक्टोरेट बिलकुल अलहदा होना चाहिए। सरकारी नौकरों और अधिकारियों की यह प्रवृत्ति होती है कि जो कार्य उनके सुपुर्द किया जाता है उसको वह अत्यन्त क्षमतापूर्वक करते हैं क्योंकि उसको करने का दायित्व वह अपना समझते

[श्री जगदीश शरण अग्रवाल एडवोकेट]

हैं। तो इस एक डाइरेक्टोरेट होने का परिणाम यह होता है कि काटेज इंडस्ट्रीज सफर करती हैं हैवी इंडस्ट्रीज के काम पर।

दूसरी बात यह है कि हमें अब इंडस्ट्रीज सर्विस कैडर एक नया बनाना पड़ेगा। अगर इंडस्ट्रीज सर्विस कैडर हम नहीं बना पाये तो जो अधिकारी दूसरे कामों में लगे हुये हैं जिनको इंडस्ट्रीज चलाने का कोई तजुर्बा नहीं है और वह फिर अगर पब्लिक सेक्टर के कार्य को चला रहे हैं तो वह उनको सफल नहीं कर सकेंगे और उसका परिणाम यह होगा कि जो लोग आज पब्लिक सेक्टर को दिन रात कोसा करते हैं, उन को एक हथियार और मिल जायगा।

आखिरी बात यह है कि हम एक टेक्निकल कालेज के लिये कुछ प्रबन्ध करें और उसके लिये जहां तमाम स्कूल्स खोले जा रहे हैं, ठीक है, बधाई की बात है, लेकिन मेरा सुझाव यह है कि हम एक कदम यह उठायें कि जो सरकार के कारखाने में, जो पब्लिक सेक्टर में चल रहे हैं, वहां पर पेड एपरेन्टिस रखे जायं, और वह सिस्टम वहां लागू हो और उस के लिये एक कोर्स मुकर्रर हो, वहां उनका इम्तिहान वगैरह भी हो। वहां पर उन को व्यावहारिक रूप से उसका अनुभव मिलेगा और उससे जो टेक्निकल हैंड्स की समस्या है वह हल हो सकेगी।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप का समय समाप्त हुआ।

*श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आप ने मुझे बोलने के लिये समय दिया। इस कटौती पर बोलने का मेरा विचार नहीं था, मगर कुछ चीजें ऐसी सामने आ रही हैं, जिसको देख कर कुछ कहना जरूरी महसूस होता है। अभी माननीय मन्त्री जी ने एक सर्मन दिया, उपदेश दिया, बड़ा सुन्दर था, मगर वास्तविकता कुछ और है। सरकार की जो आज नीति चल रही है उद्योगों के सम्बन्ध में वह अजीब है क्योंकि उस नीति का ही आज यह परिणाम हो रहा है कि उद्योगों को बजाय प्रोत्साहन मिलने के वे निरुत्साहित हो रहे हैं। दिनों दिन सरकारी हस्तक्षेप और अधिकार इतना बढ़ रहा है कि किसी साधारण आदमी, जब तक कि वह सरकार का कृपापात्र न हो, के बस की बात नहीं रह गयी है कि वह किसी उद्योग को चला सके।

श्रीमन्, जिस तरह से आज यहां उन्होंने एक सर्मन दिया, अभी बरसात के दिनों में गोंडा जिले में एक इंडस्ट्रियल सप्ताह मनाया गया और उस को देख कर यह मालूम पड़ा कि अब आज के युग में परिवर्त्तन हो रहा है और जो वास्तव में अब उद्योग करना चाहते हैं उनको उत्साहित किया जायेगा और सरकार निष्पक्षता से उनको सहायता देगी। मैं भी उससे बड़ा प्रभावित हुआ। मैंने समझा कि अब सरकार की नीति में वास्तविक परिवर्तन हुआ है। मुझ से खुद मंत्री जी ने यह कहा कि मैं खुद क्यों नहीं यहां कोई उद्योग शुरू कर देता, क्योंकि गोंडा पिछड़ा हुआ जिला है और उद्योगों की बहुत आवश्यकता है। वास्तव में मैं चाहता था वहां पर कुछ उद्योग चलाना, मगर सरकारी हर्डिल्स इतनी थीं कि हिम्मत नहीं होती थी और उसको पार करना एक साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। फिर भी मैंने एक फ्रूट केनिंग इन्डस्ट्री लगाने का इरादा किया और अपने लड़के के नाम से उस के लिये लोन के लिये एक दरख्वास्त दे दी। वह एग्रीकल्चरल इन्जीनियरिंग पास था और मैं उस को इस काम में लगाना चाहता था। आज ६ महीने हो गये, एक जांच के बाद दूसरी जांच हुई, अंत में यह नतीजा मालूम पड़ा कि कायदे और कानून से यह प्राप्त नहीं हो सकता। इसका रास्ता कुछ दूसरा है जो हमारे मान का नहीं है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि हम उस को अपना सकें। फिर एक चिट्ठी मैंने लिख कर यह भेज दी कि आप लोगों ने जो कष्ट किया उसके लिये धन्यवाद, अब मेरे मान का यह नहीं है। मेरे को सब जानते हैं कि मैं एक विधायक हूं विभाग के कुछ आफिसर्स की भी हमदर्दी रही, उन्होंने अपने बाबुओं से कहा भी कि इस केस में जल्दी कार्यवाही कर दो, मगर गाड़ी आगे नहीं चली। चलती भी कैसे जिसके पास लुब्रीकेटिंग आयल होता है, वही उसे चला सकता है, साधारण व्यक्ति के बस की वह बात नहीं है।

जहां तक काटेज इन्डस्ट्रीज की बात कही गयी, वह भी केवल एक सरमन की बात रह गयी है, और दूसरे देशों में व्याख्यान देने की चीज रह गयी है कि हमारे यहां काटेज इन्डस्ट्रीज को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और नमूने के तौर पर कुछ चीजें यहां की बनी हुई बाहर भेज दी जाती हैं, किन्तु वास्तविकता कुछ दूर है। मैंने सहकारिता के सम्बन्ध में अनुदान पर बोलते हुए भी यह कहा था कि जहां तक सहकारिता के सिद्धान्त का सम्बन्ध है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, यद्यपि जो प्रस्तुत सहकारिता है उसके मैं खिलाफ हूं फिर भी मैंने सोचा कि अगर उससे गरीबों का लाभ होता हो तो उसको बना दिया जाय। माननीय मन्त्री जी के दौरे के बाद मैं इन्डस्ट्री आफीसर से मिला और मैंने कोशिश कर के, एक माचिस बनाने की, एक बटन बनाने की एक साबुन बनाने की और एक चमड़े के काम की सोसइटी कायम की, जिसमें अधिकतर हरिजन लोग थे। जब कि काफी दिनों से वहां के इंडस्ट्री विभाग के लोग वहां सोसाइटी बनाने की कोशिश में थे लेकिन कोई भी आदमी पैसा लगाने के लिये तैयार नहीं होता था। जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने आश्वासन दिया था, उनके जाने के बाद उनके और उद्योग विभाग के अधिकारियों के आश्वासन के अनुसार मैंने उन लोगों से कह दिया कि सब काम तुरन्त हो जायगा और सरकार इस बात पर आरूढ़ है कि वह गृह उद्योगों को चालू करे। मैंने लोगों को सदस्य बनाया और आज ६ महीने हो गये लेकिन एक पैसा भी उन लोगों को मदद का नहीं मिला है। रेजिस्ट्रेशन तो जल्दी हो गया और गोंडा में एक सप्ताह में ही उसकी रजिस्ट्री हो गयी। लेकिन उसके बाद मैं लिखते लिखते थक गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। गरीब आदमियों ने मेरे कहने से रुपया लगाया लेकिन उन की कोई मदद करने वाला नहीं है और अन्त में मैं यह निर्णय करने जा रहा हूं कि सोसाइटी के लोगों को सलाह दूं कि थोड़ा बहुत नुक्सान बरदाश्त कर के वे उस रुपये को बांट लें। मालूम पड़ता है कि सरकार के हाथी के दांत दिखाने के और और खाने के और होते हैं। सरकार तो यह चाहती है कि सारे रोजगार और कारबार उसके ही हाथ में रहें, उनके ही आदमियों द्वारा चलाये जायं, उनके नाते रिश्तेदारों को ही लाभ हो। जब तक सरकार की यह नीति न बदलेगी तब तक छोटे उद्योगों को कभी भी प्रोत्साहन नहीं मिल सकता है। इसी का नतीजा यह है कि गरीब दिन पर दिन और गरीब होता जा रहा है और धनी और धनी होता जा रहा है। हो सकता है पहले से स्टेट की वेल्थ बढ़ी हो लेकिन अगर पहले ३ धनी थे तो अब दो ही धनियों के पास वह बंट गयी है। इसीलिये हम कहते हैं कि यह आप की जो सहकारिता है वह केवल सहकारिता को प्रोत्साहन देने के लिये ही है, अपने आदमियों को प्रोत्साहन देने के लिये ही सहकारिता का उपयोग किया जा रहा है। बड़े नेता अगर अनसीट होते हैं तो उन को गवर्नर बना दिया जाता है और छोटे होते हैं तो उन को कहीं का डायरेक्टर बना दिया जाता है और उनको खाने पीने के लिये छूट दे दी जाती है। गोंडा में कोआपरेटिव फेडरेशन ने तिजारत शुरू की और इसी सरकारी दल के एक सदस्य उसके सेक्रेटरी हो गये और १७ हजार रुपये का गबन कर लिया, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है और न उनके ऊपर मुकदमा ही चलाया जा रहा है। पुलिस में ४०९ की रिपोर्ट लिखायी गयी लेकिन और कोई होता तो अभी जेलखाने में बन्द होता लेकिन उनका कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस के दारोगा की हिम्मत नहीं होती कि उसका चालान करे। हमने कहा तो बताया कि हम क्या करें कायदे की रिपोर्ट ही नहीं लिखी गयी है। लेकिन जब कोई डकैती की रिपोर्ट करता है तो उसकी तफतीश होती या नहीं? डिप्टी कमिश्नर उसके चेयरमैन हैं। मैंने जब उनसे कहा कि १७ हजार रुपये का गबन है तो उन्होंने कहा कि यह बड़ों बड़ों की बात है, आप बड़ों से ही कहिये, हमको इसमें न घसीटिये, हमें इस झंझट में न डालें। ऐसी दशा में आप सोचें कि जो सहकारिता के

[श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह]

द्वारा उद्योग धंधे चलाने की बात कही जाती है, वह कैसे सम्भव है?. सहकारिता के द्वारा लोगों को प्रोत्साहन देने की बात कही जाती है, लेकिन जो नीति बरती जाती है उसके अनुसार तो केवल अपने आदमियों को रोजी रोजगार देने का ही प्रबन्ध किया जाता है।

जहां तक खेती की बात है, खेती का काम तो एक तरह से चौपट ही हो रहा है। पहले जो कुछ उसमें रस था, उस को भी आप ने समाप्त कर दिया। पहले करोड़ों की जीविका उस पर निर्भर थी, लेकिन आज खेती में कोई उत्साह न होने से कृषि की पैदावार दिन पर दिन गिरती जा रही है। आखिरी लकड़ी का सहारा जमीन को वे पकड़े हुए हैं। लेकिन आप उसके साथ ही सारे उद्योग के रास्ते दिन पर दिन बन्द करते जा रहे हैं जिसका नतीजा बड़ा भयंकर हो सकता है। चीन से लड़ झगड़ कर इस संकट काल को तो पार कर लेंगे लेकिन आगे के लिये जो संकट हम खेती और उद्योग के रास्ते में पैदा कर रहे हैं, उसको पार करना मुश्किल है।

श्रीमती बृजरानी (जिला कानपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस उद्योग के अनुदान का समर्थन तथा कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ी हुई हूं। हमारा भारतवर्ष जो एक कृषि प्रधान देश है, इसमें उत्तर प्रदेश अपना एक महान स्थान रखता है। ऐसी दशा में जब कि यहां के रहने वाले ८५ प्रतिशत खेती का कार्य करते हैं, खेतों के छोटे छोटे टुकड़े होने के कारण, चाहे कितने भी साधन जुटाये जायें, चाहे सिंचाई के साधन हों, चाहे औजारों के साधन हों, चाहे अच्छे बीज खाद के साधन हों, फिर भी जो एक लक्ष्य तय है, वह पूरा नहीं होता है। इसका मुख्य कारण यही है कि खेतों के बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो गये हैं। उसकी वजह से उतना पैदा नहीं होता जितना कि करना चाहिये। भले ही जो बड़ी बड़ी जमीन वाले हैं और जिनके पास स्वयं के अपने साधन हैं वे अपने खेतों में अधिक पैदावार करते हों।

इसी तरीके से हमारे यहां छोटे छोटे उद्योग धंधों थे जैसे—लकड़ी का काम करने वाले बढ़ई या लोहे का काम करने वाले लोग, तेल का काम करने वाले तेली या चमड़े का काम करने वाले लोग, किसी जमाने में एक अच्छे खासे पैमाने पर अपना कार्य कर रहे थे। लेकिन धीरे-धीरे आज वे कार्य समाप्त प्रायः सा हो गये हैं। किसी समय में उनको अपने उन धंधों से काफी सहायता सुविधा होती थी लेकिन वह समय भी आया कि समय के चक्र ने उन सारे धंधों को समाप्त कर दिया और इस तरह से हमारे गांव के जो कारीगर थे वे समाप्त से हो गये। जब हमारी कांग्रेस सरकार आयी तब उसने धीरे-धीरे कुछ धंधों में लोगों को ट्रेनिंग देने की योजना शुरू की, लेकिन १२ साल के इस थोड़े से समय में उतने आदमी ट्रेंड नहीं किये जा सके जिससे उन धंधों को पनपाया जा सके। हमारे यहां जो पहले कारीगर थे, वे आज या तो मजदूर हैं या किसी दूसरे धंधे को अपनाये हुए हैं। अपने पुराने धंधे को उन लोगों ने छोड़ दिया है और इस तरह से एक अव्यवस्था सी हो गई है। तो ऐसी दशा में भी मैं सोचती हूं कि खेती से कुछ लोगों को हटाया जाय और उन्हें दूसरे धंधे अपनाने का मौका दिया जाय जैसा कि अभी हाल में पंजाब सरकार ने निश्चय किया है कि वहां के ३० प्रतिशत लोगों को खेती से हटाकर दूसरे धंधों में लगाया जायगा। मैं समझती हूं कि इसी तरह से यह सरकार भी कोई ऐसी योजना बनायेगी कि जिसके अनुसार यहां से भी हर पाँचवें साल कुछ लोगों को खेती से हटाकर दूसरे धंधों में लगाया जाय। इससे बेकारी दूर होगी। वैसे जो लोग गांव में रहते हैं वह जानते होंगे कि घर के जो ५—७ प्राणी होते हैं वह सब अपनी २—४—५ एकड़ खेती में ही अपना सारा समय लगाते हैं। अगर इस प्रकार की योजना लागू की जायगी तो खेती पर केवल उतने ही आदमी रह जायंगे कि जितने के लिये वहां काम है और पंजाब की तरह बाकी लोगों को अन्य उद्योग धंधों में लगाया जा सकेगा। हमारे नगर कानपुर में वैसे तो बड़ी-बड़ी फैक्टरियाँ हैं और वहां अनेक उद्योग और कारखाने चलते हैं और साथ ही हमारे जिले में जो छोटे अन्य काम करने वाले दूसरे लोग थे वे भी अब शहर की ओर दौड़ रहे हैं

और देहात बिलकुल उजड़े से दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में मैं यह चाहती हूं कि वैसे तो पुखरायां और मुसानगर में बिजली पहुंच गई है और रोड के किनारे के कुछ गाँव भी उससे लाभ उठा रहे हैं। इसी तरह से हमारे यहां मकनपुर को जो लाइन है वह मेरी विनती है कि बिल्लौर—उत्तरीपुरा—चौबेपुरा से कानपुर तक मिला दी जाय तो सभी किनारे के गाँव एक दूसरे से सम्बन्धित हो जायंगे और उनमें भी छोटे-छोटे उद्योग लगाये जा सकेंगे।

एक प्रार्थना मेरी और है कि कानपुर के पड़ोस के जो जिले के गांव हैं या और अन्य पास के जिलों के गांव हैं वह बहुत पिछड़े हुये हैं। जिले के आंकड़े देखते हुये तो जिला बहुत धनी कहा जा सकता है लेकिन गांवों की दशा अच्छी नहीं है। जैसे कानपुर में चिराग जल रहा है लेकिन उसके पास अंधेरा है, गांव में कोई उजाला नहीं पहुंचा है, पास के जिले बांदा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर है वहां भी गरीबी हैं और कोई उद्योग नहीं है। मैं प्रार्थना करूंगी कि इन स्थानों पर और गांवों में छोटे उद्योग धंधों को प्रोत्साहित किया जाय ताकि वह भी गरीबी से मुक्त हो सकें।

इसके अतिरिक्त जहां से मैं चुन कर आती हूं, कानपुर जिले में बिठूर एक ऐतिहासिक स्थान है वहां पर भी कोई ऐसा उद्योग खोला जाय ताकि वहां के लोगों और पास के देहात के लोगों को भी कुछ लाभ हो सके। वहां छोटे-मोटे कुछ सेंटर चल रहे हैं चमड़े के, बढ़ईगीरी या लोहारी के वह अस्थायी हैं। मैं चाहती हूं कि वहां हमेशा के लिये कोई कारखाना खोला जाय ताकि वहां के और पास के जिलों के लोग लाभ उठा सकें। दूसरा सुझाव यह है कि हमारे ब्लाकों के अन्तर्गत एक तो ऋण दिया जाता है ब्लाकों के द्वारा, दूसरा ऋण दिया जाता है जिलों के द्वारा। तो ब्लाकों के द्वारा जो ऋण दिया जाता है, सिंचाई तथा छोटे उद्योग-धंधों के लिये, वह वही लोग पाते हैं जिनके नाम खेती होती है, और जो गरीब हैं वह उसे लेने में असमर्थ होते हैं। अतः मेरा सुझाव है कि विकास अधिकारी अपनी जिम्मेदारी पर जिसे ऋण दिलाना चाहें दिला सकें ताकि गरीब आदमी भी ऋण पा सके और कुछ उद्योग धंधा कर सके। हमारे यहां ब्लाक्स के अन्तर्गत छोटी छोटी उद्योग धंधा समितियां बनायी जायं ताकि वह अपना काम करें, और ब्लाक के अन्तर्गत हमारी एक तो उद्योग समिति हो, एक ट्रेनिंग सेन्टर हो और दूसरा उद्योग सेन्टर हो और जो लोग ट्रेन्ड किये जायं, उनसे बांड भरा लिया जाय कि इतने साल आप को काम करना है और जो उत्पादन केन्द्र होगा समय समय पर क्षेत्र समिति अपने ब्लाक की समिति से कुछ सुझाव ले सके और जो माल है उत्पादन समिति के द्वारा ही उसकी खपत करायी जाय। इन शब्दों के साथ मैं अनुदान का समर्थन करती हूं।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, इस अनुदान पर आज बहस हो रही है और बहुत संदेह उत्पन्न किया गया और इस बात के लिये चिन्ता व्यक्त की गयी है कि हमारा प्रदेश उद्योगीकरण में पीछे है। नये उद्योगों के लिये चिन्ता व्यक्त करना वाजिब ही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो पुराने उद्योग हैं उनसे भी हमें हाथ धोना पड़ेगा। मुख्य मंत्री जी पहले से ही संदेह करते थे कि शायद मैं यही कहने जा रहा हूं। मुख्य मंत्री जी हंस रहे हैं सौभाग्य की बात है, उनका हंसना मेरे लिये तो प्रेरणा देने वाला है। मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि मैं यहां रोने के लिये तो आया नहीं, मैं तो खुद हंसना चाहता हूं और दूसरों को भी हंसाना चाहता हूं और अगर हमारे कार्यों से सारा देश हंसता है तो उसके लिये प्रयत्न करना चाहिये, और जो लोग रोने के लिये आये हैं वह रोयें और रुलायें। मेरा संकेत चीनी उद्योग की तरफ है। मैं उन महानुभावों से कहना चाहता हूं जरा इस बात को सोचें आज से २ वर्ष पहले, ३ वर्ष पहले इस प्रदेश ने १४ लाख टन चीनी पैदा की थी, इस साल ८ लाख टन के करीब हुई है। हमारी फैक्टरीज का औसत सीजन १७७ दिन रहा १९६०–६१ का। अब की बार वह ९० दिन के करीब होगा। प्रायः सभी चीनी मिलें बन्द हो चुकी हैं, कुछ थोड़ी सी चल रही हैं। मैं ध्यान दिलाना चाहता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

हूं, और बातों को छोड़ दीजिये किसान और मजदूर को, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि १४ लाख टन के उत्पादन में जो डेफिसिट है, उसमें १६, २० करोड़ रुपये का सरकार को घाटा हो रहा है । एक मन शकर पर १२ रुपये १७ नये पैसे सरकार को मिलते हैं । अगर साढ़े ६ लाख टन प्रोडक्शन शकर का कम हुआ तो वह रुपया चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में जाता हो, प्रदेशीय सरकार की जेब में जाता हो या कोआपरेटिव सोसाइटीज की जेब में जाता हो, इतनी बड़ी रकम का घाटा सरकार को बर्दाश्त करना पड़ेगा ।

मैं इसलिये चिन्तित हूं कि जो घाटा पड़ता है उस को पूरा करने के लिये उन लोगों की तरफ हमें हाथ उठाना पड़ता है जो लोग इस प्रदेश में पहले से ही गरीबी की बीमारी में फंसे हुये हैं । मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन यह कहना चाहता हूं कि नियोजन मंत्री अथवा मुख्य मंत्री इस बात को देखें कि जो उत्तर प्रदेश इतना उत्पादन चीनी का करता है उसने कंज्यूम कितना किया ? सन् ५०–५१ से लेकर सन् ६१–६२ के आंकड़ों को देखेंगे तो पता चलेगा कि हम या तो वहीं हैं या वहां से पीछे गये । हमने कंज्यूम नहीं किया हालांकि उत्पादन किया । कोई आदमी ऐसा नहीं है जो चीनी का खाना पसन्द न करता हो । सब अधिक तादाद में खाना पसन्द करते हैं । क्योंकि प्रोडक्शन हमारा नहीं बढ़ा इसलिये कंजम्पशन अधिक नहीं बढ़ा । शुगर का उत्पादन घटा है इसलिये कि गन्ना नहीं मिल रहा है । रा मेटीरियल के बिना न टेक्सटाइल, न जूट और न गन्ना मिलें चल सकती हैं । सरकार पिछले १०, १५ साल से ऐसी भूल करती चली आ रही है जो आज राष्ट्रीय क्षति की शक्ल में हमारे सामने है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि हमारे प्रदेश में रुई का उत्पादन इतना होता था जिससे हमारी फैक्टरीज का काम चलता था और उसके बाद दूसरे प्रदेशों को भी हम रुई की मदद कर सकते थे । रुई की खेती किसानों ने क्यों छोड़ दी ? सरकार आज चाहती है कि लाखों रुपया खर्च करके भी किसानों को रुई की तरफ ले जायं लेकिन यह संभव नहीं हो सका है । मैं कहना चाहता हूं कि करोड़ों रुपया हमने फारेन एक्सचेंज में गवाये हैं सन् ५३–५४ और सन् ५४–५५ के सीजन में बाहर से चीनी मंगाने में । किसानों ने कमर कस करके उसे पूरा किया । लेकिन उनको इनाम क्या मिला ? मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार भारत सरकार के पदचिन्हों पर चलने में अपनी मर्यादा समझती है । उसके सामने झुकती है । मैं मानता हूं कि भारत सरकार का इससे गहरा सम्बन्ध है । उस नाते को तुड़ाना मैं नहीं चाहता, लेकिन इस नीति को अपना कर वह इस प्रदेश के उद्योगीकरण को कहां ले जायगी ? बाकी चीजों में वह हमारी मदद नहीं करेंगे, लेकिन जो चीजें हमारे पास हैं, उसमें वह दूसरी जगह कैपेसिटी बढ़ाते चले जायं चाहे महाराष्ट्र हो या गुजरात हो । नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल में क्या उन्होंने सलाह दी कि जो कैपेसिटी यहां मौजूद है १४ लाख टन चीनी पैदा करने की बिना एक पैसा फारेन एक्सचेंज में उसके लिये खर्च किये हुये उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है ? क्योंकि उसके लिये नयी फैक्टरियां लगायी जा रही हैं और फारेन एक्सचेन्ज खर्च किया जा रहा है जो फारेन एक्सचेन्ज सीमेंट और ईंट की फैक्टरियां लगाने में खर्च किया जा सकता था ताकि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रुक रही है वह न रुकने पाये । लेकिन नहीं, आज फारेन एक्सचेन्ज उस चीज में खर्च किया जा रहा है जिसको बढ़ाने की हमारी कैपेसिटी है ।

(इस समय ३ बजकर ५५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल में यह कौन कहेगा ? हमारा यह चार्ज है कि यू०पी० की सरकार अपनी बात कहने में शरमाती है । अगर ऐसा नहीं है तो इस सदन के सामने मुख्य मंत्री जी बतायें कि आखिर क्या वजह है । भारत सरकार क्या उपाय बताती है ? भारत सरकार बताती है कि अगर हमें चीनी का उत्पादन बढ़ाना है तो हम अपनी काटेज इंडस्ट्रीज को, कोल्हू को, खांडसारी को बन्द कर दें और हमसे यह पाप करवाती है, हमसे कानून बनवाती है कि खांडसारी को तबाह करो जिससे हमारे हजारों आदमी आज काम पा रहे हैं । हमारे छोटे उद्योग-धन्धे जो गांव गांव में फैले हुये हैं, उनके ऊपर भारत सरकार कानून बनवा कर दबाव डालती है । इसी तरह से

कोल्हू की हालत है । कोल्हू उत्तर प्रदेश के गांव गांव में फैला हुआ है । अगर हमें कोआपरेटिव इंटरप्राइज बढ़ाना है तो कोल्हू का काम ऐसा है जो बगैर कोआपरेशन के चल नहीं सकता । अगर कोआपरेशन कोल्हू में सफल नहीं हो सकता तो दूसरी जगह बिलकुल सफल नहीं हो सकता लोहार, बढ़ई, बैल वाला, पकाने वाला, न मालूम कितने आदमी मिल कर उसको चलाते हैं और वो चार आने मन जब गुड़ की कीमत बढ़ी तो फारवर्ड मारकेंट कमीशन ने उसके फारवर्ड व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा दिया और किसी व्यापार पर तो लगाया नहीं लेकिन, गुड़ पर लगा दिया । और यही नहीं कि उत्तर प्रदेश की सरकार चुप रही बल्कि वह उसमें मददगार हुई और कहा कि हां, वायदे के सौदे पर रुकावट डालो । अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के गांवों के लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़े, उनका कुछ औद्योगिक दिमाग रहे तो आपको खंडसारी, गुड़ और उसके साथ-साथ जो यह उद्योग चौपट होने जा रहा है गन्ने का इनको खड़ा रखने की कोशिश करें । जो ६–७ करोड़ रुपया हर साल स्टेट गवर्नमेंट के खजाने में आता है उसको क्यों वसूल किया जाता है ? वह इसलिये खर्च करने के लिये वसूल किया जाता था कि शुगरकेन इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो । आज महाराष्ट्र में, आन्ध्र में, मैसूर में अगर किसान एक एकड़ में २४,२५,२६ टन गन्ना पैदा करता है तो उसको यह सहूलियत होगी कि वह ३० टन एक एकड़ में पैदा करने के बाद सवा २ रुपये मन की कीमत पायेगा । लेकिन यहां ऐसी कोई सहूलियत नहीं है कि ज्यादा पैदावार करके किसान दो रुपये या सवा दो रुपये मन पा जाय । इस हिसाब से कोई इंडस्ट्री तरक्की नहीं कर सकती ।

अन्त में मैं गन्ने के सिलसिले में यह कहना चाहता हूं कि भारत सरकार से छुटकारा लीजिये, उसके बहाने से काम नहीं चल सकता । या तो शुगर इंडस्ट्री को अपने हाथ में लीजिये । यह एक ही इंडस्ट्री है, जिसको लेने के बाद जो करोड़ों रुपये पानी की तरह से बह रहे हैं वह नहीं बहेंगे और गरीब किसान के ऊपर आपको बोझ लादने की जरूरत नहीं पड़ेगी । आप भारत सरकार से कहें कि आप हमको अपने रिसोर्सेज बढ़ाने की बात कहते हैं तो पहले हमको शुगर फैक्टरीज को अपने हाथ में लेने दीजिये । हम भी अपने रिसोर्सेज बढ़ा लेंगे । अगर आप तैयार नहीं हैं तो ६–७ करोड़ रुपया जो आप साल में लेते हैं उसको कम से कम २–३ साल खर्च कीजिये और इस प्रकार का डेवलपमेंट कीजिये जिससे किसान जो ३००-४०० मन पैदा करता है वह ७०० मन पैदा करने लगे और वैराइटी भी अच्छी हो और महाराष्ट्र की नकल कीजिये और हमें अच्छी कीमत दिलाइये तो देखिये देश को फायदा होता है या नहीं ।

श्रीमन्, अन्याय होगा यदि मैं गुड़ और खंडसारी में ही रह जाऊं । मैं इकोनामिक स्ट्रक्चर को पहला स्थान देता हूं । चूड़ी के व्यापार को तरक्की देने के लिये हमारे सामने कोई चीज नहीं आई । मैं कहना चहता हूं कि ६–७ करोड़ रुपये की चूड़ियां जो अन्य प्रदेशों में जाती हैं और उनमें लगे हुये मजदूरों और कारखानेदारों की खबर लीजिये और इस उद्योग को बढ़ाने की चेष्टा कीजिये । हमारे जूते के उद्योग की हालत भी आज बदतरीन है । पहले हमारे सूबे का जूता हमारे देश में ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में मशहूर था । लेकिन आज आगरा का जूता लौटाया जाता है । क्यों लौटाया जाता है, इसकी आप जानकारी कराइये? (व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि देश की सही स्थिति को देखिये और दूसरे देश वालों की बोली में न बोलिये । आप लोग मेरे साथ आगरा चलिये और मैं उसकी जांच करा दूंगा । असल में बात यह है कि बीच वाला जूता बनाने वाले की दुर्गति कर रहा है । आगरे की कैफियत यह है कि जूता बनाने वाला शाम को जूता लेकर बाजार में जाता है तो बीच वाले जो खरीदने वाले होते हैं वह एका कर लेते हैं । वह दरवाजे दरवाजे दौड़ता है और ६ रुपये की चीज के उसको मुश्किल से चार, साढ़े चार या पांच रुपये मिलते हैं । लौटकर वह भी सस्ती चीज बनाता है और क्वालिटी गिरा देता है इससे हमारा बाजार छिनता है । मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि काफी कड़ी निगरानी रखी जाय और उनकी तिजारत कायम रखने के लिये सरकार को ध्यान देना चाहिये ।

श्रीमन्, माननीय नियोजन मंत्री जी ने सही बात कही कि भूमि प्राप्त करने में दिक्कत होती है । मैं कहना चाहता हूं कि इसको कौन हल करेगा ? मैं उलहना देने वाला था लेकिन

[श्री गेंदासिंह]

उन्होंने स्वयं कह दिया है। सरकार यह कहती है कि किसानों को वह सब से धनी समझती है। जब कमजोर पतिदेव बाहर मार खाते हैं तो बीबी से नाराज होते हैं। हमारे सूबे की सरकार का श्रीमन्, यही हाल है, कि वह मार खायेगी दिल्ली में. . . . .

एक सदस्य—

यहां बीबी ही नहीं है।

श्री गेंदासिंह—

ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी है, सारा मामला ज्वाइंट है। तो उसके बाद दौड़े दौड़े आ कर किस पर नाराज होते हैं? खेत जोतने वाले पर। मैं बिहार के आंकड़े ले आया हूं कि वहां जमीन का क्या दाम देते हैं। वहां पर उन्होंने १९५८-५९ में एक एकड़ का तीन हजार दिया। मैं किताब भेज दूंगा। हमारे यहां अगर दो रुपया मालगुजारी है तो एक एकड़ का १६० रुपया ले लो। तो १६० रुपया से ज्यादा एक एकड़ का मिलेगा नहीं। हमारे जिले में एक एकड़ की कीमत २ हजार रुपया और मिलेगा १६० रुपया। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि मार्केट वैल्यू इस सूबे में लागू नहीं है। आज आप कहिये कि मार्केट वैल्यू मिलेगी किसान को तो २ हजार रुपया एकड़ देना पड़ेगा। अगर यह प्राइवेट लोगों को मिलता है तो उनको जमीन मिलने में कठिनाई नहीं होगी। लेकिन यहां वह सरकार से रिक्वीजीशन करवा कर डेढ़ दो सौ रुपये एकड़ में जमीन लेना चाहते हैं। अगर यह हालत नहीं बदली तो किसी भी हालत में इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो सकेगी।

एक बात अन्त में जरूर कहना चाहता हूं। हमारे भाई श्री राम जी ने एक चिट्ठी दी। यह बीमारी बड़ी जबरदस्त है। इसको दूर करना चाहिये। माननीय मुख्य मंत्री और नियोजन मंत्री ध्यान में रखें। पांच सौ रुपया एक हरिजन भाई को ग्रांट मंजूर हुई। उस पर तस्दीक करने के लिये २०० रुपये कानूनगो मांग रहा है। हरिजन भाई की तसदीक में २०० रुपये मांगा जायगा तो बड़ी मुश्किल हो जायगी।

माननीय फूलसिंह जी का मैं बड़ा आभारी हूं। उन्होंने पिछले लोगों को सामने लाकर रखा है। उन्होंने बताया है कि जितना रुपया दिया गया है, उसमें ४४ परसेंट रुपया मिसयूज हो गया है। यह छोटे कर्जदारों के बारे में उन्होंने कहा। अगर बड़े कर्जदारों के बारे में जिन्होंने करोड़ों लिया है अगर उन का हिसाब लगायें तो जो पैसा उन्होंने लिया है वह किसी न किसी बहाने से दूसरे काम में लगाया है और आज कहते हैं कि जमीन नहीं मिल रही है। जमीन न मिलने का कारण मैंने बता दिया तो आज कोई ऐसी कमेटी बनायें जो यह देखें कि जिन लोगों ने पैसा लेकर ठीक इस्तेमाल नहीं किया है, उनसे पेनाल्टी के साथ वह रुपया वसूल किया जाय ताकि दूसरे लोगों को दे कर इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ाई जा सके। फारेन एक्सचेंज, रा मैटीरियल, जिन चीजों की वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ रुकी हुई है उसको पहले टैकिल करें।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस अवसर पर सबसे पहले जैसा कि माननीय गेंदासिंह जी ने भी कहा है, मैं माननीय गृह लघु उद्योग मंत्री ठाकुर फूलसिंह को बधाई दूंगा। उन्होंने वास्तव में एक ऐसा कदम उठाया कि जिससे, जहां तक उद्योग का सम्बन्ध है, तमाम प्रदेश में एक हलचल मची। हर एक सरकारी कर्मचारी को जो उद्योग से सम्बन्ध रखता है यह सोचने का अवसर मिला। वह यह सोचने के लिये विवश हुआ कि उद्योग के लिये जो रुपया आयेगा वह उद्योग में लगाना होगा, जिन उद्योगों को चलाने की योजना उन्होंने बनायी है, उन उद्योगों को उनको चलाना होगा और उन व्यक्तियों को जो उद्योग के लिये रुपया चाहते थे, उनको भी यह सोचने के लिये विवश होना पड़ा कि जो रुपया हम इसके लिये लेंगे वह इसी में लगाना होगा। मैं आशा करता हूं कि उन्होंने जो यह कदम उठाया वह जारी रहेगा और सिर्फ आज्ञा के रूप में न रखकर अमल में आयेगा। श्रीमन्, इस सदन में समय से आठ दस वर्ष से मैं यह देखता चला आया हूं कि जब उद्योग के अनुदान पर बहस

होती थी तो माननीय सदस्य विशेष प्रकार से दो आस्थानों का जिक्र किया करते थे और उनकी टिप्पणी किया करते थे । वह दोनों आस्थान प्रेसीजन इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री और चुर्क सीमेंट फैक्ट्री हैं । उनका जिक्र आज भी हुआ, आज भी कम जिक्र नहीं हुआ, लेकिन उसमें एक अन्तर हो गया है । उद्योग को मैं उस तरह से देखता हूं जैसा कि माननीय नियोजन मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि वह इस दिशा में वांछित प्रगति नहीं कर सके । जितने उद्योग इस प्रदेश में बढ़ने चाहिये थे उतने नहीं बढ़ सके और इसके कारण को दोहराकर मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता । अभी माननीया श्रद्धा जी कह रही थीं टैक्सेज के बारे में । यह तो स्पष्ट बात है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा । जब टैक्सेज का सवाल आये तो हम उसका विरोध करें, जब कर्जे का सवाल आये तो हम कोई सहायता न करें और जब उद्योग का सवाल आये तो हम चाहें कि उद्योग बढ़े तो यह दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकत । और इसी कारण उन्होंने अपनी असफलता को स्वीकार किया है । परन्तु मेरा विचार है कि हमने उद्योग में प्रगति की है, आज भी परिस्थिति को मैं इस प्रकार से देखता हूं कि जो योजनायें हमारी पहली थीं, जिनकी हम शिकायत किया करते थे । जिनका मैंने अभी शीघ्र ही जिक्र किया प्रेसीजन इन्स्ट्रूमेंट फैक्ट्री और चुर्क सीमेंट फैक्ट्री कि इनमें नुकसान हो रहा है उनमें अंतर यह हुआ कि आज वह प्रगति पर हैं, उनमें लाभ होने लगा, उनमें उत्पादन होने लगा । किसी भी विभाग की प्रगति को देखने का तरीका यह है कि जो योजनायें पहले नुकसान में थीं उनमें नुकसान खत्म हुआ, सुधार हुआ या नहीं और जो नयी योजनायें स्वीकृत हुईं उनके लिये हमारे माननीय नेकराम जी ने हमारे इस समय के मुख्य मंत्री की शिकायत की, कुछ उनकी नुक्ताचीनी की और माननीय सम्पूर्णानन्द जी को बधाई दी । माननीय सम्पूर्णानन्द जी को मैं भी बधाई देता हूं, बधाई देने में माननीय सम्पूर्णानन्द जी और माननीय गुप्ता जी में मैं कोई अन्तर नहीं मानता हूं । वह यह सोचें कि गुप्ता जी हों या सम्पूर्णानन्द जी हों, एक ही बात है । उनमें कोई अन्तर नहीं है, दोनों एक ही दल के हैं, एक ही तागे में पिरोये हुये मोती हैं । हमें तो यह देखना है कि प्रगति किस तरह से हो और उसमें हम देखते हैं कि पुरानी जो चीजें थीं उनमें सुधार हुआ और जो नई इंडस्ट्रीज मिलीं उनमें कार्य चल रहा है । माननीय मंत्री जी ने बतलाया था कि कुछ ऐसी योजानायें हैं जिनमें उत्पादन शुरू हो गया जैसे एल्यूमिनियम फैक्ट्री है । कुछ ऐसी हैं जिनमें शुरू होने वाला है जैसे सिन्थेटिक रबर फैक्ट्री । कुछ ऐसी हैं जिनमें काम बहुत तेजी से चल रहा है और जल्दी ही उत्पादन शुरू हो जायगा । इसके अलावा कुछ और नयी योजनायें हमारे प्रदेश में स्वीकृत हुई हैं । तो जो यह शिकायत थी कि कृषि पर भार बढ़ रहा है वह है, कम नहीं हुआ है, लेकिन कुछ उस परिस्थिति से हम आगे हैं । पुरानी योजनाओं में प्रगति हुई है, उनमें सुधार हुआ है और नयी योजनाओं और चालू हो रही हैं, कुछ नई स्वीकृत हुई हैं । हैवी एलेक्ट्रिकल, ऐंटी बायटिक्स, फर्टिलाइजर्स और डिजिल लोकोमोटिव, यह चालू हो रही हैं । तो इस प्रकार मैं यह समझता हूं कि सन्तोषजनक न होते हुये भी हमारा यह विभाग प्रगति के रास्ते पर है ।

एक बात और बहस में आयी । मैंने पिछले वर्ष में कहा था कि कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनको निकाल दिया जाना चाहिये, उसमें धन बिलकुल व्यर्थ व्यय होता है । मुझे खुशी है और मैं बधाई देता हूं कि माननीय मंत्री जी ने कुछ ऐसी योजनाओं को बजट में से निकाल दिया जैसे सचल गाड़ियों द्वारा हैंडलूम का प्रचार और उनकी बिक्री । मैंने पिछले वर्ष भी कहा था कि यह सब व्यर्थ हैं । कल के भूले आज सही रास्ते पर आ गये तो उसके लिये उनको बधाई । अमौसी, सारनाथ और मसूरी आदि के प्रदर्शन कक्षों के लिये मैंने कहा था कि यह निरर्थक सिद्ध होंगे और उसमें रुपये का अपव्यय होगा, लाभ उतना नहीं होगा जितना कि आप चाहते हैं । मुझे खुशी है कि उस योजना को निकाल दिया गया है । इसके अलावा गुड़ियों तथा मुलायम खिलौनों के लिये तथा हाथीदांत की पच्चीकारी की योजना को भी निकाल कर खर्च में कमी की गयी है । यह अच्छा ही है । इसके अलावा एक सींग का उद्योग है । इस बजट में उसको सहायता नहीं दी गयी है । मैं माननीय मंत्री जी को बतलाना चाहूंगा कि इस उद्योग में बहुत थोड़ी पूंजी से बहुत से कारीगर रोजगार पा जाते हैं । ५००, ७०० या १००० रुपये में पूरे परिवार को काम मिल जाता है । मैंने स्वयं देखा है उन्हें किसी बड़ी मशीनरी की जरूरत नहीं पड़ती ।

[श्री जगदीशप्रसाद–]

इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि मंत्री जी उन्हें सहायता देने के प्रश्न पर पुनर्विचार करने की कृपा करें ।

श्रीमन्, इस विभाग का एक बड़ा काम अनुदान तथा ऋण देने का है । अनुदान का अर्थ यह होना चाहिये कि यदि कोई व्यक्ति किसी उद्योग को लगाना चाहता है तो उसे अनुदान प्राप्त करने के लिये भागना न पड़े । लेकिन आजकल जो स्थिति है और उसका माननीय सदस्यों को भी अनुभव होगा कि अगर किसी को कर्ज निपटाना है या लड़की की शादी करनी है, मकान बनवाना है तो वह किसी न किसी प्रकार प्रयत्न करता है कि उसे लोन या अनुदान मिल जाय । यह स्थिति अच्छी नहीं है और इसमें परिवर्तन होना चाहिये । जैसा मैंने शुरू में कहा था, यह ठीक है कि मंत्री जी ने सर्कुलर भेजा है, लेकिन इसमें सख्ती होनी चाहिये कि जिस काम के लिये वह अनुदान या ऋण दिया गया है उसका उपयोग उसी काम में होना चाहिये । इसके लिये मेरा एक सुझाव यह है कि आप के जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज आफिसर्स हैं वे कोई सहायता उद्योग में नहीं करते । अभी मुझसे पहले के वक्ता कह रहे थे कि होना यह चाहिये कि उद्योग शुरू करने वाले के पीछे आपका दफ्तर भागे लेकिन हो यह रहा है कि उद्योग चलाने के लिये उसे ही बस्ता लेकर भागना पड़ता है। तो आपके कार्यालय वास्तव में उद्योग को कोई सहायता नहीं दे रहे हैं। मेरा सुझाव है कि आप इसको ब्लाक स्तर पर ले जायं । आपने एक इंडस्ट्रीज आफिसर वहां नियत किया है । आप ऋण या अनुदान उस स्तर से दें । वहां वह उद्योग गांव के सभापति तथा ब्लाक प्रमुख की जानकारी में रहेगा और कम से कम उस पर काम होगा । मैंने इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कार्पोरेशन को देखा है । वहां सरकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसे देख कर बड़ा संतोष हुआ । आज आपके यहां होता यह है कि किसी ने दरख्वास्त दी १५ दिन बाद उस पर एक एतराज लिख कर भेज दिया। महीने भर बाद जवाब आने पर दूसरा एतराज लगा दिया। वहां एक सज्जन बड़ी शिकायत कर रहे थे । तो वहां के अधिकारी से कहा कि दिखा दीजिये, अगर एक भी मामला ऐसा है जिसमें दो बार एतराज यहां से किये गये हों उस में असंतोष हुआ । मैं इसकी एक मिसाल दे सकता था कि आपके अफसर कितना परेशान करते हैं, लेकिन समय कम है। वे काम नहीं करने देते, परेशान करते हैं । तो मेरा सुझाव है कि इस कार्य को आप ब्लाक स्तर पर ले जायें । वहां लोगों को जानकारी रहेगी । वहां असरकारी सदस्य भी होंगे और वे सरकारी कर्मचारियों के दृष्टिकोण से काम नहीं करेंगे ।

श्रीमन्, एक प्रशिक्षण का मामला है । हमारे प्रदेश में बहुत से कामों के लिये सरकार प्रशिक्षण देती है ।

श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)--

प्वाइंट आफ आर्डर । उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वहां पर कोई मंत्रणा हो रही है या कोई लिस्ट पढ़ी जा रही है ? आप किस तरह से लोगों को बुला रहे हैं ? वहां पर लोगों का बार बार जाना क्या उचित है ?

श्री उपाध्यक्ष--

सभी लोग आ कर देते हैं । यह कोई खास बात नहीं है ।

श्री विश्वनाथ पांडेय "प्रणव" (जिला मिर्जापुर)---

यह पता नहीं लगता कि किस क्रम से आप सदस्यों को बुलाते हैं । मैं लगातार दो महीने से कह रहा हूं लेकिन आज तक मुझे मौका नहीं मिला बोलने का ।

श्री जगदीशप्रसाद—

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि हमारे प्रदेश में उद्योगों की प्रगति कच्चा माल मिलने की कठिनाई के कारण भी नहीं हो पा रही है । हमारा अनुभव यह बताता है कि उद्योग चलाने

के लिये कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो पाता है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि ऐसी व्यवस्था करें कि वह मिल सके। यह भी कहूंगा कि वह ब्लाक स्तर पर इन्डस्ट्री को देखें और कच्चा माल सप्लाई करें, तो उद्योग बढ़ेगा।

चीनी मिलों के बारे में यहां पर सवाल उठा। मैं उस क्षेत्र से आता हूं कि जहां पर चीनी का काम बहुत होता है। मगर यहां जो कहा गया उसमें परस्पर विरोध है। गन्ने की कीमत गिराई नहीं जा सकती क्योंकि किसान का नुकसान होगा। यदि टैक्स बढ़ाते हैं, तो पूंजीपति का नुकसान होता है और वह निरुत्साहित होता है और वह प्रदेश छोड़कर भागना चाहता है। माननीय नेकराम शर्मा जी ने कहा कि यहां से चीनी मिल वाले भागना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि उसे लाभ हो और वह यहां चले ऐसा प्रयत्न किया जाना चाहिये। यदि उसे लाभ होगा तो वह हरगिज नहीं भागेगा। या तो माननीय सदस्य यह गलत कहते हैं कि हमारा उनके साथ फेवर का बर्ताव है या यह कि वह भागना चाहते हैं। यह जो परस्पर विरोधी चीजें हैं, मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी चीनी के मसले को गंभीरता से सोचें। वास्तव में यह एक बहुत बड़ी समस्या है। खंडसारी उद्योग और गुड़ का उद्योग ऐसा उद्योग है कि जो हमारे क्षेत्र की बहुत बड़ी जनसंख्या को रोजगार देता है। चीनी इस साल जरूर कम पैदा हुई है। उसके दो कारण हैं। या तो गन्ना कम पैदा हुआ है या उसका प्रयोग गुड़ व खंडसारी के बनाने में अधिक हुआ है। यदि गन्ना कम पैदा हुआ तो यह इस विभाग का नहीं कृषि का काम है यदि गुड़ के बनाने में वह लगा तो उसमें नुकसान नहीं है। जैसा कि माननीय सेंदासिंह जी ने कहा कि टैक्स का नुकसान होगा, वह भले ही हो गया हो। मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि जो इस प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है और तीसरे प्लान के अन्त तक जो आपका अन्दाजा है कि ४० लाख १७ हजार बेकारों की संख्या होगी, उस ओर वह कृपया ध्यान दें और उनको उद्योग में लगाकर रोजगार देने की व्यवस्था करें। मुझे इस बात की खुशी है कि कई माननीय सदस्यों ने इस बात का जिक्र किया और कहा कि इस प्रदेश में वास्तव में गृह उद्योगों की उन्नति नहीं हो रही है। मैं यह नहीं कहता कि इसमें सरकारी कर्मचारियों का कुसूर है या किसका दोष है। मैंने यह भी देखा है कि जहां यह कार्य खादी कमीशन के सार्वजनिक कार्यकर्ताओं द्वारा हुआ वहां भी सन्तोषजनक नहीं हुआ। यह निश्चित है कि उन्होंने वांछित प्रगति नहीं की है। परन्तु उसको छोड़ कर तो बैठने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है क्योंकि इससे बेरोजगारी की समस्या का हल नहीं होगा। यह स्पष्ट है कि बड़े उद्योग में एक व्यक्ति को रोजगार देने में ४-५ हजार रुपये की लागत लगती है और छोटे उद्योगों में ४-५ सौ की ही। परन्तु मैं माननीय मंत्री जी से यह अन्त में अनुरोध करूंगा कि वह इस ओर ध्यान दें।

(श्री भगवानदास यादवेन्दु का नाम पुकारे जाने पर)

एक सदस्य---

श्रीमन्, मैं व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

आप कृपया विराजें।

श्री भगवानदास यादवेन्दु---

श्रीमन्, हमारे प्रदेश की जो औद्योगिक स्थिति है, वह दृढ़ नहीं है। जैसा कि आज सबेरे हमारे माननीय विकास मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया है जो कि हेवी इन्डस्ट्री की तरफ से रिप्रेजेन्ट कर रहे थे कि हमने अभी कोई प्रगति नहीं की है। मैं आप को बताऊं कि हमारे माननीय पूज्य महात्मा गांधी यह कहा करते थे कि अगर हिन्दुस्तान को देखना है तो आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइये क्योंकि हिन्दुस्तानी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। यह वह कहा करते थे कि इस देश में आर्थिक विषमता के कारण अंग्रेजी साम्राज्य एक व्यक्ति बड़े ऊंचे पूंजीपति के रूप में होता था और उसके बाद लाखों व्यक्ति दाने दाने को तरसा करते थे। इस प्रकार की आर्थिक

[श्री भगवानदास यादवेन्दु]

विषमता के कारण महात्मा गांधी हमेशा जब जब भी उन्होंने अपने जीवन में कोई कार्य किया इस देश की प्रगति के लिये तब तब उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को प्राथमिकता दी। गांधी जी ने गांधीवाद के अन्दर इस ग्रामोद्योग को हमेशा और पूरी तरह से रखा। चरखा, चर्म उद्योग, हैन्डलूम, तेलघानी, शहद उद्योग, लकड़ी उद्योग, आदि, आदि। हमारे वर्तमान लघु उद्योग मंत्री जहां के हैं वहां लकड़ी पर काफी पच्चीकारी के काम बहुत ही डिजाइन के साथ बहुत सी सुन्दर चीजें बनाई जाती हैं। तो इस तरह के लघु उद्योगों की तरक्की के लिये महात्मा गांधी हमेशा सोचते थे कि उद्योगों का विकेन्द्रीकरण हो और यहां हमारी सरकार प्राइवेट सेक्टर्स में चन्द पूंजीपतियों को सरकारी सहायता कर्जे के रूप में देकर इंडस्ट्रीज का केन्द्रीकरण करती चली जा रही है और सरकार प्राइवेट सेक्टर को ही प्राथमिकता देती है। लघु उद्योगों को सही माने में कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। इसी कारण से अपने प्रदेश में छोटी इंडस्ट्री की स्थिति दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में दयनीय है। इसका कारण है हमारे जो लघु उद्योग हैं उनमें काफी लम्बी चौड़ी योजनाओं को शहरों के बीच में ही रखा गया है वह ग्रामीण जनता के बीच में नहीं हैं। जिस तरह से मुस्लिम इम्पीरियलिज्म में औरगंजेब नाम का बादशाह था। कहा जाता है कि वह कहा करता था कि जो इस्लाम को स्वीकार करेगा उसको ही फैसिलिटीज व सरकारी सहायता दी जायेंगी और बाकी लोगों को जजिया कर देना पड़ेगा। बिलकुल उसी तरह से आज के कांग्रेसी शासन में हो रहा है। खद्दरधारी कांग्रेसियों को जो सुप्रीम इंडस्ट्रीज हैं उनको इंडस्ट्रीज के नाम पर पैसा मिलता है और यही नहीं कि वे पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं बल्कि वे अपने देश के भविष्य को भी खतरे में डाल रहे हैं। आनेवाली जेनरेशन जब यहां की आर्थिक स्थिति के ऊपर विचार करेगी तब यही कहेगी कि इन लोगों ने जघन्य पाप किया है और समय इसको कभी भुला नहीं सकेगा। इंडस्ट्रीज के नाम पर, लघु उद्योगों के नाम पर, गांधीवाद के नाम पर इस प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई को अपने निजी पार्टी के लोगों को कर्ज के रूप में बांट बांट कर आप इस देश और इस प्रदेश के भले की बात नहीं कर रहे हैं।

आप जो लोन्स देते हैं उसके संबंध में माननीय गेंदासिंह जी, जो प्रजा समाजवादी दल के नेता हैं, उन्होंने कहा था कि यहां आगरा का जूते का उद्योग जो है उसकी तरफ गवर्नमेंट की तवज्जह नहीं है। मैं कहता हूं, इंडस्ट्रीज विभाग के अधिकारी बैठे होंगे, सुनते होंगे कि सेकिन्ड वर्ल्ड वार में २५ हजार जोड़े जूते का प्रति दिन आगरे में उत्पादन होता था। लेकिन आज इसके बावजूद कि हम आजाद हैं, हमारे देश में लोकतंत्र और प्रजातंत्र की स्थापना हो चुकी है और हम समाजवादी समाज की स्थापना करने जा रहे हैं तब हमारे यहां २५ हजार जोड़ी के बजाय मुश्किल से १५ हजार जोड़ी जूते का उत्पादन प्रतिदिन रह गया है। इससे वहां की उद्योग स्थिति पर बुरा असर पड़ रहा है। वहां का करोड़ों रुपये का उत्पादन विदेशों को जाता है और काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है।

साथ ही जो लोन यहां के लोगों को दिया जाता है छोटे-छोटे उद्योगों के लिये उसमें भी बड़ा पक्षपात होता है और वह पूरा नहीं मिलता है। अगर किसी के लिये ५०० रु० का लोन मंजूर हुआ है तो उसको ३०० रुपये ही मिल पाते हैं, २०० रुपये विभाग के जो सेवक होते हैं वे खा जाते हैं। उन सेवकों से भी मेरी यह प्रार्थना है कि वे देश के स्वतंत्र नागरिक हैं और उन सब का कर्त्तव्य है कि वे देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद दें। उसके लिये औद्योगिक क्रांति की आवश्यकता है, उसी से समाजवाद का सूत्रपात होता है। आज तो आपका समाजवाद केवल स्पीचों के कहने के लिये ही रह गया है, लेकिन वह तब तक नहीं आयेगा जब तक कि अपने यहां औद्योगिक क्रान्ति आप नहीं लायेंगे। औद्योगिक स्तिथि ही किसी देश की आर्थिक नीति की आधारशिला होती है। मैं किसी अधिकारी का नाम नहीं लूंगा, मगर अभी एक ऐसे अधिकारी के यहां शादी हुई जिस में प्रदेश भर के उद्योगपति शामिल थे और माननीय मंत्रीगण भी थे। एक तरफ गोल्ड पर नियंत्रण होने से फिरोजाबाद व बनारस के एक वर्ग में मजदूर और वहां के उद्योग पर आपत्ति आयी हुई थी, दूसरी तरफ यह लोग उद्योग विभाग के

अधिकारीगण मौज उड़ा रहे थे। क्या इसी तरह से समाजवाद आयेगा ? आपने समाजवाद के नारे को झूठा बना दिया है।

वास्तविक स्थिति यह है कि यह सब कुछ होता है, मगर इसको रोकने के लिये आप अपनी हृदय परिवर्त्तन करने वाली नीति को ही काम में लायें। (लाल बत्ती होने पर) कुछ समय तो श्रीमान् और दिया जाय .....

श्री उपाध्यक्ष—

दो मिनट हैं।

श्री भगवानदास यादवेन्द्रु—

अन्त में थोड़ा सा ग्लास उद्योग के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में बहजोई, सासनी, हिरनगऊ, पुरदलपुर, और बनारस आदि जिलों में इस के कारखाने हैं। फिरोजाबाद में चूड़ी का व्यापक उद्योग है। उसमें पकाई की भट्टियों में काफी कोयले का खर्च होता है। उसके लिये पहले, खड़गपुर फ्यूल रिसर्च इन्सटीट्यूट के डाइरेक्टर मिस्टर लहरी, ने १९५७ में कुछ इन पकाई भट्टियों के बारे में अपने सुझाव दिये थे और उन्होंने कहा था कि इस उद्योग की जो छोटी छोटी पकाई की भट्टियां हैं उनको आयल फर्नेसेस के रूप में अगर परिणत कर दिया जाय तो इससे काफी कोयले की बचत हो सकती है। किन्तु इस ओर अभी तक आपके ग्लास इकोनामिस्ट्स और टैक्नोशियन्स ने कोई ध्यान नहीं दिया। और ग्लास उद्योग के विकास के लिये वास्तव में ग्लास टेकनोलाजिस्ट में कोई कदम नहीं उठाया। उद्योग ३० वर्ष पहले जिस अवस्था में चलता था उसी प्रकार आज भी चल रहा है वहां के कारीगरों द्वारा नवीन आविष्कार किये गये और किये जा रहे हैं।

साथ ही मैं माननीय मंत्री जी को इसके लिये बधाई देता हूं कि वह स्वयं मुरादाबाद गये थे और उन्होंने इस विभाग को सम्भालते ही काफी परिवर्तन किये हैं और आश्चर्यजनक परिवर्तन किये हैं उसके कारण प्रदेश की जनता में उनके प्रति आस्था बढ़ी है और उन्होंने कुछ नये तरीके अपनाये हैं। मुरादाबाद में एक नान-फेरस सेन्टर है, जिसे मंत्री जी ने स्वयं अपने दौरे के समय देखा है उसमें एक ट्रेनी के ऊपर करीब ३० हजार रुपया खर्च हुआ और वहां से निकलने के बाद जब उसे कोई काम नहीं मिला तो वह रिक्शा चालक के रूप में काम करने लगा। इस तरह हमारा धन इन Training centers पर बर्बाद हो रहा है। मुरादाबाद मुगल काल से एशिया भर में मशहूर था और है बर्तनों के लिये और आज भी ७ करोड़ रुपये का माल हम विदेशों को निर्यात करते हैं और उसमें २० हजार के लगभग मजदूर काम करते हैं जिस से वहां के ८०,००० आदमियों की जीविका चलती है। उस उद्योग को सरकार को बढ़ावा देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री फूलसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का जिन्होंने विभाग के कामों की प्रशंसा की है आभारी हूं। अगर इस महकमे के काम में कुछ नया मोड़ आया तो उसके लिये इसके कर्मचारी धन्यवाद के पात्र हैं।

कुछ मित्रों ने त्रुटियों की चर्चा भी की। मैं उनका भी आभारी हूं क्योंकि सदन में मांग पेश करने का मकसद महज इसे पास कराना ही नहीं होता है बल्कि त्रुटियों को जानकर उन्हें दूर करने की चेष्टा भी होती है। उद्योग का काम बहुत कठिन है। एक तो इसलिये कि यह नया काम है। खेती का काम तो हमारे बाप और परदादा सभी करते आये थे और हम उसे थोड़ा बहुत जानते हैं। उद्योग का काम प्रदेश में ही नया मोड़ लाने की चेष्टा है। बाइबिल

[श्री फूलसिंह]

के शब्दों में, जहां एक तिनका घास का उगता हो वहां दो तिनके उगाना कठिन नहीं है फिर यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उस काम में कोई त्रुटि हैं । आश्चर्य की बात तो यह है कि बड़ी सफलता भी हुई । एक ही चीज को देखने के दो ऐंगिल होते हैं । आधा गिलास दूध का या पानी का हो तो कोई यह नहीं कहता कि आधा गिलास खाली है, बल्कि यही कहते हैं कि आधा गिलास दूध है या आधा गिलास पानी है । मैं ऐसा समझता हूं कि इन त्रुटियों के बावजूद भी जो कुछ हमने हासिल किया वह काफी संतोषजनक है । त्रुटियों को उस बैकग्राउन्ड में देखना चाहिये जिसमें उनका मुकाबला किया जारहा है । एक तो जैसा मैंने निवेदन किया, नया काम है । एक ही रास्ता उसके करने का है जिसे कहते हैं कि ट्रायल व एरर करके देखेंगे और अगर कोई गलती होगी तो उसे दुरुस्त करेंगे ।

एक सदस्य—

तो जिन्दगी भर ऐसे ही करते रहिये ।

श्री फूलसिंह—

बाइबिल में एक चर्चा है कि चोर को पत्थर से मारा जाता था । आधा गड्ढे में गाड़ कर उसे पत्थर मारते थे । मेरे जैसे बहुत से लड़के खड़े रहते थे कि ज्योंही गाड़ दिया जाय उसे पत्थर मारें । ईसामसीह वहां से गुजरे और उन्हें यह जब मालूम हुआ तो उन्होंने कहा कि पहला पत्थर वह मारे जिसमें कोई नुक्स न हो । मैं तसलीम करता हूं कि त्रुटियां भी हैं और उन्हें कम करके देखना गलत होगा । कंडेंस्ड लैन्स लगाना उतना ही खराब है जितना कनकेव कनवैक्स है । मर्ज का इलाज होना चाहिये । मैं दावा नहीं करता हूं कि इस विभाग में सभी बातें ठीक हैं । अगर माननीय सदस्य बतलायेंगे तो हम भरसक चेष्टा करेंगे कि त्रुटियों को दूर करें ।

कर्जों के गलत इस्तेमाल की चर्चा हुई । उस संबंध में जो कदम उठाये हैं उनकी चर्चा इस सदन में कई बार हुई है । आपको शायद यह जानकर खुशी होगी कि मेरे पास इस समय पूरे आंकड़े तो नहीं आ सके हैं क्योंकि मैं जानना चाहता था कि कितना रुपया वसूल हो गया है अब तक कितना बाकी है, लेकिन किसी हालत में भी १० लाख से कम वसूल नहीं हुआ है और किसी हालत में भी ३३ लाख से कम की रिकवरी बतौर लैंड रेवेन्यू के वसूल करने के आर्डर्स नहीं गये हैं । मेरा तो यह अनुमान है कि शायद अप्रैल से पहले पहले बहुत रुपया वसूल हो जायगा । किसी केस में कर्जा मुल्तवी नहीं होता है । शादोनदार ही किसी केस में मुल्तवी मिलती है जो कि उंगली पर गिने जा सकते हैं । जिन कर्मचारियों नें यह काम किया वे धन्यवाद के पात्र हैं । इस देश के बनाने में उनकी भी जरूरत है और आपकी भी जरूरत है । लेकिन यह एक पहलू चीज का है । मैंने निवेदन किया कि हमें वाकफियत नहीं है । ये कर्मचारी भी ट्रेन्ड नहीं थे । इंडस्ट्रियेलिस्ट्स भी ट्रेन्ड नहीं थे । जब पिछला बजट पास किया तो उसके बाद केन्द्र में एक सभा हुई जिसमें चर्चा हुई कि देहातों और पिछड़े इलाकों में कैसे इंडस्ट्री फैलाई जाय । तो ५ रूरल इंडस्ट्रियल पाइलैट प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के लिये मंजूर हुये । हर प्रोजेक्ट के लिये २० लाख रुपये केन्द्रीय सरकार ने देने के लिये कहा है । भगवान करे कि वह काम सफल हो । वहां बहुत सारे प्रयोग करके तजुर्बा करेंगे । आज की कठिनाई का, बीमारी का, निदान तो बहुत आसान है लेकिन इलाज मुश्किल है । आपने देखा होगा कि फल पैदा होते हैं पहाड़ में, फ्रूट प्रोसैसिंग इंडस्ट्री लगती है गाजियाबाद में और फैक्ट्री को बेचना आसान है जबकि रामगढ़ की फैक्ट्री की कठिनाई है । तो ऐसी बहुत सी कठिनाइयां हैं ।

अभी किसी भाई ने कहा कि एग्रो-इंडस्ट्री चलनी चाहिये । ये सब बातें माडर्न हैं, नाम भी बड़े सुन्दर हैं । लेकिन चले कैसे ? खेती के औजार की जिस किसान को आवश्यकता है उसके पास ही अगर औजार बनाये जावें तो उनसे सस्ते औजार उसे देहली के बने हुये मिल जावेंगे । तो यह दिक्कत बड़ी भारी है ।

रा-मैटीरियल की भी चर्चा हुई। एक तरफ हम बढ़ाते जा रहे हैं दिक्कतों को। नियोजन मंत्री जी ने चर्चा की कि फैक्ट्री ऐक्ट में गालिबन २०० के करीब नयी फैक्ट्री इस साल में रजिस्टर हुई। शैड्यूल्ड इंडस्ट्री में ४६ इंडस्ट्री आई। लेकिन रामैटीरियल कहां बढ़ा? वह घटा। जिस चीज से कारखाने चले वह अगर कम होती चली जाय तो कारखाने कैसे चलेंगे? जब यह पायलेट प्रोजेक्ट की योजना चल रही थी तो मैं खुद दिल्ली गया। मैंने वहां कहा कि यह कैसे चलेगा, रा मेटीरियल कहां है? आप सुनकर हैरान होंगे कि इस प्रदेश को जितनी आवश्यकता है बाज-बाज चीजों में उसका केवल ४० प्रतिशत ही मिल पाता है। अब अगर किसी कारखाने को ४० प्रतिशत ही उसकी आवश्यकता का सामान मिले तो वह किस प्रकार से कम्पीट कर सकता है। एक भाई ने कहा कि कारखानों की चीजों के भाव नियंत्रित कर दिये जायं, तो चीजों के भाव तो नियंत्रित कर दिये जायं, रा मैटीरियल उनको मिले नहीं, किराये आदि बढ़ जायं और दूसरी प्रकार का खर्चा बढ़ जाय तो वह इन्डस्ट्री किस प्रकार से चलेगी, किस प्रकार से कैपीटल का फ्लो इन्डस्ट्री की ओर होगा। जहां तक कैपीटल के फ्लो की बात है हमारी स्टेट में और स्टेट्स के मुकाबले में लोन्स और ग्रान्ट्स कम नहीं दिये गये हैं। दिल्ली में जब मैं गया तो मुझे यह जानकर खुशी हुई कि एक सूबे को छोड़कर इस मामले में हमारा सूबा सबसे आगे है और सबसे बड़ी रकम स्टेट बैंक ने दी है। इसलिये उद्योग धंधों के लिये हम काफी रकम देने की कोशिश करते हैं।

अब हमारे सामने दो ही रास्ते हैं कि उद्योगपतियों को इस प्रकार काम करने दें कि उनको वह लाभदायक दिखायी दे अथवा उनसे जबरदस्ती काम करायें। दोनों रास्ते आपके लिये खुले हैं। चाहे तो बकरी के गले में रस्सी बांध कर ले चलो अथवा हाथ में चारा लेकर उसके सामने चलते चले जाओ, वह तुम्हारे पीछे-पीछे आ जायगी। इसलिये यह लोन्स ऐन्ड ग्रान्ट्स तथा रा-मेटीरियल वाला मामला काफी कठिन है।

पंजाब की चर्चा की गयी कि वहां पर बड़ी सुविधायें हैं। दस वर्ष हुए मैं एक कोआपरेटिव कान्फ्रेन्स में बंबई गया था। वहां कोआपरेटिव फार्मिंग का प्रस्ताव पेश था। जब प्रस्ताव पर बहस होने लगी तो एक साहब ने कहा कि इसको आजमाया जा चुका है और हम इसमें सफल हो चुके हैं। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि यू० पी० में। यानी वे दक्षिण के रहने वाले मुझसे अधिक जानते थे---आप तो पंजाब गये नहीं लेकिन मैं आपके हुकुम की तामील में पंजाब हो आया हूं। मेरा घर भी उधर ही है। यह बात सही नहीं है कि पंजाब में सुविधायें ज्यादा हैं और यहां नहीं हैं। पंजाब में इंडस्ट्री बढ़ने के कई कारण हैं। पार्टीशन के बाद पंजाब को काफी रुपया केन्द्र से मिला। उस समय रा-मेटीरियल आदि का भी कोई झगड़ा नहीं था। आज से दस साल पहले उन्होंने उनको स्थापित कर लिया लेकिन जब हमारा लगाने का नंबर आया तो इमर्जेंसी आदि बहुत सी बातें खड़ी हो गयीं। एक बात पंजाब के व्यक्तियों की भी है। वे इतने मेहनती और उत्साही आदमी हैं कि उनको देखकर हैरानी होती है। वह अगर कोई फैक्ट्री लगाते हैं तो शाजोनादिर ही उसके पार्टस् को इम्पोर्ट करते हैं। खुद ही उनको बना लेते हैं। जो लोग इंजीनियर नहीं है वे भी इस काम को कर लेते हैं। मैंने स्टेनलैस स्टील के सर्जीकल इन्स्ट्रूमेंट बनाने के एक कारखाने को देखा। वहां १०-१५ लुहार लगे हुये थे और काम कर रहे थे। अतः यह सारे काम दिल से होते हैं, हिम्मत से होते हैं। अपने अन्दर एक ड्राइव, एक फोर्स पैदा करना होता है।

आपने लोन्स की शिकायत की। एक डिस्ट्रिक्ट लोन्स कमेटी बनी हुई है। इसलिये मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य अपने जिले में जायं, वहां मीटिंग में बैठें और वहां के कायदों को पहले पढ़ें। सारे अधिकार उस कमेटी को हैं। कमेटी इसकी जांच पड़ताल कर सकती है कि किस चीज का कहां क्या इस्तेमाल हुआ और आप देख सकते हैं कि किस चीज का कहां दुरुपयोग हुआ है। अगर आपकी जानकारी में कोई त्रुटि हो तो मुझे बतलाइये, इस काम को न सरकारी आफिसर कर सकते हैं और न सरकार ही अकेले कर सकती है, यह काम तो सब लोगों के सहयोग से ही होगा। कहा गया कि ५०० रुपया कर्जा लेने में भी कानूनगो को २००

[श्री फूलसिंह]

रुपये रिश्वत देनी पड़ती है। मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों रिश्वत देनी पड़ती है। ५०० रुपये के लिये तो कोई जमानत भी नहीं होती है। अगर आपको सब जानते हैं तो आसानी से आपको रुपया मिल जायगा। अब यह रूल है कि २ हजार रुपये के लिये कोई प्रापर्टी की जमानत की जरूरत नहीं है। अगर वह व्यक्ति आपको जानता है तो ऐसे ही रुपया दे सकता है और अगर न जानता हो तो किसी व्यक्ति को ले जाकर खड़ा कर दीजिये, आपको रुपया दे दिया जायगा। ५ हजार रुपये तक दो आदमियों की जमानत पर मिल जायगा। ५ हजार से ऊपर के लिये इम-मूवेबिल प्रापर्टी की जमानत की जरूरत पड़ती है लेकिन उसके लिये हमारे आदेश हैं कि आफिसर ही तहसील का कागज लेकर जायेगा, कर्जा लेने वाले को वहां जाने की जरूरत नहीं है, हमारा अहलकार ही वहां जायेगा.....

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जरा माननीय मंत्री जी से एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूं। अभी अभी उसूल की बात बतलायी गयी कि हमारा प्रोसीज्योर लेड डाउन है तथा हमारे आफिसर बड़े एफिशिएंट हैं, लेकिन एक पत्र मैंने आपके पास भी लिखा था गोरखपुर जिले में लोन दिये जाने के संबंध में, कि वहां दो लाख रुपये का लोन दिया गया लेकिन लोन कमेटी की बैठक तक नहीं बुलायी गयी। इस संबंध में आपने क्या जांच की और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्य-वाही की गयी? हम लोग, ४ एम० एल० एज० उस लोन कमेटी के मेम्बर हैं, लेकिन हम लोगों ने उस कमेटी से इस्तीफा दे दिया है कि ऐसी कमेटी में रहने से क्या फायदा है जिसकी कोई मीटिंग ही नहीं बुलायी गयी और बिना दरख्वास्त के ही लोन बांट दिया गया। इसका कोई जवाब आपने आज तक नहीं दिया। (व्यवधान)

एक सदस्य—

मैं, श्रीमन्, देवरिया जिले बात कहता हूं, माननीय गेंदासिंह जी भी मौजूद हैं, उनसे पूछ लिया जाय, वहां लोन कमेटी की मीटिंग में हम लोग बराबर बुलाये जाते हैं और गोरख-पुर जिले में भी ऐसा ही होता है।

(व्यवधान)

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं भी गोरखपुर का एम० एल० ए० हूं और मैंने इस विभाग के बारे में जो शिकायत "शतदल" अखबार में निकली थी, आपके पास लिख कर भेजी थी, तो उस पर भी जरा प्रकाश डालने की कृपा जवाब देते वक्त करें।

श्री फूलसिंह—

जरूर प्रकाश डालूंगा। मैं तो किसी साथी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि उससे कोई काम हल नहीं होता। मैं तो अपनी गलती को भी मानने के लिये तैयार हूं लेकिन इतना मैं बतला दूं कि जो शिकायत आयी थी वह निराधार पायी गयी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

श्रीमन्, हम ४ एम० एल० एज० ने प्रार्थना-पत्र दिया था, माननीय मंत्री जी ने अपने किसी अधिकारी से भले ही पूछा हो लेकिन क्या उन्होंने हम लोगों से भी पूछा?

श्री फूलसिंह—

यहां हाउस में एक सवाल किया गया था, जिसके जवाब में यह बात कह दी गयी थी और माननीय सदस्य ने मुझसे फोन से पूछा तो मैंने उनको फोन द्वारा ही बतला दिया और कहा कि कोई और शिकायत हो तो लिख कर भेज दें, मैं उसकी जांच कर लूंगा। अगर आप मुझे फिर लिख कर भेज दें तो उसकी जांच कराने में कोई एतराज मुझे नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

अब क्या लिखूं ?

श्री फूलसिंह—

न लिखना हो तो न लिखें, मैं उसके लिये कोई जोर नहीं देता। मेरे लिये एक ही रास्ता है कि माननीय सदस्य जो कुछ शिकायत करें, उसकी मैं जांच कराऊं। अगर जांच न कराऊं तब तो मैं कसूरवार जरूर हूं और जांच माफिक न हो तो उसके लिये मैं कसूरवार नहीं हो सकता।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप पहले बात सुन तो लें।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मैंने लिख कर दिया था कि हम ४ एम० एल०एज० ने इस्तीफा दे दिया है, तो उस संबंध में आपने क्या कार्यवाही की ?

श्री फूलसिंह—

आपका जो खत आया था उसका जवाब मैंने फौरन ही लिख दिया था कि इन चीजों में इतना उलझने की जरूरत नहीं है। मैंने यह इंतजाम कर लिया है कि जिले में जांच होगी और इस सब में मजीद जांच होगी, उसमें भी और गलतियां पकड़ी जा सकती हैं और जरूरत होगीं तो मैं खुद भी जाऊंगा। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर बहस इसी तरह से चली तो उद्योग विभाग आगे नहीं बढ़ेगा। सवाल यह है कि आगे क्या करना है। इसी को अब सोचना चाहिये। यह शिकायत उनकी सही नहीं कि जो रिपोर्ट आई है, जो काम हुआ है वह सब इत्तफाक राय से हुआ है, सब चीजें मंजूर हुई हैं और उस मीटिंग में वह मंजूर हुई थीं जिसमें शायद वह नहीं थे। इस तरह से तो काम नहीं चलता। इस तरह से तो देश का काम रुकता है और हानि ही होती है, हर घंटे का खर्च इतना है जितना कि एक मिनिस्टर के महकमे का साल भर का है।

मुझे दो तीन बातें और निवेदन करनी हैं। एक तो एकोनामी की बात है। इस छोटे से महकमे में सन् ६२-६३ में १८ लाख की एकोनामी हो गई और अगले साल १८ लाख की हुई। रिक्रूटमेंट के बारे में भी बता हूं कि जो प्रतिशत हरिजनों का रखा गया था वह पूरा किया गया। इंसपेक्टर्स का परसेंटेज जितना होना चाहिये था वह सेकेंड क्लास की जगह थर्ड क्लास वाले लेकर पूरा किया गया। इसी तरह से डिफेन्स की तैयारी के विषय में हर तरह के आंकड़े बताने में तो समय लगेगा। हमने इस संबंध में १८ लाख रुपये के ठेके लिये हैं और जो हमारे छोटे उद्योग हैं कम्बल वगैरह के, हमें ५९ हजार कम्बल देने हैं, और ३१ मार्च तक शायद वह पूरे हो जांय, ५५ हजार हो चुके हैं और अगले साल हम १ लाख सप्लाई करेंगे।

इसी तरह की कोशिश जूतों के संबंध में की जा रही है। और भी कुछ ऐसी चीजें है जिनकी मांग रहती है। उनकी लिस्ट बना ली गई है और जो लोग उन चीजों को तैयार करते हैं उनसे कहा गया है कि वह उनको बनायें और कोशिश है कि यह काम उनके आगे बढ़ें। टेन्डर देने में देर होती है क्योंकि यह छोटे-छोटे लोग इन रोजगारों को करते हैं। मुश्किल है कि जो लोग काम करने वाले हैं वह पढ़े-लिखे नहीं हैं। जिसमें हैंडलूम वाले हैं, ताले वाले हैं, बरतन बनाने वाले हैं और इसी तरह के कामों के करने वाले हैं, वे पढ़े-लिखे नहीं हैं और व्यापार उन के साथ में नहीं है, वह काम दूसरे लोगों के हाथ में है। उन की मदद किस तरह से हो सकती है, इसमें समय लगेगा। अभी तो गवर्नमेंट की एजेंसी भी इसमें सफल नहीं हुई है क्योंकि वह लोग फाइनेंशियली और इनटेलेक्चुअली इतने वीक है। मैंने एक जगह सहकारी मीटिंग बुलाई, जिसमें

[श्री फूलसिंह]

में करीब २०० मजदूर और दस पंद्रह सफेदपोश उसमें आये और यही सब कुछ खा जाते हैं लेकिन इनको निकालकर इनसे काम भी नहीं चल सकता। जैसे मुरादाबाद से बर्तनों का एक्सपोर्ट होता है लेकिन उन ठठेरों की यह हिम्मत या योग्यता नहीं है कि उस काम को अपने हाथ में लें; वह नहीं जानते कि आगे का रोजगार कैसे चलता है। इसमें समय लगेगा और बिना सबके सहयोग के यह काम नहीं चल सकता। यह तो जरूर सही है कि कठिनाई इसमें है और मैं नहीं जानता कि हमें इसमें कितनी सफलता मिली है। जिस दिन हम गरीब प्रोड्यूसर को अपने पैर पर खड़ा कर देंगे उस दिन एक बड़ा काम हो जायगा। अच्छा यही है कि बार-बार त्रुटियां दिखाने में ही समय न बिताया जाय। देखना चाहिये कि हमें कहां तक सफलता हुई है, क्या पाजिटिव रिजल्ट है, उसी को देखना चाहिये।

श्री गेंदासिंह जी ने शकर की चर्चा कर दी लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि यह तो एग्रीकल्चर बजट में आता है। शुगर इंडस्ट्री का बजट पेश हो चुका। शुगर इंडस्ट्री का मामला इस महकमे नहीं आता। फिर भी शुगर इंडस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट के मातहत है। नेशनलाइजेशन आप उसका नहीं कर सकते। इंडस्ट्रियल पालिसी डिसीशन में तय हुआ था कि यह इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर में रहेगी। जब तक यह तीन चार बातें कायम हैं तब तक उसकी चर्चा करना यहां बेकार है।

अब रही गुड़ तथा खांडसारी की बात। तो किसी जगह यह प्रतिबन्ध सरकार ने नहीं लगाया है कि कोई कोल्हू नहीं लगाया जा सकेगा। छोटी कोआपरेटिव सोसायटीज की चर्चा वह कर रहे थे; वह उसमें नहीं आती हैं। मिडिलमैन की फैक्टरीज की चर्चा उसमें है। उसके लिये उनको परेशान नहीं होना चाहिये। वह मिडिलमैन के वकील नहीं है, किसानों के वकील हैं। मिडिलमैन को कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। प्रोड्यूसर जो है वह कोल्हू लगायें और गन्ने को न बेचे। कोई प्रतिबन्ध नहीं है; गन्ना दे या न दें। इस सरकार ने किसान पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है। इसी कारण मिलों को गन्ना कम मिला।

ग्लास इंडस्ट्री के सिलसिले में बड़ी दूर फिरोजाबाद में जा कूदे। फिरोजाबाद में १०० चूड़ियों के कारखाने हैं और आवश्यकता से ज्यादा हैं। ४० कारखाने चूड़ी बनायें तो सारे देश की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। सन् ५० में ४० ही थे। जब लोगों ने बहुत कारखाने बना लिये तो नई प्रथा बनी काम्बीनेशन की। दो कम्बाईन हो गये। एक बन्द हो गया और एक चला। सामान पैदा करना बड़ा काम नहीं है। सामान पैदा किया हुआ बिके। अगर नहीं बिकता है तो बेकार हो जायगा। इसलिये यह हुआ कि दो दो मिल कर काम करने लगे और बहुत से कारखाने ऐसे हैं जो कभी चले ही नहीं और कोयला लेते रहे और न चलने के काबिल हैं। कोयला देते हैं उनकी जांच हुई। अब ७० कारखाने चूड़ी के ऐसे हैं फिरोजाबाद में जो चलते हैं। फिर अलावा चूड़ी बनाने के और भी बहुत काम वहां होने लगा है। टेबिल वेयर्स बनते हैं। हालो वेयर्स बनते हैं। रेड ग्लास विथ कापर एंड टिन आक्सोइड बनने लगे हैं। ग्लास रोड्स बनने लगे हैं। साइंटिफिक एपरेटस बनने लगे हैं। ग्लास टेक्नोलाजिस्ट रखा है, वह रिसर्च करता है। फिरोजाबाद में कोई काम नहीं हुआ, यह बात ठीक नहीं है। डिपार्टमेंट की जो त्रुटियां हैं वही काफी हैं। उनको बढ़ाकर कहने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

हार्न इंडस्ट्री, नगीना की बात है। नगीना में हार्न इंडस्ट्री बन्द नहीं हुई। ट्रेनिंग सेंटर वहां पर है। और एक मास्टर क्राफ्टस मैन है। मास्टर क्राफ्ट्समैन भी ट्रेनिंग करता है और सेन्टर में भी ट्रेनिंग होती है। दो जगह ट्रेनिंग होती थी। और सब ट्रेनीज एम्प्लायड नहीं है। और जो डोल की बात मिश्राजी ने कही, तो एक तरफ तो लड़ाई है और दूसरी तरफ गुड़ियों की बात है। गुड़ियों में पैसा लगाना, मैं नहीं समझता, कहां तक मुनासिब होगा। अगर यह बन्द हो गयी हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है। और जो ट्रेनिंग सेन्टर्स बीच में

बन्द हुये हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि उन लड़कों को हमने बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया। उनकी ट्रेनिंग का इन्तजाम है, वह पूरी होगी।

राधवेन्द्र प्रताप सिंह जी ने कुछ चर्चा की। मुझे खेद है कि वे यहां तशरीफ नहीं रखते। वे जिस फूट प्रोसेसिंग फैक्टरी की चर्चा कर रहे थे, डेढ़ दो महीने हुये जब उन्होंने मुझसे कहा था कि एक रोज हमारे यहां चलना है उस फैक्टरी के सिलसिले में। बस इतनी बात मुझे मालूम है। मेरा निवेदन है कि जहां जो समस्या हो, आप इस बात का भी इंतजार न करें कि आपके क्वेश्चन में कितना समय लगेगा, आप मुझे खत लिख दें, उसे देखा जायगा। अहलकारों की बात हो, तब भी लिख दें। मुझे तो इतनी फुरसत है कि मैं आपकी बातों को देख सकूं। और वह फूट प्रोसेसिंग फैक्टरी नागपुर में गयी है। वहां मार्केटिंग आफिसर रहता है। बाकी बात उन्होंने डी० सी० डी० एफ० की कहीं। तो इस तरह से कहीं कहीं की बातों को इकट्ठा करने से कोई बात होगी नहीं।

हमारे जगदीश जी ने मिसयूटिलाइजेशन के आंकड़े ७५ परसेंट दिये। मेरे खयाल में वह थोड़ा आगे बढ़ गये। अभी पिछले हफ्ते हम डिटेल में आंकड़े दे चुके हैं। मेरे खयाल में यूटिलाइजेशन, नान-यूटिलाइजेशन और मिसयूटिलाइजेशन और चेन्ज आफ इंडस्ट्रियल परपज, इन सब को मिलाकर ४२ परसेंट आता है और फिर यह फीगर्स स्थायी तो रहतीं नहीं। बहुत से लोगों ने यूटिलाइज नहीं किया तो रुपया वापस कर दिया, बहुत से और लोगों ने कर्जा ले लिया। तो यह परसेंटेज कोई स्थिर चीज नहीं है।

फालो-अप एजेन्सी की बात महत्वपूर्ण है। उसके लिये सरकार कुछ और अफसर मुकर्रर करेगी, लेकिन इंडस्ट्रियल कमेटीज को जागरूक होना होगा। सब लोग मिलकर, एक डिसपैशनेट तरीके से, इसको करें तब यह हो सकेगा और अगर इसमें भी पार्टी पालिटिक्स आने लगी, तो खुदा हाफिज है।

श्री उपाध्यक्ष—

जरा समय का लिहाज रखियेगा।

श्री फूलसिंह—

जब आप हुक्म देंगे तब बैठ जाऊंगा। दो बातें मुझे और कहनी हैं। एक फूट प्रोसेसिंग फैक्टरी और दूसरे सिल्क इंडस्ट्री के बारे में। फूट प्रोसेसिंग फैक्टरी में ५०० टन का हमारा टारगेट है और मेरा खयाल है कि इतना हमने पहले कभी पैदा नहीं किया। और हमारा फ्रूट यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट एक और अच्छा काम करने जा रहा है, जाफरान को पैदा करना। उसका एक्सपेरीमेंट हम कर रहे हैं।

दूसरे, क्वाइयों की चर्चा किन्हीं साहब ने की कि बम्बई में प्लान्ट लग गया। हमारे यहां ऋषिकेश में २०० टन का है और उस प्लान्ट के लिये ऐग्रीकल्चर, कोआपरेटिव, इंडस्ट्रीज, सभी डिपार्टमेंट्स ने प्रोजेक्ट्स लिये हैं साइंटिफिक हर्ब्स पैदा करने के लिये। हम २५–३० बूटियों पर रिसर्च कर रहे हैं। अगर यह कामयाब हुआ तो बहुत फायदा होगा। ऐसे ही सिल्क इंडस्ट्री है। इसमें सिल्क, टसर और सैरीकल्चर, ये तीन इम्पार्टेन्ट हैं। मेरा ऐसा खयाल है कि इस साल के अन्त तक हम सिल्क इंडस्ट्री को साउड फूटिंग पर ले आयंगे। इसकी एक लाख रुपये की बिक्री हो जाती है और किसानों के लिये इससे बहुत अच्छी आमदनी होती है। तराई के जिलों में, सूबे के ८ जिलों में सिल्क के कीड़े पैदा किये जाते हैं। यह ऐसा विभाग है जैसे एक बिसाती की दुकान होती है। इसमें ७२ किस्में हैं और इनसे लोगों को बड़ा लाभ होता है। लेकिन केवल ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब भाई इस मांग को मंजूर करेंगे।

*श्री नेकराम शर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने इस बहस में भाग लिया, मैं उनका हृदय से कृतज्ञ हूं और मुख्य मंत्री जी को जो सारे समय तक बैठ कर माननीय सदस्यों के विचारों को सुनते रहे उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं और उनका आभारी हूं। मुझे दुख है कि मुख्य मंत्री जी ने अपनी असमर्थता स्वीकार की है कि जिस तीव्रता से उद्योगीकरण करना चाहिये था नहीं कर पाये लेकिन उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम ऐसे रास्ते, तरीके और कदम उठायेंगे कि उद्योगीकरण जल्दी से जल्दी हो सके। माननीय ब्रजभूषणशरण जी नहीं है, उन्होंने एक बात कही कि चाहे गुप्ता जी हों या डाक्टर सम्पूर्णानन्द हों, ये कांग्रेस के सेवक हैं, सिपाही हैं और जो प्रगति हुई है वह चाहे गुप्ता जी ने की या सम्पूर्णानन्द जीने की, इसमें कोई बात नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं कि सम्पूर्णानन्द जी भी कांग्रेस के हैं और गुप्ता जी भी हैं। लेकिन जब ९८ सदस्यों ने जो दस्तखत दिये उस समय यह नहीं सोचा गया कि सम्पूर्णानन्द जी भी कांग्रेस के हैं और माननीय ब्रजभूषणशरण जी ने अपना इस्तीफा लिखकर दे दिया था कि अगर गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर हो गये तो मैं नहीं रह सकता। आज यदि वे गुप्ता जी की तारीफ करते हैं तो उसका क्या कारण है? आज पावर में आप हैं इसलिये वे आपके साथ आ रहे हैं। तो क्या कारण है? क्यों समर्थन कर रहे हैं?

श्रद्धाकुमारी जी ने कहा कि हमारे यहां टैक्सेशन और लगना चाहिये क्योंकि हमारे यहां और जगहों से टैक्सेज कम हैं। अगर औद्योगीकरण के लिये टैक्सेज लगाना जरूरी हो तो मैं उसका पक्षपाती हूं लेकिन कैपेसिटी को देख कर लगने चाहिये। मैं इस बात का हामी हूं कि अगर हमारे बजट के सारे एलोकेशन्स खर्च हो जाते तो टैक्सेज जरूर लगने चाहिये थे। लेकिन सन् ६०–६१ में ५८ लाख रुपया बच गया है। श्रीमन्, क्रिमिनल वेस्ट होता है। चुर्क सीमेंट फैक्टरी के लिये कहा गया कि बहुत अच्छी है और मैं भी चाहता हूं कि कामयाब हो। सन् ६०–६१ में ५.१८ लाख का लास हुआ और सामान रेलवे से छुड़ाया नहीं गया। इसमें देखिये ११.६२ लाख का नुकसान हुआ और अफसर की लापरवाही के कारण १,१८,४९३ रुपया रेलवे साईडिंग का देना पड़ा। कस्टम्स का ११.६ लाख रूपया देना पड़ा। यही नहीं। इन सरकारी कर्मचारियों के कारण बरेली में एक ट्वाय फैक्टरी बनी, उसमें १४ हजार रुपया हमारा बरबाद हुआ। बाद में वह फैक्ट्री बन्द करनी पड़ी और बन्द कर दी गई। इसी तरह इनकी लापरवाही से पेपर के खरीद के लिये साढ़े छाछठ हजार का नुकसान उठाना पड़ा। टेंडर्स मांगे गए। एक कमेटी टेंडर्स की जांच के लिए बैठी। उसकी मीटिंग नहीं हो पायी। बाद में वह टेंडर्स जब खोले गए तो टेंडरर्स बैक आउट कर गए और नतीजा यह हुआ कि गवर्नमेंट को साढ़े छाछठ हजार का लास हुआ। इसलिए मेरी प्रार्थना है माननीय मुख्य मंत्री जी से कि वह जरा इन सरकारी कर्मचारियों पर अंकुश रखें। जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर के कारखाने हैं, उनमें उनका हेड इन अफसरों को न बनायें। जो जिसका एक्सपर्ट हो उसको उसका हेड बनाया जाय, तो निश्चित रूप से उसमें फायदा हो सकता है। जैसे चुर्क सीमेंट फैक्ट्री का जो मैनेजर हो वह उसका एक्सपर्ट हो, इसी तरह रोडवेज का हेड जो हो वह उसका एक्सपर्ट हो। उसके हाथों में आप बागडोर देंगे तो निश्चित फायदा होगा। खासतौर से जब आपको इतना प्रेम है उद्योगीकरण से तो आपको देखना पड़ेगा कि कामर्शियल जितने अंडरटेकिंग्स हैं पब्लिक सेक्टर के, उनमें गवर्नमेंट को न रख कर ऐसे लोगों को रखा जाय जो उनको अच्छी तरह से चला सकें। किछा की फैक्टरी, माननीय मंत्री जी जानते हैं। डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज की कृपा से आज तक नहीं चल पायी। आप दिल से चाहते थे कि फैक्ट्री चले लेकिन उद्योग के जो हमारे सेक्रेटरी है उन्होंने नहीं चलने दी। क्या कारण था, यह आप स्वयं जानते हैं? आप उद्योगीकरण करना चाहते हैं लेकिन आपकी नीतियों के संचालन में यह बाधक होते हैं। मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इन बातों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को जानते हैं और कोशिश करते हैं लेकिन पता नहीं क्या कर रहे हैं ! कुछ ऐसी बात मालूम पड़ती है कि सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज से या कुछ इन लोगों से पता नहीं क्यों कुछ कमजोर पड़ जाते हैं। कुछ इनको निकालिए, बदलिए, इनकी रेस्पांसिबिलिटी फिक्स कीजिए कि अगर इंडस्ट्री नहीं लग पाती है तो रेसपांसिबिलिटी आपकी है।

मैं एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि जिन जिन को लोन दिया गया है, उनकी सबकी एक लिस्ट हम सब माननीय सदस्यों को भी दे दी जाय ताकि हमको मालूम तो हो कि हमारे जिले में कौन-कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो लोन लिए हैं और लौटा नहीं रहे हैं।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स में लाख रुपयों का नुकसान हो रहा है। बन्द कर दिया जाय और इसका शो रूम या और काम गान्धी आश्रम को दे दिया जाय। पहले आग लग जाया करती थी और अब रिडक्शन सेल वगैरह में काफी नुकसान होता है। मैं समझता हूं इसको बन्द कर देना चाहिए।

स्टाफ के ऊपर, श्रीमन्, १० करोड़ रुपया इस वर्ष रखा गया। गत वर्ष ९ करोड़ रुपया रखा गया था। बजट के वाल्यूम २ के पेज १०६ पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि के लिए सवा करोड़ के करीब रुपया रखा गया है। मेरा यह निवेदन है कि इतना टाप हैवी ऐड-मिनिस्ट्रेशन है, इसको कुछ कम किया जाय। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का जो इतना बड़ा स्टाफ है उसको कम करिए और जो वाकई काम करने वाले हैं उनको रखिए और उनकी रेस्पांसिबिलिटी फिक्स करिए।

मैं यह कहना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी से कि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज और और पावर का काम एक मिनिस्टर को दे दीजिये। आप चाहें तो शान्ति प्रपन्न जी को ही दे दीजिए। हमारे नियोजन मन्त्री जी को नियोजन का ही बहुत काम है, उनको नियोजन ही दे दीजिए और फूल सिंह जी को इंडस्ट्रीज दे दीजिये। एक एक मिनिस्टर के पास एक एक चीज रहेगी तो आप भी उसकी अच्छी तरह देखभाल कर सकेंगे।

अन्त में, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम यह चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में जो दो प्लान खत्म होने के बाद भी जमीन का भार आप कम नहीं कर पाये हैं, उसके लिये आप ऐसी योजना बनाइए कि वह भार कम हो और उसके लिए रेस्पांसिलिटी फिक्स कीजिए और अगर वह योजना पूरी नहीं होती है तो उसके लिए जबाव तलब कीजिए इसके बाद में आप से आशा करता हूं कि थर्ड फाइव-इयर प्लान के समाप्त होने के पूर्व हमारा उद्योगीकरण प्रदेश का इतना हो जायगा कि ६० प्रतिशत लोग केवल जमीन पर निर्भर रहेंगे और बाकी इंडस्ट्रीज के लग जायंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रदेश का भविष्य अंधकारमय ही रहेगा। हमारे मुख्य मंत्री जी सेंटर से लाना चाहते हैं, डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी ने एक सम्मेलन बुलाया था; आप भी उसके लिये कोशिश करें, मांग करें और इसमें हम पूरी तरह आपका साथ देंगे। उसके बाद आप देखें कि वह रुपया ठीक से खर्च हो रहा है और ऐसा कर के ही हम भविष्य में काफी तरक्की कर सकेंगे। हमें आशा है कि हमारी यह उम्मीद शीघ्र ही पूरी होगी।

श्री उपाध्यक्ष—

सदन का समय १५ मिनट के लिये बढ़ाया जाता।

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्रीमन्, सदन के सम्मुख अनुदान प्रस्तुत करते समय मैंने माननीय सदस्यों से एक प्रार्थना की थी और कहा था कि जो भी सुझाव उपस्थित किये जायंगे, उन पर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करेगी और इस दृष्टि से उन पर विचार किया जायगा कि उनसे लाभ हो और हम इस प्रदेश में अधिक से अधिक उद्योग धंधों का प्रसार कर सकें। मुझे खुशी है कि अधिकांश सदस्यों ने मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार किया और कुछ सुझाव दिये। हां, यह भी ठीक है कि इस अवसर पर

[श्री हरगोविन्दसिंह]

कुछ माननीय सस्यों ने, जिनके दिमाग में राजनीति का इतना ऊंचा स्थान है कि उसको सामने रख कर वे देश की गरीबी से खेल सकते हैं, अपने इस दांव को छोड़ा नहीं। आखिर यहां इन बातों से क्या मतलब था कि उन ९८ सदस्य ने क्या किया? मेरी समझ में इसका इस अनुदान से कोई संबंध नहीं था। यह देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि देश की गरीबी के निवारण का प्रश्न हो, और जिस पर चाहे हम इधर के बैठने वाले हों अथवा उधर के, सभी को गम्भीरता से उस पर विचार करना चाहिये और जो सामग्री और साधन हमारे पास उपलब्ध हों उनको अधिक से अधिक लगाकर, कम से कम समय में, अपनी समस्याओं का सुझाव निकालना चाहिये, वहां इस प्रश्न को राजनीति का अखाड़ा बना दिया दिया गया है। यह हमारे लिये, देश के लिये, हमारे भविष्य के लिये, हमारी संतान के भविष्य के लिये एक दुर्भाग्य की बात है कहा गया, एक परिपाटी सी बन गयी है, कि हम बड़े-बड़े उद्योगपतियों के समर्थक हैं। लोगों ने कहा। हम जरूर इस नीति के मानने वाले हैं कि इस देश का उत्थान और उद्योग धन्धों का प्रसार तभी हो सकता है जब इसमें दोनों सेक्टर साथ-साथ मिलकर इसका कार्य अपने ऊपर लें। अगर आप यह चाहें कि केवल पबलिक सेक्टर द्वारा ही यह काम हो सकता है तो यह बात हमारी राय में असंभव ही है। आज जो पब्लिक सेक्टर के बड़े भारी समर्थक दुनियां में थे, जो कि यह ढिंढोरा पीट रहे थे और जो यह समझते थे कि दुनियां में स्वामित्व किसी प्रापर्टी का सरकार का ही होना चाहिये, वह भी आज इस बात को मानने लगे हैं कि आज की दुनियां में आज जो वातावरण पैदा हो गया है, उसमें यह कहना कि कैपिटलिस्ट सिस्टम खराब है, ऐसी बात गलत सिद्ध हो रही है। आप क्रुश्चेव का भाषण पढ़ लीजिये। यह मेरे कहने का मतलब नहीं है कि वह गलत है, परन्तु एक समय था कि वह ठीक थी। आप देखें कि यहां पर उद्योग-पतियों को साढ़े तीन लाख रुपया दिया गया, वह इसलिये नहीं दिया गया था कि वह उसको खा जायें वरन् वह इसलिये दिया गया था कि उससें इस प्रान्त में कुछ उद्योग धन्धों का प्रसार होगा। यह सही है कि हम जो यह समझते थे कि उससे जिस प्रकार से लाभ होगा और जैसा उसका उपयोग होगा, वह नहीं हुआ। लेकिन उनसे रुपया वसूल किया जा रहा है। मैं आपके द्वारा यह भी बता देना चाहूंगा कि वह इतनी सख्ती से वसूल किया जा रहा है कि अधिक दिन तक बकाये के खाते में नहीं रहेगा। लेकिन यह कोई ऐसी बात नहीं है। आखिर सरकार को हर एक चीज का सन्तुलन रखना पड़ता है। यह सन्तुलन खो देना सरकार के हित में नहीं होगा। हो सकता है कि वह दिन आये कि जब आपको इधर बैठना पड़े और मैं तो कहता हूं कि भगवान करे कि वह दिन आये, तब आप भी यह महसूस करेंगे कि यह सन्तुलन आवश्यक है। प्रजातन्त्र में यह अवश्य है कि किसी भी दल को पता नहीं कब यहां पर आना पड़े जहां पर कि हम हैं। इसलिये आपका हर वाक्य और भाषण ऐसा होना चाहिए जिससे कि यह आभास हो कि वह भी अपने को इस जिम्मेदारी के लिये तैयार कर रहे हैं। मैं यह कह रहा था जो यह कर्जा दिया गया, यह कोई ऐसी बात नहीं है। उद्योग धंधों में कर्जा देना आवश्यक होता ही है, चाहे वह मशीन के रूप में दिया गया हो, अथवा चाहे धन के द्वारा। जो रुपया उद्योगों के लिये दिया गया, उसको छिपाया नहीं गया। हमारे लघु उद्योग मंत्री जी ने आप को बताया कि उसका दुरुपयोग हुआ और उसकी वसूली चल रही है। किसी को रुपया देना कोई बुरी बात नहीं है। मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो इन्डस्ट्रियलिस्ट्स की मीटिंग हुई उसमें उनकी शिकायत यह थी कि और सरकारें उनकी कैपिटल में शेयर लेती हैं और काफी लेती हैं, हम यह नहीं करते हैं। उसका कारण हमारे पास साधनों की कमी ही है।

यह भी कहा गया कि यहां पर उद्योगों का प्रसार नहीं हो पा रहा है। गेंदासिंह जी मौजूद थे और कोई ऐसी बात नहीं है। एक रास्ता हम निर्धारित कर लें। यह कहा गया कि उसका क्या असर पड़ता है परन्तु उस रास्ते पर चलें जायें, यह कोई सरकार नहीं कर सकती है।

शुगर की बात माननीय गेंदा सिंह जी ने कही। यह ठीक है। इस अनुदान से उसका संबंध नहीं था। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें कोई दो

राय हो नहीं सकती। यह बात भी अपनी जगह पर ठीक है कि चीनी का उद्योग जब हमारे प्रान्त में आरम्भ हुआ था उस समय पूरा आधिपत्य, या पूरी मानोपली कहिये, हमारी सुरक्षित थी लेकिन आज अवस्था उसकी बदल गयी। आज उसकी अवस्था यह हो गयी कि गवर्नमेंट आफ इंडिया, जिसका कि इससे सम्बन्ध है, जो लाइसेंस देती है वह साउथ में लाइसेंस नहीं देती। तो चाहे अपने गन्ने की किस्म खराब होती या अच्छी होती लेकिन वह मानोपाली आपकी सुरक्षित रहती लेकिन शायद गवर्नमेंट आफ इंडिया की नजर में यह देश के ट्रेड के लिये घातक सिद्ध हुई कि उन्होंने यह देखा कि अगर दक्षिण में अच्छा गन्ना पैदा हो सकता है, अगर उसमें शुक्रोज कंटेंट ज्यादा हो सकते हैं, उसकी प्रति एकड़ ईल्ड भी ज्यादा हो, सकती है तो शायद देश के लिये यह हितकर नहीं होगा कि साउथ को लाइसेंस न दिया। खैर, उससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। हमारी सरकार ने कभी इसका समर्थन भी नहीं किया और न इंडिया गवर्नमेंट से प्रार्थना की कि आप वहां लाइसेंस दीजिये बल्कि हर एक समय जब भी असवर आया हमारी सरकार की ओर से उसका विरोध ही किया गया कि अगर आप साउथ में ज्यादा लाइसेंस देंगे तो हमारे यहां का एकमात्र उद्योग टूट जायगा। लेकिन अब वस्तुस्थिति जो है उससे हम आंख भी नहीं मोड़ सकते। यह बात भी सही है कि जितने दिन हमारी मिलें यहां चलती है शायद साउथ की मिल उतने ही दिन या उससे कुछ कम दिन बन्द रहती है, उनके शुक्रोज कंटेट्स भी ज्यादा है, १८-१८ पानी वह अपने गन्ने को देते है, उनकी उपज भी अपेक्षाकृत हमारे गन्ने की उपज से अधिक है और चाहे फार्मूला जो पहले था वह लगावं या शुक्रोज कंटेट्स पर लगे, वह तो उनको लाभ हो रहा है। शुक्रोज कंटेट्स के हिसाब से कि जब गन्ने का दाम निर्धारित होता है तब हमेशा उनको अधिक मिल रहा है तो इसलिये हमको भी कुछ करना चाहिये और इसीलिये करना चाहिये कि हम अपनी इंडस्ट्री की रक्षा कर सकें। अब यह बात सही है कि इस साल हमारी चीनी की उपज में बहुत काफी कमी हुई है। उसके कई कारण थे। एक कारण तो यह भी था कि पारसाल जब मार्केट में चीनी इतनी बढ़ गयी कि उनकी चीनी उठ नहीं रही थी, हमारे टैक्सेज भी उनके ऊपर बकाया पड़े हुये थे, चीनी का बाजार नहीं था उस वक्त सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने हमसे बात की कि १० परसेंट एरिया कम कर दीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं आपके द्वारा भवन को बतलाना चाहता हूं कि सरकार के समक्ष एक बड़ी भारी समस्या हो गयी थी कि जितना गन्ना खेत में खड़ा है और चूंकि मिल वालों के द्वारा प्रतिबन्ध लगाया गया था और इस कारण वह उस गन्ने को ला नहीं सकते थे। तो इसका क्या होगा कि जो खड़ी खेती गन्ने की है यह पेरी तो नहीं जायगी इस लिये १० लाख रुपये इस सरकार ने पारसाल वितरित किया इसलिये कि लोग कोल्हू खरीद करके इस गन्ने को पेर डालें। उसका असर यह हुआ कि इस साल गन्ने का क्षेत्रफल कम हुआ। मैंने अखबार में पढ़ा था कि पाटिल साहब को पार्लियामेंट में यह कहना पड़ा कि इतना रुपया फी टन सब्सीडी देकर सरकार इस चीनी को बाहर भेज रही है क्योंकि हमारी चीनी की लागत उसकी कास्ट दुनियां के अन्य देशों से कहीं अधिक होती है। यह बात दूसरी है कि दुनिया में कुछ ऐसी उलट-फेर हुई जिसकी वजह से आज हमारी चीनी की मांग बढ़ गयी है और चीनी बाहर जा रही है, लेकिन हमको अपनी इस इंडस्ट्री को बचाना है और उसके लिये यह आवश्यक है कि हम इस बात का प्रयत्न करें कि यही नहीं कि पर एकड़ ईल्ड बढ़े, बल्कि उसकी क्वालिटी भी बढ़े। उसी के लिये हमने यह प्रयत्न किया। थोड़े दिन पूर्व कि जितनी मिलें हैं उनके इर्द गिर्द पांच हजार एकड़ में इन्टेसिव कल्टीवेशन इस उद्देश्य को सामने रख कर किया जाय कि गन्ने की क्वालिटी अच्छी हो। उसमें सरकार भी खर्च करे, केन्द्रीय सरकार भी खर्च करे, और किसान भी कुछ भागीदार हो और मिल मालिक भी भागीदार हो। आपने कहा कि हम केन्द्रीय सरकार से यह कहें कि हमारे प्रान्त की जितनी चीनी मिले हैं वे हमारे अधिकार में दे दी जायं। उससे भी हमारा कोई भला होने वाला नही है, समस्या का हल होने वाला नही है। वह कहने में तो अच्छी बात लगती है लेकिन जो चीनी आप पैदा करेंगे अगर उसकी कास्ट दक्षिण के मुकाबले ज्यादा आती है तो आपको कोई लाभ नहीं होगा, चाहे उस मिल का मालिक सरकार हो या पूंजीपति हो। सवाल इस वक्त

[श्री हरगोविन्द सिंह]

यह है कि किस तरह से उसकी क्वालिटी को बढ़ाया जाय, इसी से इस उद्योग को बचाया जा सकता है ।

बातें बहुत सी कही गयीं । समय नहीं है, मैं जवाब उनका देना चाहता था । एक दो बातें और कहूंगा । ईस्टर्न जिलों की बात कही गयी । इस पंचवर्षीय योजना में आप देखें तो आपको पता चलेगा कि १६३७ लाख रुपया बैकवर्ड एरिया के लिये रखा गया था और स्माल स्केल इंडस्ट्री के लिये रखा गया था । उसमें से ४११ लाख ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स के लिये था । बुन्देलखंड के लिये भी और पहाड़ के लिये भी रुपया रखा गया है । इस तरह सरकार का ध्यान है कि किस तरह से इसको किया जाय । आप यह जानते ही होंगे कि करीब करीब २००–२२५ ब्लाकों में इंडस्ट्रीज आफीसर पहुंच चुके हैं । और ब्लाकों में भेजे जा रहे हैं । थोड़े ही दिनों में वे भी पहुंच जायेंगे हमारे सामने सारे जिलों में कुटीर उद्योगों का नक्शा है । कहां क्या हो सकता है, कहां क्या संभव है और वहां क्या क्या कठिनाई है, किस प्रकार से उनको मदद दी जाय, जिसमें लोग इन उद्योग धंधों को कर सकें । हमारी समझ में तो यही सबसे अच्छा इन्तजाम आया है और जो समझ में आया वही किया गया है । इसलिये मैंने प्रार्थना की थी कि आप कुछ अच्छा जानते हों तो सुझाव दें । अगर वह कोई अच्छा सुझाव होगा तो हम लोगों से बढ़ कर उसको जानकर और किसी को ज्यादा खुशी नहीं होगी । अब समय नहीं है, इसलिये अब मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २४—उद्योग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदान संख्या २४—उद्योग के अन्तर्गत १०,८०,०८,२०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल साढ़े दस बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ४० मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
१९ मार्च, १९६३ ।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

[देखिए नियम ३६ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर, पीछे पृष्ठ ६७१ पर]

मछलीशहर, जौनपुर में नलकूप तथा उनके डिस्चार्ज का विवरण

क्रम-संख्या	नलकूप का स्थान	डिस्चार्ज प्रति घंटा
१	२	३
		गैलन
१	सेमरी	३१,१६०
२	बभनियांव	२५,८६०
३	अमाई	३१,१६०
४	मौलानापुर	५,०००
५	लासा	३३,२३७
६	रामगढ़	३४,८४८
७	नीमापुर	१०,०००
८	बादशाहपुर	३१,०००
९	नारायनडीह	३४,०००
१०	कोदहू	३३,२३०
११	लौह	३५,४००
१२	भीखपुर	३६,६४०

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६६७ पर)

आजमगढ़ जिले की तहसीलों के नाम	वित्तीय वर्ष १६६२–६३ में ऊंचे किये हुये गांवों के नाम	वित्तीय वर्ष १६६३–६४ में ऊंचे किये जाने वाले गांवों के नाम
१	२	३
सगड़ी ..	१—देवारा जदीद	१—मुहम्मदपुर
	२—देवरा हर्खपुर	२—देवारा राम सरन दुबे
	३—आराजी नवाज सिंह	३—मसुरियापुर
	४—आराजी परगस सिंह	४—भोना बुजुर्ग
	५—आराजी पुरैनिया	५—विशुनपुर
	६—आराजी हथियागढ़	६—गढ़ा टेकनपुर
	७—रोशनगंज	७—अनवरी हरैनपुर
	८—इसमाईलपुर	८—सिकन्दरपुर
	६—करीमगंज	६—बालपुर
	१०—देवारा खास राजा	
	११—हाजीपुर	
	१२—महोला	
	१३—बरामदपुर	
घोसी ..	१—मोलनापुर	१—बीबीपुर
	२—देवारा दुबारी	२—ताहिरपुर
	३—परमपुर	३—फथपुर
	४—कचला	४—नौली
		५—सरसों
		६—भैसा खरग
		७—कादीपुर
		८—लामी
		६—चक भगवानदास
		१०—बिजपुरा
		११—चमरही
		१२—राजपुरा
		१३—कम्धेली
		१४—हामिदपुर (गंगवाबारी)
		१५—टिघरा
		१६—बलुआ
		१७—काछी खुर्द
		१८—महराजपुर

आजमगढ़ जिले की तहसीलों के नाम	वित्तीय वर्ष १९६२–६३ में ऊंचे किये हुये गांवों के नाम	वित्तीय वर्ष १९६३–६४ में ऊंचे किये जाने वाले गांवों के नाम
१	२	३
मोहम्मदाबाद ..	१––धरमीसीपुर ..	१––धंखा २––मनझरिया ३––नैये ४––भूत बेरार ५––इनायत खैरुल्ला चक ६––किमुद्दीनपुर ७––चमरही ८––देवकली खातिव ९––लाडपुर १०––पचिस्ता मोलनापुर ११––चन्द्रौती १२––असलपुर
फूलपुर ..	१––पकरपुर ..	१––अन्दिका
	२––रायदा ..	२––मुहम्मदपुर
	..	३––शहवाजपुर
सदर ..	..	१––सिधारी
लालगंज ..	..	१––असौंसा २––तुसोरा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६९८ पर)

तालिका

प्रशिक्षण का विवरण	प्रशिक्षण काल	प्रशिक्षित किये गये व्यक्तियों की संख्या
१	२	३
१—स्नातकों के लिये ६ मास का उच्च पाठ्यक्रम ।	८ अगस्त, १९६० से ७ फरवरी, १९६१ तक	९
२—अनुस्नतिकों के लिये ३ मास का प्रारम्भिक पाठ्यक्रम ।		
(क) प्रथम बैच ..	८–८–१९६० से ७–११–१९६० तक ..	३
(ख) द्वितीय बैच ..	८–११–१९६० से ७–२–१९६१ तक ..	१३
(ग) तृतीय बैच ..	८–२–१९६१ से ७–५–१९६१ तक ..	१५
(घ) चतुर्थ बैच ..	८–५–१९६१ से ७–८–१९६१ तक ..	११
(च) पंचम बैच ..	८–८–१९६१ से ७–११–१९६१ तक ..	९
३—मछुवों के लिये ६ सप्ताह का प्रारम्भिक पाठ्यक्रम । ..	८–८–१९६० से १८–९–१९६० तक	७
	योग ..	६७

SATYAMEV JAYATE

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६९९ पर)

क्रम-संख्या	योजना का नाम	तृतीय योजना काल में संभावित व्यय	योजना के पूर्ण होने पर लाभान्वित क्षेत्रफल	तृतीय योजना काल में निर्माण हेतु नलकूपों की संख्या, गूलों की लम्बाई तथा बाढ़ सुरक्षा कार्यों की लम्बाई
१	२	३	४	५
		रुपया	एकड़	
१	द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के १५०० नलकूप ।	७,३०,०००	४,५००	१४
२	नलकूपों पर २३०० मील अतिरिक्त पक्की तथा कच्ची नालियां । द्वितीय योजना काल की अपूर्ण योजना ।	१,६६,२५०	१,७००	१२ मील पक्की तथा ३ मील कच्ची नालियां ।
३	२८० नलकूपों की योजना द्वितीय योजना काल की अपूर्ण योजना ।	५२,०००	३२५	१
४	तृतीय योजना काल में ४२० नलकूप ।	९,८८,०००	६,२२०	१९
५	१५०० मील अतिरिक्त पक्की नालियों का निर्माण (नवीन योजना) ।	३,०३,०००	१,९२०	२० मील पक्की तथा २० मील कच्ची नालियां ।
६	जल निकास योजना (अपूर्ण योजना) ।	४३,९४४	..	३४ मील ४ फर्लांग लम्बी नाली ।
७	जल निकास योजना (नवीन योजना) ।	१२,८०५	६,०००	१६ मील ५ फर्लांग लम्बी नाली ।
८	पिछड़े हुये क्षेत्रों के विकास के हेतु योजना ।	१,३८,३००	१,३५३	४३ मील १ फर्लांग लम्बी नालियां ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बलिया जिले में बाढ़ नियंत्रण योजनाओं की रूपरेखा तथा उन पर अनुमानित व्यय की तालिका

क्रम-संख्या	योजना का नाम	नदी का नाम	लम्बाई मी० फ० फी०	लाभान्वित क्षेत्र (एकड़)	अनुमानित लागत (लाख रु०)	तृतीय पंचवर्षीय योजना में अनुमानित व्यय (लाख रु०)
१	सुरेमानपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कार्य स्टेज २ ..	घाघरा	—	मजबूती का कार्य	९.१२०	०.१५०
२	पूर्णरूप से सुरेमानपुर रेलवे स्टेशन के लिये बचाव का कार्य	,,	—	,, ,,	५३.१८०	२६.५९०
३	बलिया टाउन की सुरक्षा	गंगा	—	टाउन की सुरक्षा	९.९८०	०.३६०
४	मुस्तफाबाद खुन्ती पृथ्वीपुर बांध	टोन्स	९–४–०	११,०००	६.४१०	०.४००
५	बलिया बेरिया बांध	गंगा	२०–४–०	६०,८५०	१७.४१०	०.३००
६	तुर्तीपार श्रीनगर बांध	घाघरा	४८–०–०	९८,६००	३०.५७९	१.२२८
७	बाकुलाहा संसार टीला बांध	गंगा तथा घाघरा	६–५–०	१५,०००	४.०७३	(–)०.१८२
८	कटिहार नाला पर फ्लेप रेगूलेटर ..	—	रेगुलेटर्स	—	०.७४०	०.०७१
९	बलिया जिला में १२० बाढ़ग्रस्त ग्रामों का स्तर ऊंचा करना ।	गंगा	—	१२० ग्राम	१६.१३२	०.००६
	योग		८४–५–० रेगुलेटर्स	१,८५,४५० एकड़ मजबूती का कार्य टाउन सुरक्षा १२० ग्राम ।	१४७.६२४	२८.९२३

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०० पर)

घाघरा नदी द्वारा जिला बलिया में जिन जिन ग्रामों में या ग्रामों के समीप कटान है उसकी सूची

तहसील बलिया

१—दुर्जनपुर
२—हनुमानगंज
३—मानगढ़
४—महाजी अवसिझुवा
५—अवसिझुवा
६—चांदपुर दियरा
७—सुरेमानपुर
८—शीवांल

तहसील रसड़ा

१—चैनपुर गुलौरा
२—खराखास
३—तर्तीपार
४—साहनपुर
५—कोरिया बजैनाथी
६—मझबलिया
७—करीमगंज
८—बेलथरा
९—हल्दी रामपुर

तहसील बांसडीह

१—चांदपुर
२—छापथनन्तर
३—बधवन
४—घीराछपरा
५—कमालपुर
६—भोजछपरा
७—रामपुर मगरीब
८—वशिष्टनगर
९—गोपालपुर
१०—भोपालपुर
११—खीरूछपरा नम्बरी
१२—मखटिया नम्बरी
१३—रामपुर नम्बरी
१४—रामपुर नौबरार
१५—अलकदीपुर
१६—जंजोरा रामनगर
१७—महाजी वशिष्ट नौबरार
१८—महाराजपुर
१९—रामपुर मशरीक
२०—खेबसड़
२१—डहा बिहरा
२२—केठोड़ा
२३—जमई
२४—लिलकर
२५—पिपरा सीसोटरा
२६—पिपरा अमरपुर
२७—पिपरा महाजी काशीदल
२८—पिपरा हरनाटार
२९—पिपरा दरौली
३०—पिपरा करमहा
३१—निपनियां
३२—महाजी गोदाबली
३३—पिपरा आदमपुर
३४—चक्की दियरा सुल्तानपुर
३५—भोजपुरवा
३६—खीरूछपरा नौबरार
३७—सुल्तानपुर
३८—मलाहीचक
३९—पिपरा मनियर टुकड़ा १
४०—पिपरा मनियर टुकड़ा २
४१—एलासगढ़ नौबरार
४२—बिक्रमपुर दरिया

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०४ पर)

सूची 'क'

१-ए–श्री मुजफ्फर हसन, परिवहन मंत्री
श्री आर० एन० डे, आई० सी० एस० (रिटायर्ड)
श्री मुकन्दीलाल, एम० एल० ए०
२-ए–श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे, एम० एल० ए०
३-ए–श्री शिवप्रसाद गुप्त, उप मंत्री, उद्योग
४-ए–श्री मुकन्दीलाल, एम० एल० ए०
५-ए–श्री केशभान राय, उपमंत्री
श्री कृष्णकुमार
१-बी–श्री अजीज इमाम, सभा सचिव
श्री टी०सी० हिंगोरानी, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन
२-बी–श्री शिवनाथसिंह, एम० एल० सी०
३-बी–डा० डी० एम० गुप्त,
श्री जे० के० गर्ग
डा० रामनारायण पांडेय, उपमंत्री
४-बी–राव सी० एल० खन्ना
५-बी–श्री आर एन०डे०, आई० सी० एस० (रिटायर्ड)
६-श्री एम० लाल०, आई० सी० एस०, कमिश्नर
७-श्री बी० एल० नोमानी
श्री के० क० दास, आई० सी० एस०, कमिश्नर
श्री एम० लाल, आई० सी० एस०, कमिश्नर
श्री दास के खाली करने पर श्री लाल ने इस बंगले को भी किराये पर लिया।
८-श्रीमती स्वर्ण बेनी प्रसाद,
९-श्री गोविन्द सहाय, मंत्री कारागार
श्री तेजकृष्ण
श्री रमेशचन्द्र गुप्ता
श्री शतीश चन्द्र, आई०सी०एस०।

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०४ पर)

सूची 'ख'

१—श्री श्यामनारायन, एम०एल०सी०
२—श्री जे०एन० सिन्हा, एम०एल०सी०
३—श्रीमती राजेन्द्रकुमारी, एम०एल०ए०
४—श्री वीरेन्द्रस्वरूप, एम०एल०सी०
५—श्री होरीलाल यादव, एम०एल०ए०
६—श्री अवधनारायनप्रतापसिंह, एम०एल०ए०
७—श्री जमीलुर्रहमान, एम०एल०ए०
८—श्री भगवानदास यादवेन्दु, एम०एल०ए०
९—डा० बंकटासिंह उर्फ दुन्नूसिंह, एम०एल०ए०
१०—श्री देवेन्द्रसिंह मेहरा, एम०एल०ए०
११—श्री राजेन्द्रसिंह, एम०एल०ए०
१२—श्री देव दत्तमिश्र, एम०एल०ए०
१३—श्री सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, एम०एल०सी०
१४—श्री राधेश्याम, एम०एल०ए०
१५—श्री विजयशंकरसिंह, एम०एल०ए०
१६—श्री बृजमोहनलाल गुप्त, एम०एल०ए०
१७—श्री अवधेशकुमार सिन्हा, एम०एल०ए०
१८—श्री डूंगरसिंह, एम०एल०ए०
१९—श्री रामसिंह, एम०एल०ए०
२०—श्री बलदेवसिंह, एम०एल०ए०
२१—श्री रामस्वरूप भारतीय, एम०एल०ए०
२२—श्री काशीनाथ मिश्र, एम०एल०ए०
२३—श्री कुंवर महाबीरसिंह, एम०एल०सी०
२४—श्री गयाप्रसाद, एम०एल०ए०
२५—श्री रियासत हुसैन, एम०एल०ए०
२६—श्री बलवीर सिंह, एम०एल०ए०
२७—श्री रामायण, एम०एल०ए०
२८—श्री तेजसिंह, एम०एल०ए०
२९—श्री इन्द्रासनसिंह, एम०एल०ए०
३०—श्री सोहनलाल धुसिया, एम०एल०ए०
३१—श्री रणबहादुरसिंह, एम०एल०ए०
३२—श्री मोहनलाल वर्मा, एम०एल०ए०
३३—श्री जगदम्बाप्रसाद, एम०एल०ए०
३४—श्री मान्धातासिंह, एम०एल०ए०
३५—श्री सूरजलाल गुप्त, एम०एल०ए०
३६—श्री नेकराम शर्मा, एम०एल०ए०
३७—श्री देवीदत्त, एम०एल०ए०
३८—श्री शिवदानसिंह, एम०एल०ए०

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ५९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०७ पर)

प्रश्न संख्या ५९ के उत्तर से संबंधित तालिका

ब्लाक का नाम	पशु चिकित्सालय का नाम	स्टाकमैन सेन्टर का नाम
१	२	३
१—मलवां ..	गोपालगंज ..	मलवां
२—बिजयीपुर ..	विजयीपर ..	खखरेडू
३—हथगाम ..	हथगाम ..	इटैली
४—निटौरी ..	मिटौरी ..	हुसैनगंज
५—हसंवा ..	हसंवा ..	बहरामपुर
६—असोथर ..	असोथर ..	मौती
७—खजुहा ..	बिन्दकी (जो तृतीय पंच-वर्षीय योजना काल में खोले गये)।	आफरगंज
८—बहुआ ..	बहुआ ..	गाजीपुर
९—ऐरांवा ..	खागा ..	गौती
१०—देवमई ..	देवमई ..	(१) बरिगंवा (२) जहानाबाद
११—अमौली ..	—	अमौली
१२—धाता ..	—	धाता
१३—तेलियानी ..	फतेहपुर शहर ..	बिलन्दा

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ३ एल० ए०—१९६३—(प्रो०) ८५०।